कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 51 अंक : 2 | दिसम्बर 2005 | मूल्य : 7 रुपये

ग्रामीण विकास में अक्षय ऊर्जा की क्रांतिकारी भूमिका

विधिक सहायता: ग्राम उत्थान में प्रभावशाली पहल

खादी उद्योग पर वैश्वीकरण का प्रभाव

भारतीय जनजातियां : समस्याएं एवं समाधान

ग्रामीण विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी की सार्थकता

एड्स से बचें और बचाएं

महिला कुपोषण: एक राष्ट्रीय समस्या

शक्तिस्वरूपा नारी अब कानूनन शक्तिमान

भारत की सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षक : हस्तशिल्प उद्योग

महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा

घरेलू हिंसा हमारे परिवारों में आम होती है। लेकिन ऊपरी तौर पर यह तस्वीर सुंदर रहती है। महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा का तरीका अलग–अलग होते हुए भी इसका मूल कारण उन्हें नीचा दिखाते हुए पुरुष सत्ता को ऊपर रखना है।

बलात्कार और पत्नी को मारने जैसी हिंसक वारदातें विश्व भर में घरेलू हिंसा का प्रमुख रूप हैं। दहेज, सती और कन्या भ्रूण हत्या जैसे अन्य अपराध समाज में निरंतर होते रहते हैं। संसद ने भारतीय स्त्री को परिवार में होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा से सुरक्षा देने के लिए एक कानून पास किया है।

संसद के दोनों सदनों में घरेलू हिंसा कानून, 2005 के जरिए महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। इस कानून की सहायता से महिलाओं को सभी प्रकार की घरेलू हिंसा और उत्पीड़न तथा परिवार में शोषण से सुरक्षा मिलेगी। महिलाएं अब अपशब्द कहने वाले पति और पीड़ित करने वाले संबंधियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाई कर सकेंगी।

पृष्ठभूमि

घरेलू हिंसा न सिर्फ मानव अधिकारों का मुद्दा है बल्कि विकास प्रक्रिया में भी बाधक है। 1994 में हुई विएना संधि तथा 1995 में बीजिंग घोषणा और प्लेटफार्म फॉर एक्शन ने भी इसे स्वीकार किया है। संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं के खिलाफ होने वाली घरेलू हिंसा को खत्म करने की राष्ट्रीय समिति ने 1998 में दी गई अपनी सिफारिशों में राज्य को महिलाओं के साथ हो रही किसी भी प्रकार की हिंसा से सुरक्षा, खासकर परिवार में हो रही हिंसा से सुरक्षा देने की सिफारिश की है।

इस समय किसी महिला से यदि उसका पति अथवा संबंधी क्रूरता पूर्वक व्यवहार करता है तो यह भारतीय संविधान की धारा 498ए के तहत एक अपराध है। भारत में महिलाओं को समानता देने की अवधारणा को संवैधानिक स्वीकृति है। लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। महिलाओं को आर्थिक तथा सामाजिक शोषण लगातार हो रहा है। संसद के 2005 के मानसून अधिवेशन में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 2005 पारित किया गया। इसके तहत महिलाओं को भी अपने पिता की संपत्ति में कानूनी हक होगा। ऐसी ही महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा से सुरक्षा देने के लिए एक कानून बनाया गया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार महिलाओं को अमानवीय कृत्यों से छुटकारा दिलाने वाले इस बिल को बनाने में सरकार को 58 वर्ष लग गए।

धाराएं

घरेलू हिंसा बिल के अन्तर्गत शोषित महिला जो पत्नी या शादी किए बिना उस तरह के संबंधों में रह रही महिला अपने पति या पुरुष साथी को खिलाफ शिकायत कर सकती है वहीं पति या पुरुष साथी की रिश्तेदार महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करा सकती।

घरेलू हिंसा ही परिभाषा में दुर्व्हार या धमकी या शारीरिक दुर्व्यवहार, यौनाचार, मौखिक, भावनात्मक या आर्थिक दुर्व्यवहार, शामिल हैं। महिला या उसके परिवार वालों से दहेज की मांग करना भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत है। इस बिल ने महिलाओं को अधिकार दिया है कि वे अपने पति के घर में रहने का पूरा हक रखती हैं। मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश देने के बाद उन्हें अपने ससुराल के घर में रहने का पूरा हक है चाहे उनका घर पर कोई हक न भी हो। साथ ही गैर–सरकारी संस्थाओं के स्वयंसेवकों को सुरक्षा अधिकारियों के रूप में नियुक्त कर शोषित महिला की चिकित्सीय जांच, कानूनी सहायता तथा सुरक्षित आश्रय इत्यादि भी दिलाया जाता है। यह विधेयक परिवार के संतुलन को अव्यस्थित करने के लिए नहीं बनाया गया है बल्कि इसका उद्देश्य सभी महिलाओं का सशक्तिकरण कर उन्हें घरेलू हिंसा के शिकंजे से छुड़ाना है।

महिला संगठनों द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों का ही नतीजा है कि इस बिल के अतंर्गत न सिर्फ विवाहित महिलाएं बल्कि अविवाहित या दूसरी पत्नी को भी कानूनी संरक्षण मिलेगा।

एक ऐसा समाज जहां महिलाओं को लगातार उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है, जहां पितृसत्तात्मक पारिवारिक परंपराएं हैं, वहां यह बिल दूसरी महिला अर्थात दूसरी पत्नी या फिर बिना शादी के रह रही महिला को सहारा देगी। किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी दूसरी पत्नी या महिला को प्रताड़ित करना ज्यादा आसान होता है। ऐसी महिला समाज से तो सहायता की उम्मीद नहीं कर सकती क्योंकि वह तो पहले ही उसे सामाजिक रूप से प्रताड़ित करता है और लगातार प्रताड़ना का शिकार होती है। अब ऐसी महिलाएं भी कानून की शरण में जा सकेंगी।

अध्ययन

नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर सोशल रिसर्च नामक संस्था द्वारा कराए गए अध्ययन से पता चला है कि देश में लगभग पांच करोड़ महिलाओं को घरों में हिंसा और प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। लेकिन सिर्फ 0.1 प्रतिशत ही इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराती हैं। अध्ययन से यह भी पता चला है कि 100 मामलों में से केवल दो में ही अपराधी को सजा मिली है। यह अध्ययन दिल्ली, बंगलौर, मैसूर, जयपुर, अजमेर, कोलकाता और पश्चिम बंगाल के 24 परगना दक्षिण जिले में किया गया था।

इस अध्ययन के दौरान आई मुख्य बात यह थी कि आज भी घरेलू हिंसा का शिकार महिलाएं आमतौर पर कानूनी दखल से बचती हैं। वह कानूनी सहायता लेती भी हैं तो उन्हें हर बार समझौता करने की दलील दी जाती है।

हमारे पारंपरिक समाज में यह कानून महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा देगा। हमारे पारिवारिक परिवेश में होने वाली घरेलू हिंसा हमारी जानकारी से कहीं अधिक है। आंकड़े बताते हैं कि 45 प्रतिशत भारतीय महिलाओं को शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ता है। हिंसा का शिकार 75 प्रतिशत महिलाएं आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती हैं। घर में रहने के अधिकार से महिलाओं को बोझिल रिश्तों को तोड़ने के बाद अब अन्यत्र रहने के लिए जगह नहीं ढूंढनी पड़ेगी। ❑

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष : 52 ● अंक : 2 ● पृष्ठ : 48

अग्रहायण–पौष 1927

दिसंबर 2005

संपादक
स्नेह राय

सहायक संपादक
कमला वर्मा

संपादकीय पत्र–व्यवहार
संपादक, कुरुक्षेत्र
कमरा नं. 655/661, 'ए' विंग,
गेट नं. 5, निर्माण भवन
ग्रामीण विकास मंत्रालय
नई दिल्ली–110011
दूरभाष : 23061014, 23061952
फैक्स : 011–23061014
तार : ग्राम विकास
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : dpd@sh.nic.in dpd@pub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
एन.सी. मजुमदार

व्यापार प्रबंधक
जगदीश प्रसाद
दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

आवरण
राहुल शर्मा

सज्जा
रजनी दवे

मूल्य एक प्रति	:	सात रुपये
वार्षिक शुल्क	:	70 रुपये
द्विवार्षिक	:	135 रुपये
त्रिवार्षिक	:	190 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)

पड़ोसी देशों में	:	500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	700 रुपये (वार्षिक)

इस अंक में

■ ग्रामीण विकास में अक्षय ऊर्जा की क्रांतिकारी भूमिका	एस.एस. सैनी	4
■ रावतभाटा देश का संभावित सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र	कृष्ण बलदेव सिंह हाडा	6
■ जैव–कृषि : भारत में उत्कृष्ट प्रदर्शन	शिवेन्द्र कमार पांडे	7
■ शीतला सरस मेला–2005	शोभालाल	9
■ पादप स्वास्थ्य प्रावधान तथा कृषि निर्यात	बद्री विशाल त्रिपाठी	10
■ विधिक सहायता:ग्राम उत्थान में प्रभावशाली पहल	अरुण कुमार दीक्षित एवं सोना दीक्षित	12
■ खादी उद्योग पर वैश्वीकरण के प्रभाव	पुष्पा सिन्हा	15
■ भारतीय जनजातियां : समस्याएं एवं समाधान	ऋतु सारस्वत	17
■ जनजातीय मामले	–	19
■ सामाजिक न्याय तथा आधिकारिता	–	20
■ शक्तिस्वरूपा नारी अब कानूनन शक्तिमान	चंद्रकला मित्तल	22
■ ग्रामीण विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सार्थकता	दिनेश मणि	24
■ प्रमुख फैसले तथा पहलें : विज्ञान और प्रौद्योगिकी	–	25
■ राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान	वी.बी. अरोड़ा	27
■ एन.एच.पी.सी.–एक कारपोरेट निगम	राजेन्द्र कुमार गोयल	28
■ भारतीय चाय तथा कॉफी उद्योग से जुड़े प्रश्न	गिरीश चंद्र पाण्डे	30
■ किसानों के हित के संरक्षण की दिशा में एक बड़ी पहल	–	32
■ एड्स से बचें और बचाएं	रूपेश श्रीवास्तव	33
■ महिला कुपोषण : एक राष्ट्रीय समस्या	शुभंकर बनर्जी	36
■ कुपोषण की समस्या	–	38
■ स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जैव प्रौद्योगिकी	एम.के. भान	39
■ ग्राम स्तर संस्था और सहगल फाउन्डेशन का संयुक्त प्रयास	जिल्ले रहमान	41
■ एनएसएस संगठन का योगदान	विनोद कुमार शर्मा	42
■ भारत की सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षक हस्तशिल्प उद्योग	श्याम सुन्दर सिंह चौहान	43
■ भारतीय खेलों में नारियां	देवेन्द्र भारद्वाज	46
■ संकट में है धरती	भारत डोगरा	48

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

मत-सम्मत

कुरुक्षेत्र का अक्टूबर, 05 अंक हस्तगत हुआ। ग्रामीण विकास को समर्पित यह पत्रिका ग्राम्य विकास के समग्र पहलुओं पर प्रकाश डालती है। जब प्रथमतः मैने यह पत्रिका वितरक के यहां देखी तो मुझे इसकी सामग्री अत्यंत रोचक लगी और मैने यह पत्रिका खरीद ली। इसके बाद मैं आज आपका सदस्य हूं। इस प्रारूप पत्रिका से ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं को समझने में अत्यंत सहायता प्राप्त होती है। अक्तूबर अंक में 'ग्रामीण' आवास और बुनियादी ढांचे के 'संबंध' में समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को छांटकर पत्रिका में सम्मिलित किया गया है। यह पत्रिका अपने आप में ग्रामीण विकास की ओर 'कुरुक्षेत्र परिवार' की एक अनूठी पहल है। मैं यह आशा और विश्वास करता हूं कि 'कुरुक्षेत्र' के आने वाले अंक भी 'अब तक की तरह' प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। 'कुरुक्षेत्र' की सफलता के लिए शुभकामनाएं।

लवकेश द्विवेदी, शांतिनगर उरई, (उ.प्र.)

•••

कुरुक्षेत्र के वार्षिकांक से नया पाठक बन गया हूं। अक्तूबर 2005 अंक को पढ़ने से पता चला कि ग्रामीण विकास को समर्पित यह पत्रिका हम ग्रामीणों को अवश्य पढ़ना चाहिए। इस अंक के कई आलेख, जैसे–'ग्रामीण आवास : केन्द्र तथा राज्यों के कार्यक्रम', 'ग्रामीण विद्युतीकरण', 'ग्रामीण आवास : पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका', 'इंदिरा आवास योजना : स्वच्छ शौचालय निर्माण', 'गांधीजी के ग्राम–स्वराज्य की परिकल्पना' आदि ज्ञानवर्द्धक और शिक्षाप्रद लगे।

यह पत्रिका प्रत्येक भारतीय नागरिक को पढ़नी चाहिए ताकि वे भी ग्रामीण विकास में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान कर सकें। यह पत्रिका सभी वर्ग के पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है।

प्रकाश भानु महतो, सरायकेला–खरसवां, (बिहार)

•••

सदैव की ही तरह कुरुक्षेत्र का बहुप्रतीक्षित अक्तूबर अंक पढ़ा और सदैव की ही तरह इस बार भी यह यह अंक मन की समस्त अपेक्षाओं से कहीं बढ़कर निकला। ग्रामीण संरचनाओं, ग्रामीण अंचल में बुनियादी ढांचे का विकास और उसकी समस्याओं को जानने में कुरुक्षेत्र काफी उपयोगी लगी। सूचना–वैविध्य के इस प्रगतिशील युग में भी, जबकि सूचना के साधनों की कमी नहीं है – कुरुक्षेत्र का एक अलग ही विशिष्ट, प्रामाणिक एवं अद्वितीय स्थान है। वास्तव में जनसामान्य की समस्याओं को प्रबुद्ध समाज और जनसामान्य के सामने रखकर यह विकसित भारत को निर्मित करने का सतत एवं शक्तिशाली प्रयास करती है। प्रकृति की पुण्य लीलास्थली–भारत को एक नई दिशा देने में इसका योगदान अप्रतिम है। ऐसे ही सच्चे प्रयासों से भारत का नवनिर्माण होगा और विश्व का यह जगद्गुरु अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकेगा। आशा है कि आप ऐसे ही इन प्रयासों की परंपरा को जारी रखेंगे ताकि अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर यह अखण्ड भारत प्रत्यूष की शक्तिम आशा के साथ पूर प्रज्ज्वलित रूप में उभर सके।

प्रांजल धर द्विवेदी, भारतीय जनसंचार संस्थान, (नई दिल्ली)

•••

व्यग्रता समाप्त हुई, वार्षिकांक प्राप्त हुआ, पढ़कर प्रसन्नता व हर्ष की अनुभूति हुई। ग्रामीण आवास योजनाओं व बुनियादी ढांचे के साथ–साथ अन्य बहुत से क्षेत्रों को समाहित किया हुआ है, यह अंक सभी कसौटियों पर निश्चित ही खरा उतरता है। डा. महिपाल, राजदुलारी माथुर एवं डा. अमरेन्द्र ने गांधीजी के विचारों पर प्रकाश डालने का सराहनीय प्रयास किया है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों को प्राकृतिक आपदाओं के परिपेक्ष्य में श्री अशोक कुमार व एस.के. नेगी के लेखों का भी विशेष योगदान है। दशहरे व दीपावली के अवसर पर पाठक, बन्धु–बान्धवों व कुरुक्षेत्र परिवार को निर्बाध दीघार्यु व ज्ञान गंगा का अविरल प्रवाह करते रहने हेतु शुभकामनाएं।

निवेदिता राजपूत, नैनीताल, (उत्तरांचल)

•••

'कुरुक्षेत्र' में जो विशेष बदलाव मैं देखने को आतुर था, वह मैंने सितंबर के अंक में देखा। इसमें मुझे सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा–इसका संपादकीय। संपादकीय पृष्ठ की पूरे पत्रिका का संक्षिप्त रूप, दशा और दिशा, दोनों का वर्णन करता है। इसके पढ़ने से इस मासिक ध्येय सुस्पष्ट हो जाता है। 'कुरुक्षेत्र' का 'वार्षिक अंक' पढ़ा। यह अंक अपने विषयानुसार उत्कृष्ट तथा संपूर्ण था। ग्रामीण विकास हेतु केन्द्र तथा राज्यों द्वारा शुरू की गई योजनाएं असीमित हैं। उनकी कोई ऐसी योजना हो, जो अपने लक्ष्य को पाने में पूर्णतः सफल न रही होगी इसका मुख्य कारण है उनका अनियमित क्रियान्वयन। यदि उन्हें सही तरीके से क्रियान्वित किया जाता तो सभी योजनाएं सफल होती तथा आज भारत का आर्थिक मानचित्र भिन्न होता। यह स्मरणीय तथ्य है कि योजनाएं बनाना बड़ी बात नहीं, उनका सही क्रियान्वयन सबसे बड़ी बात होती है।

सड़क, ऊर्जा तथा संचार तंत्र से हीं ग्रामीण विकास को सर्वाधिक गति मिल सकती है, अतः इसके पूर्ण विकास की योजनाएं क्रियान्वित करनी चाहिए।

संजीव पटेल, वाराणसी

•••

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 'कुरुक्षेत्र' पत्रिका का विगत तीन वर्षों से नियमित पाठक हूं। ग्रामीण विकास को समर्पित इस पत्रिका के अक्तूबर, 2005 के वार्षिक अंक में वेद प्रकाश अरोड़ा का लेख "बुनियादी ढांचाः ग्रामीण विकास : भारत निर्माण" पढ़ा, काफी रोचक एवं विचारणीय लगा। यह सच है कि भारत की लगभग दो तिहाई जनसंख्या गांवों में निवास करती हैं, इस प्रकार ग्रामीण विकास से ही भारत निर्माण संभव हैं। ग्रामीण विकास में इस पत्रिका का सहयोग सराहनीय है।

अंत में समस्त पाठकों व 'कुरुक्षेत्र' परिवार को दीपावली तथा ईद की शुभकामनाएं।

अमरजीत कुशवाहा, सेवरही, कुशीनगर (उ.प्र.)

•••

संपादकीय

प्रेरणा, प्रण, प्रयास और प्राप्ति– किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए दृढ़ निश्चय, लगन और कठिन परिश्रम अनिवार्य है। ध्येय का ध्यान, लक्ष्य की लालसा, उद्देश्य की उत्तेजना मिलकर ही आपकी कोशिश में कशिश, सोच में सरगरमी और दिशा में दिगन्त का विशाल विस्तार परिलक्षित करती है। जीवन सतत संघर्ष है और इस संघर्ष संग्राम में यदि निष्ठा, लगन और जूझने की ज्वलंत आकांक्षा, अभिलाषा का अतिरेक आप्लावित है तो कठिनाईयों, बाधाओं, रुकावटों के बावजूद संघर्ष मार्ग सहज और सहर्ष मार्ग बनने की दिशा में अग्रसर होता है। यदि प्रयास में पारदर्शिता पाकीजगी, ईमानदारी और सच्चाई है तो देर भले ही हो जाए लेकिन प्रयास का परिणाम पारितोषिक सहित घोषित होता है। इस प्रयास का फल परम आनंद की अनुभूति से ओत–प्रोत हो दिव्यानुभव सरीखा होता है।

प्रेरणा, प्रण, प्रयास और प्राप्ति का प्रसाद चाहे व्यक्तिगत स्तर पर हो या सामूहिक रूप से संस्था, संगठन और सरकार द्वारा घोषित हो–निष्फल नहीं होता। समय–समय पर देश और जनता की प्रगति, उन्नति, विकास बेहतरी के लिए चलाई जा रही अनेकों नीतियां, योजनाएं, परियोजनाओं का आधार देश के हर व्यक्ति के जीवन–स्तर में बदलाव और सुधार की दिशा में प्रयत्न हैं।

विस्तृत पैमाने पर भलीभांति विचारित विशेषज्ञों द्वारा सुझाई गई नीतियां, योजनाएं, परियोजनाएं मुद्दे, फैसले–सभी के मूल में 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' की भावना निहित होती है। यह भी सच है कि भारत जैसे देश में जहां विविधता में एकता स्वरूप की जटिलता भी है किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक सभी की सहमति से संपन्न करना भगीरथ प्रयास है।

जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं रोजी–रोटी, कपड़ा और मकान के साथ–साथ पानी–बिजली और स्वास्थ्य–सुविधा हर एक नागरिक को उपलब्ध हो सके इसके लिए न जाने कितने वर्षों के यत्नों, प्रयत्नों और प्रयासों के बाद कदम–कदम पर बाधाओं, कठिनाइयों को पार करते, सफलता–असफलता से जूझते आगे बढ़ते–बढ़ते ही कुछ मिल पाता है। हर समय व्यवस्था में अव्यवस्था ढूंढने के बजाए उस व्यवस्था को व्यवस्थित करने, सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिकारों के साथ–साथ अपने कर्त्तव्यों का पूरी ईमानदारी, निष्ठा के साथ यदि हर नागरिक पालन करे तो व्यक्ति का ही नहीं, समाज, देश, पूरे राष्ट्र का काया–पलट हो जाएगा। भारत एक सुदृढ़, समृद्ध, सशक्त, सक्षम शक्ति के रूप में पूरे विश्व में अपना शीर्ष स्थान बना सकता है।

आइए, इस प्रेरणा, प्रण और प्रयास को फलीभूत करें, सपनों को साकार करें – एक नए भारत का निर्माण करें।

देश-निर्माण - भारत-निर्माण - राष्ट्र-निर्माण

ग्रामीण विकास में अक्षय ऊर्जा की क्रांतिकारी भूमिका

एस.एस. सैनी

देश में बढ़ते बिजली संकट पर महामहिम राष्ट्रपति डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की चिंता में पूरे राष्ट्र की चिंता झलकती है। उनकी चिंता को कम करने की दिशा में अक्षय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा उठाये गये कदमों को सराहनीय ही नहीं क्रांतिकारी भी कहा जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। केन्द्र सरकार ने 20 अगस्त, 2005 को पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी के जन्मदिवस को अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में भी मनाने की शुरुआत कर एक तरह से अक्षय ऊर्जा विकास के प्रति अपनी सद्इच्छा प्रदर्शित की है।

वस्तुतः देश में मौजूदा अक्षय ऊर्जा स्रोतों के भंडारों का यदि सचमुच दोहन किया जाय तो इससे देश की बढ़ती आबादी की बिजली जरूरतें पूरी करने की चुनौती से आसानी से निपटा जा सकता है। हाल ही में अक्षय ऊर्जा स्रोतों में दोहन एवं विकास पर दिए जा रहे ध्यान की रफ्तार यदि यूं ही बनी रही तो इसे अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में नई क्रांति का सूत्रपात ही कहा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों का बिजली संकट दूर करने में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र पूरी तरह सक्षम है। क्योंकि देश में इसी क्षेत्र में एक लाख मेगावाट तक बिजली हर साल पैदा की जा सकती है।

यूं तो अक्षय ऊर्जा स्रोतों के दोहन की शुरुआत सातवें दशक में हो गयी थी। तब तेल संकट ने सरकार को इस दिशा में सोचने को विवश किया था पर यह रफ्तार इतनी सुस्त थी कि 1981 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में ही अलग से एक उप–विभाग खोला गया था और इसके 11 साल बाद (1992) में अलग मंत्रालय का गठन हो सका। अब मंत्रालय में शहरों के आसपास साईन बोर्डो, विज्ञापन पटों में भारी बिजली खर्च को देखते हुए इन्हें अक्षय ऊर्जा से चमकाने की योजना विचाराधीन है। केन्द्रीय अक्षय ऊर्जा मंत्री ने तो इस बाबत कानून भी बनाने का सुझाव दिया। उनका मानना है कि इससे अक्षय ऊर्जा उत्पादन में सचमुच क्रांति की जा सकेगी।

देश में इस समय पवन शक्ति से 45 हजार मेगावाट, सौर शक्ति से पांच लाख करोड़ किलोवाट बिजली क्षमता हर वर्ष उपलब्ध है और बायोमास+बगास से 19,500 मेगावाट, शहरी कचरे से 1700 मेगावाट एवं लघुपन बिजली क्षेत्र से 15 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता आंकी गयी है, इसके अलावा स्थायी अक्षय ऊर्जा स्रोतों के रूप में 36 लाख 71 हजार (दिसंबर, 2004) गोबर संयत्र हैं। अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने भविष्य में 20 लाख बायोगैस संयंत्र, 14 करोड़ वर्गमीटर पानी गर्म करने के सामूहिक क्षेत्र विकास तथा 12 करोड़ उन्नत चूल्हों की स्थापना का कार्यक्रम बनाया है। इतने भारी भरकम ऊर्जा स्रोतों का दोहन नहीं होने में, कराधान अंतर, विकेंद्रित विद्युत प्रणाली का अभाव, बिजली वितरण ग्रिड तक सीमित रहना तथा जागरूकता का अभाव भी बाधक रहे हैं, लेकिन अब ऊर्जा विशेषज्ञ इस कोशिश में लगे हैं कि अगले दशक तक वायु, सौर एवं बायोगैस संयंत्रों की लागत (स्थापना) एवं संचालन परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बराबर कर ली जाए। अभी तक इन्फ्रास्ट्रक्चर लागत अधिक होना भी इसमें बाधक रहा है इसलिए अक्षय ऊर्जा उपकरणों की खरीद को प्रोत्साहन देना भी योजना में शामिल है। केन्द्रीय मंत्रालय का आकलन है कि 20 लाख रुपये निवेश करके अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 100 परिवारों की बिजली जरूरतें पूरी की जा सकती हैं।

11वीं योजना के लक्ष्यों की बाबत भी केन्द्रीय गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय अभी से गंभीर है। वर्ष 2012 तक अंधेरे में डूबे गांवों में 30 लाख गोबरगैस संयंत्र, 50 लाख सौर लाईटें, 20 लाख सौर स्ट्रीट लाईटें, दूर–दराज के गांवों में पानी गर्म करने की सुविधाएं देने व 18 हजार गांवों में स्थायी अक्षय ऊर्जा स्रोतों के भी विकास की योजना बनाई जा रही है। मंत्रालय की योजना इन स्रोतों के विकास की सालाना वृद्धि दर 10 प्रतिशत सुनिश्चित करने तथा इन स्रोतों से 10 हजार मेगावाट बिजली पैदा करने की है।

दसवीं योजना में ही चेन्नई में पवन ऊर्जा टेक्नोलोजी शोध संस्थान की स्थापना, व हाईड्रोजन ऊर्जा, ईंधन सेल आधारित बिजली प्रणाली विकास, बायोडीजल ऊर्जा विकास के लिये भी राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत हो चुकी है। विचित्र बात यह है कि ढाई दशक में किये गये प्रयासों से इस समय सिर्फ पांच हजार मेगावाट से कुछ अधिक बिजली अक्षय ऊर्जा स्रोतों से पैदा की जा रही है। 11वीं योजना में इसे बढ़ाकर दुगुना करने की योजना पर ध्यान दिया गया है जबकि दसवीं योजना के अंत तक इसमें 3000 मेगावाट तक अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य है। इस समय 15 हजार गांवों को ही इन स्रोतों से बिजली दी जा रही है और वर्ष 2012 तक अक्षय ऊर्जा से 25 हजार गांवों को ऊर्जीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

10वीं योजना में ही पवन ऊर्जा से असीमित स्रोतों के दोहन की भी व्यापक योजना में इस समय महाराष्ट्र के सतारा व शोलापुर आदि जिलों में पवन ऊर्जा केन्द्रों का विकास अन्य प्रदेशों के लिये अनुकरणीय बन गया है। यहां 17 हजार पवन ऊर्जा केन्द्र स्थापित हो चुके हैं। राजस्थान के मरू क्षेत्रों में पवन ऊर्जा का यही उपयोग दोहराने की तैयारी कर ली गयी है। यहां जैसलमेर जिले में 125 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा ईकाई एक अरब रुपये की लागत से लगाने की योजना पर काम जारी है। राज्य सरकार व अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ऐसी ही 28 और इकाईयां लगाने की तैयारी में है। इनसे 444.25 मेगावाट बिजली पैदा होगी। यह महत्वाकांक्षी योजना जर्मन सहयोग से चलेगी। पवन ऊर्जा व सौर ऊर्जा दोहन में भारत का दुनिया में पांचवा स्थान है, जबकि इस समय सिर्फ 2980 मेगावाट बिजली ही बामुश्किल इस स्रोत से पैदा हो रही है। महाराष्ट्र के अलावा तमिलनाडु के समुद्रतटीय क्षेत्र में 425 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र कार्य कर रहा है लेकिन पवन ऊर्जा की लागत प्रति युनिट दो रुपये से कम करने की जरूरत है, तभी इसे व्यावहारिक स्वरूप मिलेगा।

सौर ऊर्जा (बिजली) उत्पादन भी अक्षय ऊर्जा स्रोतों में महत्वपूर्ण स्रोत है। यहां 20 मेगावाट प्रति वर्ग किमी. ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं हैं, लेकिन इनका दोहन नहीं हो रहा है, प्रयास जारी हैं। समस्या महंगे

उपकरणों व जागरूकता के अभाव की है। हालांकि मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तरांचल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, झारखंड, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप के पर्वतीय एवं सुदूरवर्ती इलाकों के गांवों में सौर लालटेनों का व्यापक स्तर पर प्रयोग शुरू कर इनका अंधेरा मिटाने का प्रयास किया है।

बायोमास ऊर्जा भी अक्षय ऊर्जा का नया स्रोत विकसित हुआ है। इसके साथ ही बगास (गन्ने की खोई) के स्रोतों पर आई.आई.टी. रुड़की के वैकल्पिक जल ऊर्जा केन्द्र द्वारा व्यापक शोध किया गया है। केन्द्र के निदेशक के मुताबिक ग्रामीण परिवेश के अनुरूप बायोमास ऐसा ऊर्जा स्रोत है कि अकेला भी भविष्य के भारत की अधिकांश ऊर्जा आवश्यकता को पूरा कर सकता है। पांडिचेरी, गुजरात और केरल आदि राज्यों में फिलहाल तक बायोमास ऊर्जा के उपयोग का परिदृश्य दूसरे राज्यों के लिये अनुकरणीय है।

केन्द्रीय अपरम्परागत ऊर्जा मंत्रालय ने यूं तो 1982–83 में ही राष्ट्रीय बायोमास कार्यक्रम भी शुरू किया था। गांवों में गोबरगैस संयंत्रों का लगना इसी का हिस्सा था। यह अभी भी जारी है। सामुदायिक गोबर गैस संयंत्रों का उपयोग भी काफी सफल रहा था। अक्षय ऊर्जा के लिए गांवों के तालाबों में पैदा होने वाली जलकुंभी व सूखी पत्तियां भी बायोगैस ऊर्जा के बढ़िया और निःशुल्क स्रोत हैं जोकि ग्रामीण क्षेत्रों के ऊर्जा विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

शहरी कचरे से भी बिजली उत्पादन का कार्यक्रम अपरम्परागत ऊर्जा मंत्रालय ने शुरू किया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा भारत सरकार के संयुक्त अध्ययन के अनुसार हर साल भारत में 3 करोड़ टन ठोस कचरा व 440 करोड़ टन तरल कचरा पैदा हो रहा है। इन स्रोतों से 1700 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन संभव है। औद्योगिक अपशिष्टों से भी हर साल एक हजार मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। विभिन्न राज्यों में ऐसे 27 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके है तथा कई पर कार्य जारी है। बिजली संकट से निपटने में इसी क्रम में चीनी मिलों में बगास (खोई) से भी व्यावसायिक बिजली उत्पादन को अपनाया गया हैं इसे भी 21वीं सदी का बिजली का नया क्रांतिकारी स्रोत माना जा रहा है। इससे हजारों मेगावाट बिजली उत्पादन संभव है। नौवीं योजना में इस स्रोत से 4 हजार मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य कतिपय कारणों से पूरा नहीं हो सका।

समुद्री लहरों से ऊर्जा उत्पादन भी भारत ही नहीं दुनिया भर में काफी लोकप्रिय हो रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्री लहरों से हर साल 30 लाख मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। भारत की भी 166 किमी. लम्बी समुद्री सीमा में 40 हजार मेगावाट बिजली पैदा करने की प्रतिवर्ष की उम्मीदें होने से अब समुद्री किनारे वाले राज्यों गुजरात में कच्छ और खंभात की खाड़ी, पं. बंगाल में सुंदर वन क्षेत्र व बंगाल की खाड़ी, केरल व तमिलनाडु में भी प्रयास जारी हैं। मद्रास आई.आई.टी. ने एक दशक पूर्व समुद्री लहरों से बिजली पैदा करने की तकनीक भी विकसित की थी, लेकिन महंगा होने से इसे बड़े पैमाने पर अपनाया नहीं जा सका। भारत में बंगाल की खाड़ी व अरब सागर ही समुद्री ऊर्जा उत्पादन के सबसे बेहतर क्षेत्र हैं जहां दक्षिणी पश्चिमी व दक्षिणी पूर्वी मानसून में तेज हवाओं के साथ ऊंची समुद्री लहरें बिजली के स्रोत हैं।

उत्तरांचल, हिमाचल एवं अन्य पर्वतीय राज्यों में भूमिगत गर्म पानी के स्रोतों से भी बिजली पैदा करने की योजना पर अक्षय ऊर्जा मंत्रालय तथा प्रौद्योगिकी विभाग काफी गंभीर हैं। अकेले उत्तरांचल में इरेडा ने साठ से अधिक गर्म पानी के भूमिगत स्रोतों को अक्षय ऊर्जा के नये केंद्रों के रूप में चिन्हित किया है। ये हैं यमुनोत्री, जानकी चट्टी, बनास बाजरी व कोटी मानेप, भागीरथी घाटी में चौड़ीदूनी, अगोरा, गंगनानी, भुक्की, औगी, ज्हाया, भिलंगना घाटी में तांबाकुंड, खरसाली व तुंजा, मंदाकनी घाटी में रामबरण, गौरीकुंड तथा बेड़ा, अलकनंदा घाटी में बद्रीनाथ कुंड, हनुमान चट्टी, गौरशिला, खिराब, गुलाबकोटी, लांगसी गढ़ी व लोनी, पिडंरघाटी में ऊंगिया में स्थित हैं।

हिमाचल में वशिष्ट ग्राम (मनाली) व मणिकर्ण में यह संभावनाएं पहले ही तलाशी जा चुकी है। गर्म स्रोतों की भाप से टरबाईन चलाकर बिजली पैदा की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी व मणिकर्ण वशिष्ट ग्राम (मनाली) व मणिकर्म (व्यासी घाटी) में ये स्रोत उपलब्ध हैं। बिजली सुधार अधिनियम–2003 में भी अक्षय ऊर्जा स्रोतों के विकास पर केंद्रीय सरकार काफी गंभीर है। इन स्रोतों के विकास पर मंत्रालय में हालांकि पहले ही 7161 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इस क्षेत्र में मंत्रालय का चीनी मिलों से बगास से 700 मेगावाट, गैसी फायर से 50 मेगावाट, शहरी कचरे से 80 मेगावाट तथा सौर वायु, जल और बायोमास से 80 हजार मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य है। ग्यारहवीं योजना में भी गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन का लक्ष्य पांच प्रतिशत से बढ़ाकर दस प्रतिशत (दुगुना) करने व देश के सभी गांवों को वर्ष 2012 तक रोशन करना है। लेकिन यह कार्य तभी संभव है जब केन्द्र व राज्य स्तर पर साफ नीयत और लक्ष्य केंद्रित योजना बनाकर काम किया जाये। लद्दाख में भी पूगा नामक स्थान पर ऐसे ही गर्म जल स्रोत पर भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण संस्थान ने आठ मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट की योजना भी तैयार की हुई है लेकिन क्षेत्र में आबादी घनत्व नहीं के बराबर होने से यह प्रोजेक्ट फिलहाल स्थगित है। महाराष्ट्र में तत्तापानी में इस तरह के प्रोजेक्ट का लाभ उठाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी इरेडा ने 2000 ग्रामों को अक्षय ऊर्जा स्रोतों से रोशन करने की योजना बनाई है। 2004–05 के प्रथम चरण में इनमें 250 गांवों को शामिल किया गया है।

सरकार की योजना 2012 तक दूरदराज के ढाई हजार गांवों को अक्षय ऊर्जा से सुसज्जित करने की है। इसके अलावा वनों के समीपवर्ती 1.75 लाख गांवों में भी यही प्रणाली अपनाने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की जा रही है। इसमें ग्रामीणों को सौर ऊर्जा प्रबंधन से जोड़कर रोजगार भी देने की व्यवस्था होगी। सरकार की योजना है कि ऐसे प्रत्येक गांव में कम से कम 25 लोगों को इनसे रोजगार भी उपलब्ध कराया जायेगा। सरकार एवं ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि इससे बिजली संकट तो दूर होगा ही, गांवों में हर समय बिजली से प्रबंधन एवं अन्य रोजगार के अवसर पैदा होंगे और अक्षय ऊर्जा ग्रामीणों की दशा सुधारने में क्रांतिकारी भूमिका निभाएगी। इन गांवों में मंत्रालय तीन हजार की कीमत वाली सौर लालटेन भी मुफ्त वितरण की सोच रहा है।

देश में कृषि और वनीय कचरे से भी 16 हजार मेगावाट ऊर्जा पैदा करना संभव है। एक अध्ययन के मुताबिक बायोमास से पैदा होने वाली इतनी बिजली–वनीय कचरे से पैदा करने की योजना भी कम क्रांतिकारी नहीं होगी। राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने भी बिजली संकट व इसके कुप्रभावों पर कई बार चिंता जताई है। उनकी चिंता और मौजूदा बिजली संकट से उत्पन्न हालत के मद्देनजर सरकार के प्रयास कितने प्रभावी सिद्ध होंगे, यह तो समय ही बतायेगा। लेकिन ईमानदारी से समयबद्ध कार्यक्रम अपनाकर यह लक्ष्य पूरे किये जा सकते हैं। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। ❑

(स्वतंत्र पत्रकार)

रावतभाटा देश का संभावित सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र

कृष्ण बलदेव सिंह हाडा

देश ही नहीं पूरी दुनिया में ऊर्जा के भण्डार सीमित हैं जो भण्डार उपलब्ध है, उनका तेजी से दोहन होने के कारण वह दिन भी आ ही जायेगा जब ऊर्जा के उपलब्ध स्रोत इसकी वास्तविक आवश्यकता की तुलना में कई गुना कम होंगे। ऐसी स्थिति में समूची दुनिया किस हाल में होगी, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

ऊर्जा के लिये आवश्यक पारम्परिक कच्चे माल के लिए भारत को दूसरे देशों पर निर्भर करना होता है। खासतौर से गैस, पेट्रोल और डीजल जैसे ऊर्जा स्रोतों के मामले में। वैसे तो भारत में भी पेट्रोलियम उत्पादों के भण्डार उपलब्ध हैं लेकिन उनका दोहन करना एक बड़ी समस्या रही है।

ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिये भारत जिन प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है, उनकी उपलब्धता या तो सीमित है या उनकी अपनी सीमाएं हैं। उदाहरण के लिए देश में कोयले और प्राकृतिक गैस के भण्डार सीमित हैं। अक्सर इनका आयात ही करना पड़ता है। देश में गैस की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए भारत और ईरान के बीच गैस पाइप लाइन बिछाने की योजना प्रस्तावित है। पन बिजली घरों की अपनी सीमाएं हैं हालांकि दुनिया में भारत तीसरा ऐसा देश है जहां सबसे अधिक पन बिजली पैदा होती है। जहां तक सौर ऊर्जा का सवाल है तो काफी प्रयासों के बावजूद यह एक मजबूत विकल्प का रूप नहीं ले सका है।

इधर नाभिकीय ऊर्जा एक प्रमुख विकल्प के रूप में उभर कर सामने आई है। केंद्र सरकार ने भी नाभिकीय ऊर्जा के महत्व को स्वीकार किया है। 22 सितंबर, 2005 को प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में देश में राजस्थान के रावतभाटा सहित चार स्थानों पर कुल 6800 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता के परमाणु बिजली संयंत्र लगाने की मंजूरी दी।

राजस्थान के रावतभाटा में केंद्र सरकार द्वारा मंजूर किये गये मसौदे के तहत 700–700 मेगावाट क्षमता के दो परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित होंगे। इसके साथ ही रावतभाटा स्थित राजस्थान परमाणु बिजलीघर परिसर को देश का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा पार्क होने का दर्जा मिल जायेगा। यह एक बड़ी उपलब्धि होगी।

केंद्रीय मंत्रीमंडल ने अपनी उसी बैठक में कायमकुलम(तमिलनाडु), काकरापार(गुजरात) और जैतपुरा(महाराष्ट्र) में कुल 6800 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता के परमाणु बिजलीघर स्थापित करने की भी मंजूरी दी। रावतभाटा में इस समय 220–220 मेगावाट क्षमता की पांचवी और छठी इकाईयों का निर्माण कार्य चल रहा है। रावतभाटा परिसर में दो और नई इकाईयां स्थापित हो जाने के बाद यहां की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़कर 2630 मेगावाट हो जायेगी। इस समय वहां 220–220 मेगावाट क्षमता की निर्माणाधीन पांचवी और छठी इकाईयों से विद्युत उत्पादन शुरू हो जाने के बाद संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता 1230 मेगावाट हो जाएगी।

भारत में अक्तूबर,1969 में तारापुर (महाराष्ट्र) में पहला परमाणु बिजली घर स्थापित किये जाने के बाद कनाडा के सहयोग से दिसम्बर 1973 में दूसरा परमाणु बिजली घर रावतभाटा में ही स्थापित किया गया था। प्रारंभ में इसकी क्षमता 100 मेगावाट थी। बाद में संयंत्र को सुधार कर उसकी क्षमता 150 मेगावाट कर दी गई। इसके बाद रावतभाटा की भूगर्भीय परिस्थिति अनुकूल होने और चम्बल नदी का जल स्रोत उपलब्ध होने के कारण वहां एक के बाद एक नये परमाणु संयंत्र लगते चले गये। हालांकि राजस्थान परमाणु बिजली घर की पहली इकाई इस समय तकनीकी कारणों से बंद पड़ी है, लेकिन 200 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता की दूसरी, 220–220 मेगावाट क्षमता की तीसरी और चौथी इकाईयों का कुशलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। इन तीनों चालू इकाईयों की कुल उत्पादन क्षमता 640 मेगावाट की है।

राजस्थान परमाणु बिजलीघर में परिसर में निर्माणाधीन 220–220 मेगावाट क्षमता की पांचवी और छठी इकाईयों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। बिजली घर की इन दोनों इकाईयों को मार्च, 2007 तक आरंभ किए जाने की पूरी संभावना है। इन दोनों इकाईयों से उत्पादन शुरू होने के बाद पहली इकाई को छोड़कर रावतभाटा की चालू इकाईयों का विद्युत उत्पादन बढ़कर 1080 मेगावाट हो जायेगा।

परियोजना निदेशक के अनुसार 220–220 मेगावाट क्षमता की निर्माणाधीन पांचवी और छठी इकाईयों के बन जाने के बाद व्यावसायिक स्तर पर उनसे उत्पादित होने वाली बिजली की दर प्रति यूनिट तीन रुपये के आस पास होगी। दोनों इकाईयां पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बन रही हैं।

परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आज भारत विश्व के अग्रणी देशों में से एक है। यहां इस समय सबसे अधिक परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित करने का काम चल रहा है। ❑

(स्वतंत्र पत्रकार)

लेखकों से

कुरुक्षेत्र के लिए मौलिक, अप्रकाशित लेखों का स्वागत है। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो और उसके साथ मौलिकता का प्रमाण–पत्र संलग्न हो। कुरुक्षेत्र में साहित्यिक रचनाएं प्रकाशित नहीं की जाती हैं। अस्वीकृत रचना लौटाने के लिए कृपया डाक टिकट लगा और अपना पता लिखा लिफाफा लगाएं। लेख संपादक, कुरुक्षेत्र कमरा नं. 655/661, 'ए' विंग, गेट नं. 5, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110011 के पते पर भेजें।

जैव-कृषि : भारत में उत्कृष्ट प्रदर्शन

शिवेन्द्र कुमार पांडे

भारत के सभी प्रान्तों में गोबर–गोमूत्र आधारित भारतीय प्राचीन कृषि पद्धतियों को अपनाते हुए कई सफल आर्थिक प्रदर्शनों का सिलसिला आरंभ हो चुका है। इनमें प्रमुख योगदान निजी स्वयंसेवी संस्थाएं कर रही हैं।

वैश्वीकरण के उभरते परिदृश्य में जैव–उत्पादों (रसायन मुक्त खाद्यान्न व औषध) का महत्व बढ़ता जा रहा है व पेटेन्ट प्राप्त करने की दौड़ आरंभ हो चुकी है। इस व्यापार को पराकाष्ठा स्तर पर स्थापित करने के लिए सभी आधारभूत स्रोत भारत में विद्यमान हैं–

- 10 प्रकार के जलावायु प्रदेश (विश्व में 14),
- उपजाऊ माटी,
- विविध स्थलाकृतिक परिवेश में विद्यमान जल भण्डार,
- भारतीय गोधन पंचगव्य के सदुपयोग की उत्कृष्ट प्राचीन विधियां,
- टिश्यू कल्चर, ड्रिप इरिगेशन, आदि आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान में सुविज्ञता।

इन विधियों को अखिल भारतीय स्तर पर व्यवहारिक रूप में सर्वत्र अपनाने पर एक आर्थिक समृद्धता भरे कल्पवृक्ष का भारत में उद्भव होना, यथार्थता बनने के कगार पर खड़ा है। अर्थात भारतीय गोधन के सदुपयोग से हम विकासशील देश की संज्ञा से मुक्त हो कर विकसित देशों में अपना स्थान ग्रहण कर, विश्व की प्रमुख महाशक्तियों की प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेगें।

आइए देखें समझें कि इस दिशा में क्या कुछ प्रयास भारत में किए जा रहे हैं–

- मुम्बई के प्रसिद्ध एक्सल उद्योग समूह के मालिक व श्राफ–फाउन्डेशन के अध्यक्ष "कांतिसेन श्राफ" को सही मायने में एक वैज्ञानिक उद्योगपति कहा जा सकता है। उन्होंने अपने जन्म क्षेत्र 'कच्छ' को ग्राम विकास के लिए चुना है, जहां वे भारतीय परंपरागत ग्रामीण कृषि पद्धतियों का उबजोड़ (डवटेल) आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों के साथ ताल–मेल बैठाते व स्थानीय परिस्थितिकीय तंत्र को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हुए, पिछले दो दशकों से ग्रामीण विकास का सफल प्रदर्शन कर, एक उदाहरण बन चुके हैं।

इस विकास कार्यक्रम के लिए उन्होंने कच्छ प्रदेश के समूचे भूभाग का प्रतिनिधित्व करती हुई एक बंजर भूमि (जहां घास भी नहीं आती थी) के टुकड़े को मांडवी जिले में एक आदर्श के रूप में 20 वर्ष पूर्व चुना। उनका उद्देश्य था कि यदि इस सूखाग्रस्त जमीन को उपजाऊ बनाना संभव होता है, तो समुचे कच्छ प्रदेश की भूमि भी सोना बनाई जा सकती है।

इस कार्य का श्रीगणेश उन्होंने गो–पालन से आरंभ किया, जिसने 3 साल में ही अपना चमत्कार दिखाना आरंभ कर दिया। गोबर व गोमूत्र के संयोग से वह बंजर भूमि उर्वर बनने लगी और गोशाला पशु खाद में स्वावलंबी हो गई। इसके पश्चात् उन्होंने स्थानीय उपलब्ध बायोमास (बबूल के बीज, बाजरे के डंठल, भूसे, आदि) को गोबर व गोमूत्र के साथ मिलाकर कार्बनिक खाद निर्माण कार्यक्रम आरंभ किया। इस खाद के प्रयोग से जहां एक और उन्नत पौष्टिक हरा चारा पशुओं के लिए उपलब्ध होने पर दूध उत्पादन में वृद्धि होने लगी, तो दूसरी और जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ने लगा व रासायनिक उर्वरकों (खाद) की आवश्यकता ही समाप्त हो गई।

इसके साथ–साथ, उन्होंने भूजल भंडारों के पुनःपूरण व उनकी क्षमता वृद्धि के लिए परंपरागत भारतीय तरीकों के साथ–साथ इजराइल में विकसित आधुनिक जल–संभर प्रबंध तकनीकों को वास्तविक रूप में अंजाम दिया है। इसके फलस्वरूप वहां का भूजल स्तर, जो 100 मीटर नीचे चला गया था, अब बढ़कर 15–20 मीटर गहराई पर आ गया है। इसका एक अन्य लाभ भी प्राप्त हुआ है कि स्थानीय कुओं व नलकूपों में आए समुद्री खारे पानी की समस्या का निदान भी निकल आया है। अब चूंकि खारा पानी प्राकृतिक रूप में मीठे पानी से भारी होता है, इसलिए भूजल स्तर ऊंचा उठने पर खारा पानी स्वतः रूप में मीठे पानी के नीचे रह गया। इस योजना को कच्छ में बड़े पैमाने पर लागू किया गया है। कच्छ में 900 गांव हैं और उनमें से 300 ग्रामों में इस प्रकार के जलसंग्रहण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और अब तो इसने एक आंदोलन का रूप ले लिया है।

- कोलकाता से 150 किलोमीटर दूरी पर "कुलडीहा" नाम का ग्राम है (मिदनापुर जिला)। यहां कुल 30 परिवार रहते हैं। इनकी समस्या थी पक्षियों की बहुतायत जो उनकी फसल को भारी नुकसान पहुंचाते थे। लगभग एक दशक पूर्व इन ग्रामवासियों के मध्य भारतीय प्राचीन परंपरा "जीयो व जीने दो" के संस्कार जागृत से हो उठे। उन्होंने पक्षियों के साथ प्रेम–भरा व्यवहार अपनाते हुए परिस्थितिकीय संतुलन बनाए रख कर अपनी फसलों की सुरक्षा व्यवस्था स्थापित कर ली है। यह संरक्षण प्रदान करने का लाभ है।

इस जागृति के अंतर्गत कुलडीहा निवासियों ने इन पक्षियों को मेहमान का दर्जा प्रदान कर दिया। अब वे अपनी फसल के अलावा, पक्षियों को खिलाने के लिए चना भी उगाने लगे। इसके अलावा वे गांव के भीतर व आसपास चावल के दाने भी छिड़कते हैं और कबूतर इससे अवगत हो चुके हैं। इसलिए कबूतर खेतों की ओर रुख नहीं करते हैं व गांव के भीतर ही रहने लगे हैं।

इतना ही नहीं यहां के ग्रामवासियों ने अपने बच्चों में इस प्रेमपूर्ण व्यवहार की शिक्षा देना भी आरंभ कर दिया है। बरसात के मौसम में गबर पक्षी (व्हाइट स्टॉक) पेड़ों के शिखर पर अंडा देने के लिए घोंसला बनाते हैं। कभी–कभी इनके नवजात बच्चे घोंसलों से गिर कर जमीन में पहुंच जाते हैं। इन्हें ग्रामवासी, उठा कर घोंसलों में रख देते हैं और इस क्रिया को बच्चे भी देखते हैं। पर्यावरण को यथावत बनाए रखने की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम है।

अपने कृषि कार्य में इस ग्राम के निवासियों ने रसायनिक खाद व पेस्टिसाइड उपयोग करना बन्द कर दिया है। इसके स्थान पर वे

पारंपरिक गोबर–गोमूत्र पद्धतियां अपना चुके हैं। फलस्वरूप खेतों में केंचुए जैसे अहानिकारक व कृषि उत्पादन भी बढ़ा है।

- हरियाणा के सोनीपत जिले में "अकबरपुर–बरोटा" नामक गांव के रमेश डागर पिछले 20 वर्षों से जैव–कृषि फार्म चला रहे हैं। रमेश डागर का कहना है कि हम अपनी प्राचीन कृषि पद्धतियों को अपने आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान के साथ जोड़कर अधिक उच्चस्तरीय लाभ देने वाला बना सकते हैं। वे एक सफल किसान हैं और उन्होंने अपने प्रदर्शन से यह साबित कर दिया है कि जैविक आधार पर की जाने वाली बहुआयामी खेती अपनाने पर 2.5 एकड़ जमीन से 10–12 लाख रुपये की सालाना आमदनी की जा सकती है व साथ ही कई लोगों को रोजगार भी मिल जाता है।

इस आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने बाजार मांग के अनुरूप बहुफसलीय–खेती तकनीक अपनाई है। अपने खेतों की मेड़ों में उन्होंने पहाड़ी–पीपल, नीम, आदि के पेड़ लगाए हैं जो भारतीय मूल के पर्यावरण अनुकूल वृक्ष होने के साथ प्राकृतिक कीटनाशक की भूमिका अदा करते हैं व अपनी जड़ों के विस्तार से कृषि कार्य के लिए माटी में आवश्यक नमी स्थापित रखने के अलावा भूमिगत जल भण्डारों के भरण में सहायक बनते हैं और हवा–संचार क्रिया से उपजाऊ माटी को मृत होने से बचाते हैं।

बहुफसलीय खेती के लिए वे 3–4 फसल एक साथ लगाते हैं–सितंबर अंत में मूली के साथ गेंदा के फूल। मूली अक्टूबर में तैयार हो जाती है, तब वहां पालक या तोरी बो देते हैं, जिसकी कटाई दिसंबर में हो जाती है। इस क्रम में फूलों से आमदनी जनवरी से आरंभ हो जाती है।

अपने कृषि कार्य को समृद्धता प्रदान करने के लिए उन्होंने एक व्यवस्थित रूप में केलों के पेड़ भी अपने खेतों में लगाए हैं। ये पेड़ द्विकाजी कार्य करते हैं–1) जमीन में केंचुओं की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, फलस्वरूप माटी में उर्वरकता वृद्धि स्थापित होती रहती है, 2) गर्मी में इन पेड़ों के बीच ठंडक रहती है जो फूल फसल के लिए उपयोगी होने के साथ मधुमक्खी के बक्सों को रखने का उत्तम स्थान होता है।

इस प्रकार बहुफसलीय खेती के अंतर्गत गुलाब उत्पादन, स्टीवीया (एक छोटा पौधा, जिसका रस चीनी से 300 गुना मीठा व मधुमेह रोगियों के लिए उपयुक्त) खेती, मशरूम ,खेती, मधुमक्खी पालन, केंचुआ खाद निर्माण, दुग्ध–शाला व ग्रीन हाउस फसल के माध्यम से भारी आर्थिक लाभ कमा रहे हैं।

- सूखे के प्रति संवेदनशील भारतीय प्रायद्वीप की जमीन व जलवायु "सफेद मूसली" (क्लोरोफायटम बोरोवेलियम) जैसी आयुर्वेदिक जड़ी–बूटी उगाने के लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि इसकी सिंचाई में बहुत कम पानी लगता है। इसका उपयोग मनुष्य की शारीरिक ताकत बढ़ाने के लिए सभी टानिकों के निर्माण में किया जाता है (एन्टीआक्सीडेशन गुण के कारण)। वर्तमान में इसे "सफेद सोना" व "इन्डियन वाइग्रा" जैसी संज्ञा प्राप्त हो चुकी है।

पिछले एक दशक से बांकरा (प. बंगाल), बस्तर (छत्तीसगढ़), आदि प्रान्तों के कुछ उच्चस्तरीय पढ़े–लिखे किसान मूसली की खेती, जैव पद्धति (गोबर–गोमूत्र आधारित) अपनाते हुए सफल आर्थिक प्रदर्शन कर दिखाने लगे हैं। सूखी, मसूली का बाजार भाव 1200 रुपये प्रति किलो है। विश्व बाजार में इसकी मांग 35000 मिट्रिक टन प्रति वर्ष तक पहुंच चुकी है। परन्तु इस मांग का 20 प्रतिशत भाग ही उत्पादन से प्राप्त हो रहा है (लगभग 7000 टन)। भारत इसका एक बड़ा निर्यातक देश है, लगभग 3000 टन प्रति वर्ष निर्यात (पश्चिमी व मध्य पूर्व के देशों, जापान, आदि)।

- भारत एक बड़ा चाय निर्यातक देश है। यूरोप के चाय व्यवसायी, अब उन्हीं भारतीय चाय बगानों का माल खरीदने को प्राथमिकता देने लगे हैं, जहां चाय उत्पादन के लिए गोबर–गोमूत्र का उपयोग उर्वरक और कीट–नाशक / नियंत्रक के रूप में किया जाता है। इस प्रकार उगाई गई जैव–चाय का बाजार मूल्य भी अधिक होता है।

परन्तु यह एक विडंबना है कि अधिकतर भारतीय किसान अशिक्षित हैं। उन्हें साधारण प्रशिक्षण देकर अवगत कराने की आवश्यकता है कि प्रदूषण विस्तार के मध्य बदले हुए मौसम के अनुरूप वे अपने–अपने क्षेत्रों में, वर्ष के किस महीने में कौन सा कृषि–कर्म अपनाएं। उन्हें शिक्षा देनी होगी कि भारतीय गोधन के पंचगव्य का इष्टतम सदुपयोग कर वे असाधारण आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक परीक्षणों से भी ज्ञात होता है कि "शैक्षिक प्राप्ति और उत्पादन क्षेत्रों में उत्पादकता के मध्य, स्पष्ट अनुभविक नियमितता होती है"। अर्थात् शिक्षित श्रमिकों के उत्पादन में स्पष्ट वृद्धि होती है, चाहे वह कोई भी कार्यक्षेत्र क्यों न हों।

इस प्रकार का व्यवहारिक प्रशिक्षण सरकार व गैर–सरकारी संस्थाओं द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र के अनुभवी तकनीकी विशेषज्ञ, वे ही उपलब्ध करा सकते हैं। इसलिए भारत में यह बहुत आवश्यक हो गया है कि ये दोनों संस्थान, ग्रामीण किसानों के सहयोग से कृषि व जल–भण्डार वृद्धि को साकार रूप प्रदान करने के प्रयास तत्काल आरंभ करें। ❑

(स्वतंत्र पत्रकार)

भारत-निर्माण के लिए नाबार्ड द्वारा वित्त पोषण की व्यवस्था

प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्रालय से कहा कि भारत निमार्ण योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण और सिंचाई कार्यक्रमों के लिए नाबार्ड को वित्त पोषण के निर्देश दिए जाएं।

उल्लेखनीय है कि भारत–निर्माण, एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत देश के ग्रामीण इलाकों को आगामी चार वर्षों की अवधि के अंदर सड़कों, विद्युतीकरण, जल आपूर्ति, सिंचाई, आवास व्यवस्था और टेलीफोन–संपर्क जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी। भारत निर्माण योजना के लिए जहां आंतरिक संसाधनों से 30,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी, वहीं हर वर्ष शेष 4000 करोड़ रुपये की व्यवस्था नाबार्ड द्वारा की जाएगी।

साथ ही प्रधानमंत्री ने यह निर्देश भी दिए हैं कि भारत निर्माण योजना के लक्ष्य, कार्यान्वयन, वित्त–पोषण और अन्य पहलुओं से संबंधित, समस्त जानकारियां 14 नवंबर, 2005 तक इंटरनेट पर उपलब्ध होनी चाहिए ताकि इस संबंध में जवाबेदही सुनिश्चित हो सके। ❑

शीतला सरस मेला-2005

शोभालाल

शीतला सरस मेले का आयोजन ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार के सौजन्य से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गुड़गांव द्वारा किया गया। ग्रामीण विकास, विभाग भारत सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह, स्वरोजगारियों के हस्तशिल्प उत्पादों को बिक्री व बाजार उपलब्ध कराने हेतु प्रति वर्ष इस प्रकार के 20 मेले देश के विभिन्न राज्यों में आयोजित करवाये जाते हैं। हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिले में यह मेला प्रथम बार आयोजित किया गया, यह मेला 16 सितम्बर से 25 सितम्बर, 05 तक चला तथा देश के 12 राज्यों से 250 हस्तशिल्पकारों ने इसमें भाग लिया।

गुड़गांव के सैक्टर–29 ग्राउंड लेजर वेली पार्क के साथ 5 एकड़ के विशाल मैदान में 160 दुकानें हस्तशिल्पकारों के लिये बनायी गयीं, 10 दिन तक चलने वाले इस मेले में एक अस्थाई मेला कार्यालय निर्मित किया गया जिसमें टेलीफोन, कम्प्यूटर फर्नीचर व माईक स्थापित किये गये। मेला भ्रमण करने वाले मुख्य एवं गणमान्य अतिथियों के विश्राम हेतु ग्रामीण कलाकृतियों से सुसज्जित एक कमरे का निर्माण करवाया गया था। मेला ग्राउंड के बीच में ग्रामीण परिवेश संस्कृति को झलकाती हुई 6 झोपड़ियों का निर्माण किया गया जिसमें ग्रामीण परिवेश की सजावट की गई थी, कहीं पर पनघट को दर्शाता हुआ बाल्टी से पानी लेने का दृश्य दिखाया गया था तो कहीं ग्रामीण चौपाल का दृश्य दिखाया गया था। 12 राज्यों के हस्तशिल्पकार, जो उनके ही राज्य के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस मेले में भेजे गये थे ने अति सुन्दर दुकानें लगाईं, राजस्थान की बांधनी कला तथा ब्लू पॉटरी व काँच की कढ़ाई की दुकानें थीं, उत्तर प्रदेश की चिकन कढ़ाई, रॉट आयरन के सजावटी घरेलू उपयोग की वस्तुऐं थीं, आंध्र प्रदेश की पोचमपल्ली साड़ी व सूट, काजू, आमपापड़, अचार, पापड़, उरद की दाल के लड्डू थे, हरियाणा की दरियां, रजाइयां, कढ़ाई के सूट, खेस, लोई, शहद, मिट्टी की कलात्मक वस्तुओं के 40 स्टाल सजाये गये थे, उड़ीसा का पैचवर्क, सीनरी, कपड़े तथा बिहार की मधुबनी कला, ने दर्शकों का मन मोह लिया, महाराष्ट्र राज्य के पूना से स्वयं सहायता समूह ने महाराष्ट्र पिज्जा, पूरनपोली, शकरपारे, कढ़ी चावल इत्यादि स्वादिष्ट खाद्य पर्दाथ बना कर मेले में अच्छी बिक्री की।

मेला आयोजन का स्थान चारों ओर से सुशान्त लोक, डी.एल.एफ., सिल्वर ओक, गार्डन स्टेट सैक्टर 44,45,55,56, गोल्डन सूक, मैट्रोपोलिटन सिटी, जैसे क्षेत्र से घिरा हुआ था। राईट्स, इफको टावर, पावर ग्रिड जैसी बहुमंजली कार्यालयी इमारतें भी मेला ग्राउंड से सटी हुई थीं। जहाँ से सैकड़ों की तादाद में प्रतिदिन दर्शक व कर्मचारी मेले को देखने व खरीददारी करने आते थे, गुड़गांव शहर से भी प्रतिदिन हजारों की तादाद में दर्शक मेला भ्रमण के लिये आते रहे तथा रात्रि 10 बजे तक मेला ग्राउंड के विभिन्न स्टालों पर सामनों की खरीददारी करते रहे।

मेले में मनोरंजन हेतु बड़े झूले व बच्चों के झूले भी लगाये गये थे तथा प्रतिदिन सांयकाल मनोरंजन कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते थे, महावीर गुड्डू की टीम ने हरियाणवी गीत व चुटकलों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। कवि सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया था। जिसमें कवियों ने अपनी–अपनी कविताओं से मेला दर्शकों को प्रसन्न कर दिया। कोटा राजस्थान से आये कलाकारों ने अपने गीतों व नृत्यों से दशर्कों को बाधें रखा। मेले में दस्तकारों के लिए चमड़े की कला पर एक वर्कशाप भी आयोजित की गयी।

10 दिनों में मेले में 32 लाख रुपये के विभिन्नों सामान की बिक्री हुई तथा चमड़े के सामान, पोचमपल्ली साड़ियां व सूट के 8 लाख से अधिक के आर्डर भी दस्तकारों को मिले। गुड़गांव जिले के उपायुक्त तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सरंक्षण में आयोजित यह मेला गुड़गांव की जनता पर एक अमिट छाप छोड़ गया। जनता का यही कहना है कि इस तरह के मेले वर्ष में दो बार अथवा कम से कम एक बार गुड़गांव में आयोजित किये जाने चाहिये।

10 दिन तक चलने वाले इस मेले के आयोजन व सफलता के बारे में सभी राष्ट्रीय व राज्य स्तर के समाचार पत्रों में लिखा गया तथा दूरदर्शन व गुड़गांव के स्थानीय चैनलों पर भी मेले से संबन्धित कार्यक्रम दिखाये गये। ❑

(लेखिका जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गुड़गांव में परियोजना अधिकारी है।)

थाईलैंड की राजकुमारी को "इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार"

राष्ट्रपति डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने थाईलैंड की राजकुमारी महाचक्री सिरींधम को वर्ष 2004 के "इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार" से सम्मानित किया। एक ज्यूरी द्वारा शांति और विकास के साथ ही मानवता के प्रति उत्कृष्ट सेवाओं के लिए थाई राजकुमारी महाचक्री सिरींधम का चयन इस पुरस्कार के लिए किया गया। ❑

पादप स्वास्थ्य प्रावधान तथा कृषि निर्यात

बद्री विशाल त्रिपाठी

पृथ्वी पर जीवन की रचना प्रकृति का अनुपम कौशल है। सौर मंडल में पृथ्वी पर ही जीवन का सृजन, पोषण और अस्तित्व संभव है। इसलिये पृथ्वी में मातृत्व अभिकल्पित है। जीवन सदा रक्षणीय है। जीवन के विविध रूप यथा मानव, पशु–पक्षी, समुद्री जीव, वनस्पतियां, कीट आदि समष्टि जैविक व्यवस्था के अंग हैं। ये सभी एक दूसरे के पोषक हैं। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व और विकास के लिये सम्यक आहार और पर्यावरणीय दशाएं सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिये तथा क्षति पहुंचाने वाले व्यवहार को रोका जाना चाहिये। भारतीय दर्शन और व्यवहार सदैव जीवन का पोषक रहा है। यहां पशु, पक्षी, वनस्पति आदि सदैव अपनेपन और आदर की दृष्टि से देखे जाते रहे हैं और बहुधा उनकी पूजा की जाती रही है। भारतीय धर्म, नीति एवं परंपरा पृथ्वी पर जीवन रक्षा के लिये सदैव सचेष्ट और 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के दर्शन से अनुप्राणित रही है। देश के उपभोक्ताओं के लिये सुरक्षित खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सर्वथा अपेक्षित है। कई बार उपभोक्ताओं को प्राप्त होने वाला खाद्य पदार्थ पोषण एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वीकृत सुरक्षित मानक तक नहीं होता है। सुरक्षित खाद्य पदार्थ स्वस्थ जीवन का आधार है जो पशु और पादप जगत के लिये भी समान रूप से लागू होता है। भारत में अतीत से खाद्य पदार्थों के प्रति विशेष शुचिता का ध्यान रखा जाता था। खाद्य पदार्थों में विकृति उत्पन्न करना या मिलावट करना धर्म और नीति विरुद्ध सामाजिक अपराध था और दंडनीय था। रसोई और खाद्य पदार्थ बनाने की अन्य जगहें अत्यन्त संरक्षित और मर्यादित थीं। वैदिक, पौराणिक और उपनिषद् साहित्य में अन्न को प्राणियों की उत्पत्ति का कारण और इसलिये ब्रह्म माना गया है।

खाद्य पदार्थो का अंतरराष्ट्रीय व्यापार अब लगातार बढ़ रहा है। प्रसंस्करित किये हुये खाद्य पदार्थों के पैकेट और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के प्रचलन से कृषि उत्पादों की स्थानिक और समय सापेक्ष उपलब्धि की दशाएं भी समाप्त हो रही हैं। एक देश से खाद्य पदार्थ दूसरे देशों में पर्याप्त मात्रा में भेजे जा रहे हैं। कृषि उत्पाद अब ऋतु सापेक्ष नहीं रह गये हैं। उनका उत्पादन और आपूर्ति वर्ष पर्यन्त होने लगी है। भौतिक समृद्धि को वरीयता और अधिक लाभ की प्रत्याशा में वर्तमान अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रक्रिया में उसके निहित लाभों के अतिरिक्त अवमानक खाद्य पदार्थों के आयात में आयातकर्ता देश में मानव, पशु–पक्षी और वनस्पति जगत के जीवन और स्वास्थ्य की कभी–कभी क्षति हो जाती है। ऐसी दशा में उपभोक्ताओं के लिये सुरक्षित खाद्य आपूर्ति का प्रश्न अब अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। अब रसोई में वैदेशिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं। उनकी पोषकता, गुणवत्ता तथा स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन किया जाना चाहिये।

आधुनिक व्यापार व्यवहार की संगठनात्मक व्यवस्था में 1947 में सम्पन्न हुए प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता, गैट में जीवन के लिये क्षतिकारी व्यापार व्यवहार और निर्यात पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। गैट के अनुच्छेद 20 में मानव, पशु–पक्षी और पौधों के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिये व्यापार-व्यवहार में सरकार के हस्तक्षेप का प्रावधान किया गया है बशर्ते कि इस प्रावधान का प्रयोग प्रच्छन्न संरक्षण के लिये न किया जाये। गैट के स्थान पर वैधानिक समझौते के रूप में 15 अप्रैल, 1994 को मोरक्को के मराकेश में 123 सदस्य देशों के मंत्रियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किये और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। विश्व व्यापार संगठन में उत्पाद मानकों के साथ खाद्य सुरक्षा और मनुष्य, पशु तथा पादप स्वास्थ्य की सुरक्षा के उपाय किये गये हैं। विश्व व्यापार संगठन में खाद्य सुरक्षा तथा मनुष्य, पशु और पादप के स्वास्थ्य मानकों के लिये आधारिक नियम निर्धारित करने के लिए स्वास्थ्य एवं पादप स्वास्थ्य (सेनेटरी एण्ड फाइटो सेनेटरी मेजर्स–एस.पी.एस.) प्रावधान नामक पृथक समझौता किया गया है जो निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित करता है :

- सदस्य देशों में पादप एवं जीव जन्तुओं के जीवन या स्वास्थ्य की नाशक जीवों, बीमारियों, बीमारी वाहक जीवाणुओं या बीमारी उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं से रक्षा करना।
- सदस्य देशों में मानव एवं पशु जगत के जीवन और स्वास्थ्य की खाद्य, पेय या खाद्य पदार्थों में बीमारी उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं और यौगिक प्रदूषकों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से रक्षा करना।
- सदस्य देशों में मानव जीवन और स्वास्थ्य की बीमारी वहन करने वाले पशुओं, पादपों या पादप उत्पादों से उत्पन्न होने वाली बीमारियों से रक्षा करना।
- सदस्य देशों के परिक्षेत्र को नाशक जीवों के प्रवेश, स्थापना और फैलाव से बचाना या सदस्य देश की सीमा में उससे होनेवाली क्षति को कम करना।

स्वास्थ्य एवं पादप स्वास्थ्य प्रावधान उन सिद्धांतों और नियमों का उल्लेख करता है जिन्हें सदस्य देशों द्वारा कृषि और सम्बद्ध उत्पादों के आयात के नियमन तथा मानव, पशु एवं पादप जीवन व स्वास्थ्य की रक्षा के लिये आवश्यक रूप से व्यवहार में लाना चाहिये। स्वास्थ्य एवं पादप स्वास्थ्य समझौता अपेक्षा करता है कि सभी सदस्य देश अपने उत्पाद मानकों को अंतरराष्ट्रीय मानकों, दिशा–निर्देशों और सुझावों के अनुरूप रखें। इस समझौते में प्रक्रिया एवं उत्पादन विधियां भी सम्मिलित हैं जिनका कृषि एवं सम्बद्ध उत्पादों तथा प्रसंस्करित उत्पादों के व्यापार पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य एवं पादप स्वास्थ्य समझौते में पर्यावरण की रक्षा के लिये बाध्यतामूलक प्रावधान रखे गये हैं। विभिन्न उत्पादों के लिये गुणवत्ता हेतु मानक निर्धारण में अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। यदि उत्पादन मानक अन्तरराष्ट्रीय रूप से निर्धारित मानकों पर आधारित होंगे तो व्यापार में अनावश्यक अड़चनें नहीं उत्पन्न होंगी।

स्वास्थ्य एवं पादप स्वास्थ्य प्रावधान यह व्यवस्था करता है कि समझौते के हस्ताक्षरकर्ता देशों को मानव, पशु और पादप जगत के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिये उचित प्रयास करने चाहिये। खाद्य और पेय पदार्थों तथा पशु आहार के व्यापार में स्वास्थ्य की दृष्टि से

हानिकारक पदार्थ नहीं होने चाहिये। इस समझौते का उद्देश्य पक्षकार देशों में मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य में सुधार करना और पादप स्वच्छता की दशाओं में सुधार करना है। स्वास्थ्य एवं पादप स्वास्थ्य समझौता सदस्य देशों की खाद्य सुरक्षा तथा पशु एवं पादप स्वास्थ्य के लिये उपभोग पदार्थों में स्वयं द्वारा मानक निर्धारित करने का प्रावधान करता है। समझौते में यह भी उल्लेख है कि मानक निर्धारित करने में सुविचारित वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाना चाहिये। इन मानकों का उद्देश्य मानव, पशु एवं पादप जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करना और उनको अधिक गुणवत्तायुक्त बनाना है। विश्व व्यापार संगठन का यह भी दृष्टिकोण है कि खाद्य पदार्थों में पाये जाने वाले क्षतिकारक तत्वों के संदर्भ में मानक निर्धारित करते समय अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के मानकों, दिशा–निर्देशों और संस्तुतियों को ध्यान में रखना चाहिये। इनके मानकों को अंगीकृत करने के लिये विश्व व्यापार संगठन सभी सदस्य देशों को प्रोत्साहित करता है। स्वास्थ्य एवं पादप स्वास्थ्य के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के मानक सभी देशों द्वारा स्वीकृत किये जाने की दशा में यौगिकों, प्रदूषकों एवं जीव विष (टोक्सिन) के लिये सुमेलित मानक स्थापित हो जायेंगे।

खाद्य एवं कृषि संगठन और आहार तंत्र आयोग संहिता (कोडेक्स एलीमैन्टैरियल कमीशन) खाद्य पदार्थों के लिये मानकों की संस्तुति करता है। इसी प्रकार पादप स्वास्थ्य के लिये खाद्य एवं कृषि संगठन के अंतरराष्ट्रीय पादप सुरक्षा सम्मेलन की संस्तुति को अंतरराष्ट्रीय मानक माना जाता है। विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्थानुसार सदस्य देश उन अंतरराष्ट्रीय संगठनों के मानकों का भी प्रयोग कर सकते हैं जिनकी सदस्यता विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्य देशों के लिये खुली हो। सदस्य देश मानव, पशु एवं पादप जगत के स्वास्थ्य के आसन्न जोखिमों के परिप्रेक्ष्य में पूर्वोपाय सिद्धान्त का उपयोग करके सुरक्षा के संदर्भ में उच्चतर मानक निर्धारित कर सकते हैं। यदि कोई अयातक देश किसी निर्यातक देश पर आयातित खाद्य पदार्थों के संदर्भ में अनुचित सुरक्षा मानक प्रयोग करने का आरोप लगाता है और व्यापार रोकता है तो विश्व व्यापार संगठन विविध मानक उपयोग कर सकने की व्यवस्था करता है। परन्तु यदि निर्यातक देश यह प्रदर्शित कर दे कि वह स्वास्थ्य सुरक्षा के जिन प्रावधानों का प्रयोग करता है वहीं प्रावधान आयातक देश में भी प्रयुक्त किये जाते हैं तो समझौते की व्यवस्थानुसार आयातक देश को निर्यातक देश के सुरक्षा प्रविधियों एवं मानकों को स्वीकृत करना होगा।

विश्व व्यापार संगठन के स्वास्थ्य और पादप स्वास्थ्य प्रावधान तथा व्यापारगत प्राविधिक अवरोध (टीबीटी) नामक समझौते पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व और संवर्धन, स्वास्थ्य सुधार के व्यापक परिप्रेक्ष्य में स्वागत योग्य हैं। परन्तु इसके प्रावधानों को न मानकर यदि समझौते का प्रयोग निषेधात्मक अस्त्र के रूप में किया जाये, जब स्वास्थ्य एवं पादप स्वास्थ्य के मनमानी ढंग से स्वनिर्मित मानकों का प्रयोग किसी देश के निर्यात में अवरोध के लिये किया जाये तो स्पष्टतः यह समझौते की अवहेलना करना है। एस.पी.एस. का प्रयोग अब स्वास्थ्य और पादप स्वास्थ्य के हित के लिये नहीं अपितु अर्थव्यवस्था को प्रच्छन्न संरक्षण प्रदान करने के लिये किया जा रहा है। इस विसंगति के परिप्रेक्ष्य में भारत विश्व व्यापार संगठन के चौथे मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ही दृढ़ता से इस पक्ष का पोषक रहा है कि सभी सदस्य देश विश्व व्यापार संगठन में दी गयी अपनी वचनबद्धता का क्रियान्वयन करें। उरुग्वे चक्र में जिन मुद्दों पर समझौता हुआ है उसके कई बिन्दुओं पर क्रियान्वयन विकसित देशों द्वारा नहीं हो रहा है। विश्व व्यापार संगठन में गैर–व्यापार मुद्दे सम्मिलित होने से विकासशील देशों को भारी क्षति हुई है और उससे भी अधिक क्षति अंगीकृत समझौतों के क्रियान्वयन न होने से हो रही है। स्वास्थ्य एवं पादप स्वास्थ्य प्रावधान का क्रियान्वयन न होने से यह भारत जैसे देशों के लिये अधिक विपत्तिकारक हो रहा है। विकसित देश स्वास्थ्य एवं पादप स्वास्थ्य समझौते को नकार कर, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के मानकों का अनादर कर, बाजार खोलने का वचन देकर बाजार संरक्षण कर रहे हैं।

स्वास्थ्य एवं पादप स्वास्थ्य प्रावधान के कारण कृषि वस्तुओं का विदेशी व्यापार प्रभावित होने लगा है। विश्व व्यापार संगठन का कृषि पर समझौता प्रावधान उन कृषि उत्पादों के निर्यात का निषेध करता है जो आयातक देश की कृषि, पशु सम्पदा एवं मानव जीवन तथा स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं। एसपीएस तथा टी.बी.टी. के प्रावधानों का विकसित देश विभिन्न विकासशील देशों के व्यापार में व्यवधान पैदा करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए विश्व व्यापार संगठन के आधिकारिक मानदंडों के अनुसार मूंगफली में अफ्लाटोक्सिन का अंश 15 अंश प्रति बिलियन तक हो सकता है। परन्तु यूरोपीय संघ द्वारा मूंगफली में अफ्लाटोक्सिन का अंश 4 अंश प्रति बिलियन निर्धारित किया गया है। इस प्रकार उक्त प्रावधान का एकापक्षीय अतिक्रमण हो रहा है। इस प्रकार यद्यपि भारतीय उत्पादन विश्व व्यापार संगठन द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप हैं, फिर भी यूरोपीय संघ के मानदंड भारतीय मूंगफली के व्यापार के लिए व्यवधान होंगे। स्वास्थ्य एवं पादप स्वास्थ्य प्रावधान तथा व्यापारगत तकनीकी व्यवधान के प्रयोग से विकासशील देशों के निर्यात व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव हो रहा है। यूरोपीय संघ ने संक्रामक बीमारी के फैलने के भय का दिखावा देकर भारत से मछली आयात पर रोक लगाई। यू.एस.ए. ने अपर्याप्त स्वास्थ्यकारी दशाओं में उत्पादन होने का बहाना लेकर 1996–97 में मछली के आयात में 15 प्रतिशत कमी कर दी थी। यूरोपीय संघ के मानदंडों के अनुपालन के लिये खतरा विश्लेषण तथा अनिवार्य बिन्दु प्रणाली (हजार्ड एनालिसिस एण्ड क्रिटिकल कन्ट्रोल प्वाइन्ट, एच.ए.सी.सी.पी.) में बड़े पैमाने पर विनियोग करना आवश्यक हो जायेगा। संयंत्र की क्रियाविधि अत्यन्त पूंजी प्रधान है। अतः खाद्य उत्पादों के लिये यह संयंत्र लगाने की अनिवार्यता की स्थिति में कई छोटे निवेशक और निर्यातकर्ता बाजार से स्वतः बाहर हो जायेंगे।

सब्जियां, मछली अनाज, पेय आदि खाद्य प्रसंस्करण के संदर्भ में भारत को तुलनात्मक सुविधा प्राप्त है। भारत से इनके निर्यात की व्यापक संभावनाएं हैं। परंतु विश्व व्यापार संगठन के मानकों से भी विकसित देशों द्वारा ऊंचे मानक निर्धारित कर दिये जाने की दशा में भारत से खाद्य और परिधान निर्यातों की संभावनाएं अत्यन्त क्षीण हो जायेंगी। दोहा घोषणा में विकासशील देशों के लिए 'विशेष और विभेदक' (एस एंड डी) उपायों का उल्लेख किया गया है जो समझौते का अभिन्न अंग है। भारत विशेष और विभेदात्मक प्रावधानों को सर्वाधिक प्राथमिकता देता है और चाहता है कि स्वास्थ्य एवं पादप स्वास्थ्य तथा विशेष सुरक्षा उपायों जैसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर शीघ्र विचार–विमर्श हो। यह भारतीय कृषि उत्पादों, कृषि आधारित उत्पादों, प्रसंस्करित खाद्य उत्पादों तथा वस्त्र एवं परिधान के व्यापार संवर्धन के लिये अत्यन्त आवश्यक है। विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि सदस्य देश अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के स्वास्थ्य एवं पादप स्वास्थ्य मानकों को मानें और विकासशील देशों को विशेष एवं विभेदक माध्यमों के अंतर्गत विशेष सुविधा प्रदान करें। ❑

(लेखक इलाहाबाद डिग्री कालेज के अर्थ शास्त्र विभाग में रीडर हैं)

विधिक सहायता:ग्राम उत्थान में प्रभावशाली पहल

अरुण कुमार दीक्षित एवं सोना दीक्षित

हमारे संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को समान न्याय प्रदान करने की प्रतिज्ञा की गयी है और हमारे लोकतांत्रिक समाज में समान न्याय की प्रतिज्ञा हम से यह अपेक्षा करती है कि इस प्रतिज्ञा को वास्तविकता में परिवर्तित कर दें, क्योंकि हमारे देश के करोड़ों नागरिक अन्याय के विरूद्ध किसी न किसी रूप में सदैव अनुतोष प्राप्त करने के मार्ग में संघर्षरत हैं। एक सच्चे लोकतंत्र का यह एक आवश्यक तत्व है कि उसके नागरिकों को उनके विधिक अधिकारों के संबंध में शिक्षित किया जाये और उनके अधिकारों के प्राख्यापन या उनके बचाव में सदैव विधिक सहायता का हकदार बनाया जाये।

न्यायपालिका के प्रति जनसाधारण की अभी भी पूर्ण निष्ठा एवं आस्था है। जब किसी व्यक्ति को परिवार में, समाज और प्रशासन में न्याय नहीं मिलता तो वह न्यायालय की ओर कदम बढ़ाता है। जब न्यायालय में उसे न्याय होता है तो न्याय के प्रति उसकी आस्था और अधिक प्रगाढ़ हो जाती है। लेकिन प्रश्न यह है कि जब कोई व्यक्ति निर्धनता के कारण न्यायालय तक नहीं पहुंच पाता है तो उसके लिए इसका क्या अर्थ रह जाता है। सामाजवादी समाज में अर्थाभाव के कारण न्याय से वंचित रह जाना मूलभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल है।

अतः विधिक और प्रक्रियाओं के समाजीकरण के रास्ते पर चलने के लिये विधिक साक्षरता आवश्यक है। विधिक साक्षरता का तात्पर्य विधियों और विधिक प्रक्रियाओं के संबंध में प्रारंभिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि वह सामान्य जनवर्ग की सहायता से सुसज्जित होकर विकास की प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भागीदारी कर सके।

विधिक सहायता

विधिक सहायता का तात्पर्य समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लोगों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता करना है, ताकि वे विधि द्वारा प्रदत्त अपने अधिकारों का उपभोग कर सकें। अतः समजिक न्याय का सुनिश्चयन ही विधिक सहायता का उद्देश्य है और निःशुल्क विधि सहायता प्रदान करना इस बात को सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को गरीबी, अशिक्षा आदि कारणों से समान न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न होना पड़े।

इस प्रकार से विधिक सहायता को, समाज के ग्रामीण, निर्धन एवं कमजोर वर्गों को इस उद्देश्य से निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किये जाने के अर्थ में ग्रहण किया गया है कि वे विधि द्वारा प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम हो सकें।

भारत में विधिक सहायता के स्रोत

भारत के संविधान द्वारा न्याय की समानता पर जोर दिया गया है। संविधान की उद्देशिका अपने सभी नागरिकों के लिये सामाजिक, आर्थिक एवं राजनितिक न्याय सुनिश्चित करती है। संविधान के अनुच्छेद 14 का उद्देश्य समान न्याय सुनिश्चित करना है।

संवैधानिक उपबन्ध

हमारे संविधान में समाज के कमजोर व ग्रामीण वर्ग के लिए और भी कई महत्वपूर्ण व्यवस्थायें की गयी हैं। इन व्यवस्थाओं को भाग चार में राज्य के नीति निदेशक तत्वों में स्थान दिया गया है। इनका मुख्य लक्षण समाज के ऐसे पीड़ित, व्यथित एवं शोषित वर्ग के लोगों को संरक्षण प्रदान करना है जो आर्थिक, मानसिक अथवा शारीरिक दृष्टि से कमजोर हैं।

भारत के संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 14 के द्वारा समान न्याय पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। समान न्याय को सही अर्थों में बनाये रखने के लिये प्रत्येक व्यक्ति को न्याय की ईप्सा करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। आर्थिक असमानता कभी–कभी गरीब व्यक्ति को नाम की ईप्सा करने से रोकती है। इस प्रकार की स्थिति में गरीब एवं कमजोर व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना समान न्याय के वास्तविक अर्थों में बराबर करने के लिये आवश्यक है।

संविधान के अनुच्छेद 39–क में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की गयी है। इस व्यवस्था द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को न्याय के समान अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। जो व्यक्ति निर्धन और निर्धनता के कारण न्यायालय में दस्तक दे पाने में असमर्थ हैं, उनके लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था भी इस अनुच्छेद में की गयी है। इस अनुच्छेद का मूल पाठ इस प्रकार है–"राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक व्यवस्था इस प्रकार काम करे कि न्याय समान अवसर के आधार पर सुलभ हों और वह विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाये, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा।"

एमएम हास्कट बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ए.आई.आर. 1978 एससी 1548 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि निर्धन व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य है न कि अनुकम्पा। ठीक इसी प्रकार **सुकदास और अन्य बनाम यूनियन टेरीटेरी ऑफ अरूणाचल प्रदेश ए.आई.आर. 1986 एससी 1991** के मामले में यह कहा गया है कि निर्धन व्यक्ति को उसके इस अधिकार से अवगत कराना न्यायालय का कर्त्तव्य है। ऐसे मामलों में न्यायालय को निर्धन व्यक्ति के आवेदन की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद 41 में एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए की गई है। यह व्यवस्था सभी व्यक्तियों को काम और लोक सहायता प्रदान करने की है। अनुच्छेद 41 का मूल पाठ इस प्रकार है–

"राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबन्ध करेगा।"

कानूनी उपबन्ध

उल्लेखनीय है कि अन्य कई विधियों में निःशुल्क विधिक सहायता जैसी व्यवस्थायें की गई हैं। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 304 में भी ऐसी व्यवस्था मिलती है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि सेशन न्यायालय यह पाता है कि किसी अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी अधिवक्ता द्वारा नहीं किया जा रहा है और अभियुक्त के पास अधिवक्ता नियुक्त करने के पर्याप्त साधन नहीं हैं तो वह राज्य के व्यय पर ऐसे अभियुक्त को अधिवक्ता उपलब्ध करायेगा।

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 2 नियम 10–क में भी ठीक इसी प्रकार की व्यवस्था मिलती है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी मामले में किसी पक्षकार के हितों की पैरवी करने के लिए कोई समुचित अधिवक्ता नहीं है तो न्यायालय ऐसे पक्षकार के हितों की पैरवी करने के लिए किसी अधिवक्ता को नियुक्ति कर सकती है। निर्धन पक्षकारों के लिए यह व्यवस्था कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह न्यायालय के विवेक पर छोड़ा गया है कि किस पक्षकार के हितों के संरक्षण के लिए किस अधिवक्ता को नियुक्त करे।

निर्धन एवं ग्रामीण व्यक्तियों के लिए भी न्याय सुलभ हो गया है। संविधान की प्रस्तावना में समाहित न्याय और न्याय के समान अवसर की अवधारणा अब फलीभूत होने लगी है।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम

एक पृथक विधान पारित किया गया है जिसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम(Legal Service Authority Act) कहते हैं, इसका उद्देश्य समाज के निर्धन एवं कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाना है।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का अधिनियमन समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा प्रदान करने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरणों के गठन के लिये किया गया है।

संवैधानिक बाध्यताओं को पूरा करने के लिये 1980 में सरकार ने न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती की अध्यक्षता में विधिक सहायता स्कीम क्रियान्वयन समिति (Commitee for Implementing Legal Scheme) कि नियुक्ति की थी जिससे कमजोर एवं ग्रामीण वर्ग के लिए विधिक से सहायता कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा सके।

उद्देश्य की प्राप्ति के लिये इस समिति को पर्याप्त नहीं पाया गया। अतः वर्ष 1987 में वैधानिक विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम राष्ट्रीय, राज्य एवं जनपद स्तर पर वैधानिक विधिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना करता है। इसमें लोक अदालतों के संबंध में प्रावधान किया गया है। लोक अदालत के मुख्य उद्देश्य कम खर्च पर शीघ्र न्याय प्रदान करना है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 3(1) में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार एक निकाय का गठन करेगी जिसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण कहा जायेगा तथा इसका कार्य इसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करना अथवा कार्यों को पूरा करना होगा अथवा इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय प्राधिकरण को सौंपे गये कार्यों को पूरा करना होगा।

केंद्रीय प्राधिकरण के कार्य

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 4 में केंद्रीय प्राधिकरण के कार्यों के संबंध में प्रावधान किया गया है।

- यह इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन विधिक सेवाओं को उपलब्ध करवाने हेतु नीतियों एवं सिद्धान्तों का निर्माण कर सकता है।
- यह इस अधिनियम के अधीन विधिक सेवाओं को उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सर्वाधिक प्रभावी एवं आर्थिक योजनाओं का निर्माण कर सकता है।
- यह निधियों का उपयोग अपने व्ययन में कर सकता है और निधियों का उपयुक्त रूप से आवंटन राज्य प्राधिकरणों एवं जिला प्राधिकरणों को कर सकता है।
- यह उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण अथवा समाज के कमजोर व ग्रामीण वर्गों से विशेष रूप से संबंधित किसी अन्य मामले में सामाजिक न्यायवाद (Social Justice Litigation) के माध्यम से अपेक्षित कदम उठा सकता है और इस उद्देश्य के लिये सामाजिक कार्यकर्ताओं को विधिक कुशलता (Legal Skill) का प्रशिक्षण दे सकता है।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 6 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार एक निकाय का गठन करेगी जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी राज्य प्राधिकरण को प्रदान किये गये अथवा सौंपे गये कार्यों को पूरा करने के लिये तथा शक्तियों का प्रयोग करने के लिये राज्य का विधिक सेवा प्राधिकरण कहा जायेगा।

उच्च न्यायालय सेवा समिति विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 8–क में यह कहा गया है कि राज्य प्राधिकरण द्वारा समिति का गठन किया जायेगा तथा इसका उद्देश्य ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना होगा, जिनका निर्धारण राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों द्वारा किया जायेगा।

तालुक विधिक सेवा समिति

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिकरण की धारा 11–क के अनुसार राज्य–प्राधिकरण एक समिति का निर्माण कर सकता है। प्रत्येक तालुक अथवा मण्डल अथवा तालुक एवं मंडलों के समूहों के लिये तालुक विधिक सेवा समिति कहा जायेगा।

अधिनियम एवं नियमावली के अधीन इसको सौंपे गये कार्यों के अतिरिक्त, तालुक समिति जिला एवं राज्य प्राधिकरण के सामान्य अधीक्षक के अधीन निम्नलिखित कार्य पूरा करेगी–

- समिति के तालुक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी न्यायालयों में मामलों के संबंध में विधिक सेवा हेतु आवेदन प्राप्त करना,
- यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक आवेदक के मामले की कार्यवाही एवं निस्तारण तत्परतापूर्वक किया जाये
- वाद–पूर्ण (Pre-litigation) मामलों सहित इसके समक्ष विधिक सेवा हेतु लाये गये मामलों पर विचार करना और यह अभिनिश्चय करना कि आवेदक को किस सीमा तक विधिक सेवा उपलब्ध करवायी जाये
- पक्षकारो को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिये प्रेरित करना और उनके बीच न्यायपूर्ण निस्तारण किये जाने का प्रयास करना और यदि आवश्यक हो, तो विधिक सेवाओं से इंकार कर देना यदि उसकी राय

से समाधान आवेदक की किसी त्रुटि के कारण असफल हो गया हो,

- वादपूर्ण(Pre-litigation) मामलों सहित सभी विधिक कार्यवाहियों में समाधान एवं निपटारे को प्रोत्साहित करना एवं अभिवृद्धि करना
- किसी ऐसे व्यक्ति को अधिनिर्णीयत खर्च की वसूली के लिये कार्यवाही करना जिसे विधिक सेवायें प्रदान की गयी थीं।
- ऐसे अन्य कार्यों को पूरा करना तथा अन्य ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करना, जिन्हें जिला–प्राधिकरण इसे समय–समय पर सौंपेगा।

लोक अदालत

धारा 19 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण अथवा उच्चतम न्यालय विधिक सेवा समिति अथवा प्रत्येक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति अथवा जैसा भी मामला होगा, तालुका विधिक सेवा समिति ऐसे अंतराल, स्थान एवं क्षेत्र पर इस प्रकार की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये लोक अदालतों का गठन कर सकते हैं जहां वे उचित समझते हों।

किसी क्षेत्र के लिये गठित की गयी प्रत्येक लोक अदालत में–

- सेवारत अथवा सेवानिवृति न्यायिक अधिकारी, तथा
- अन्य व्यक्ति शामिल होंगे।

विदित है कि विधिक सहायता निर्धन एवं ग्रामीण वर्ग के लिये वरदान है, परन्तु इसमें ग्रामीण वर्ग को किस प्रकार लाभ होंगे यह चिंता का विषय है। यदि ग्रामीण इलाकों में विकास की दिशा और दशा को सुधारा नहीं जा सका तो देश को महाशक्ति बनाने का स्वप्न दिवास्वपन बन कर रह जायेगा, क्योंकि देश की करीब 72 प्रतिशत आबादी अब भी गावों में निवास करती है।

ग्रामीण विकास हेतु विधिक सहायता के उपागम

30 अप्रैल, 2005 को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसियेशन द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में न्यायिक सुधार पर आयोजित सेमीनार में राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि, यदि समस्याओं का निष्पादन क्षेत्रीय या ग्रामीण स्तर पर ही किया जाये तो न्यायालय की सभी समस्याएं–जैसे अदालतों में वादों की संख्या में बढ़ोतरी, न्यायाधीशों का अभाव, न्यायविदों की बिलंबित सुनवाई आदि समस्याएं उत्पन्न ही नहीं होंगी। उन्होंने क्षेत्रीय और ग्रामीण स्तर पर ही वादों के निष्पादन पर बल दिया। समय की मांग है कि विधिक सहायता को सक्रिय बनाया जाये ताकि वह ग्रामीणों को सहायता प्रदान कर सके, जिसके लिए सुझाव निम्न हैं:

- शिक्षा एवं प्रशिक्षण।
- जागरूकता एवं रुचि।
- प्रचार एवं प्रसार।
- अधिकारिक संरचना सुधार।

शिक्षा एवं प्रशिक्षण

- शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत क्रियायें जैसे युवा अधिवक्ता, विधि छात्रों के लिए विधिक सहायता शिविरों का आयोजन, विधिक सम्मेलन आदि को आयोजित करनां चाहिए।
- हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मानवाधिकार आयोग मंत्रालय से चुने गये प्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर विधिक जानकारी उपलब्ध करायें।
- युवा अधिवक्ताओं के लिये विधि शिक्षा उपरान्त एक वर्ष परिविक्षिका अवधि के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक सहायता उपलब्ध कराना अनिवार्य बनाया जाये।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सुलंभ विधिक सहायता उपलब्ध कराने वाले विधिक सहायता अनुसंधान को प्रोत्साहित करना चाहिए।

जागरूकता एवं रुचि

सामान्य जनता हेतु विधिक साक्षरता "विधि सहायता उपचार केंद्रों" की स्थापना करना जैसे जस्टिस **सी.एम. सहाय**, चेयरमेन, उच्च न्यायालय विधिक सर्विस कमेटी, इलाहाबाद, ने हाल ही में उ.प्र. में राष्ट्रीय विधिक साक्षरता मिशन प्रारंभ किया जिसके तीन मुख्य उद्देश्य है, ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक अधिकारों की शिक्षा, मौलिक अधिकारों की शिक्षा और विधिक सहायता उपलब्ध कराने की शिक्षा।

ग्रामीण क्षेत्रो में निःशुल्क विधिक परामर्श उपलब्ध कराना

बार एसोसियेशन एवं अन्य विधिक संस्थानों का मुख्य उत्तरदायित्व ग्रामीण क्षेत्र में निःशुल्क विधिक परामर्श उपलब्ध कराना है इसके अंतर्गत महिलायें, मानसिक एवं शारीरिक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों, शरणार्थी एवं वृद्धों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

प्रचार एवं प्रसार

- प्रचार माध्यमों द्वारा विधिक सहायता योजनाओं का ग्रामीण क्षेत्रो में प्रचार किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र बोर्ड ने अपनी प्रादेशिक भाषा मराठी में विधिक सहायता पर डाक्यूमेंटरी फिल्म बनायी है। उड़ीसा विधिक सदस्यता एवं परामर्श बोर्ड आल इंडिया रेडियो पर विधिक सहायता प्रदान करने में संलग्न है जिससे ग्रामीण क्षेत्र लाभांवित हो रहे हैं।
- प्रचार माध्यमों द्वारा स्वयंसेवी एवं विधि संस्थाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक सहायता हेतु प्रेरित किया जा सकता है।

अधिकार संरचना सुधार

- टेलीफोन, फैक्स, कम्प्यूटर आदि की सहायता से न्यायालयों को ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे न्यायिक कार्यवाहियों की जानकारी दी जा सकती है जिससे वे इसके प्रबंधन एवं कार्यान्वयन के प्रति सचेत कर सकें।
- चल ग्रामीण संचार इकाई की स्थापना करना जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में डोर टू डोर विधिक सहायता उपलब्ध करायी जा सके। उ.प्र. विधिक साक्षरता मिशन के अन्तर्गत इस कार्य को किया जा सकता है।
- न्यायालयों का भौगोलिक विस्तार किया जाना चाहिए। भारत जैसे विशाल देश में अधिकतर न्यायालय शहरों व राजधानियों में ही है। न्यायालयों का भौगोलिक विस्तार करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ता, सुलभ व निःशुल्क न्याय उपलब्ध कराने के लिये ग्राम न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए।

निष्कर्ष

न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने विधिक सहायता के अर्थ एवं उद्देश्य के विषय में स्पष्ट रूप से कथन किया है। उनके अनुसार विधिक सहायता का तात्पर्य समाज को एक ऐसी व्यवस्था प्रदान करना है जिससे न्याय के प्रशासन की मशीनरी गांवों तक आसानी से पहुंचा सके। उन्होंने यह ठीक ही कहा कि निर्धन एवं अशिक्षत लोगों को न्यायालयों तक पहुंचाने में सक्षम होना चाहिए और उनकी अनभिज्ञता एवं अशिक्षा को न्यायालयों से न्याय प्राप्त करने के उनके रास्ते पर रूकावट नहीं बनना चाहिए। भारतवर्ष को सुदृढ़, शक्तिशाली एवं स्वस्थ लोकतंत्र बनाने के लिये ग्रामों में न्यायिक जागृति, साक्षरता, और परामर्श प्रदान करने का विधिक सहायता एक प्रभावशाली कदम है। ❑

(लेखक द्वय डा. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के विधिविभाग में प्रवक्ता; जे.डी.वी.एम.पी.जी. कॉलेज, कानपुर के शिक्षा विभाग में प्रवक्ता हैं)

खादी उद्योग पर वैश्वीकरण का प्रभाव

पुष्पा सिन्हा

वैश्वीकरण वर्तमान समय के व्यापारिक माहौल की ऐसी अवधारणा है जो पूरे विश्व को एक मंडल, एक केन्द्र बनाने की बात करता है। आज भूमंडलीकरण प्रत्येक क्षेत्र का मुख्य विषय बन गया है क्योंकि इसने समाज के प्रत्येक क्षेत्र को अत्यंत प्रभावित किया है। आज पूरी दुनिया में उदारीकरण, बाजार अर्थव्यवस्था, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण आदि नामों से एक नई विश्व व्यवस्था के निर्माण का एक सघन अभियान चल रहा है। इस सर्वाधिक चर्चित एवं चिंताजनक मुद्दे पर चौकस्की का कहना है कि–विश्व पूंजीवाद तो स्वयं में लोकतंत्र पर एक हमला है। वास्तव में जिस शत्रु पर यह काम करता है "गरीबों के लिए बाजारों की मार, धनिकों के लिए छूटों एवं राहत की बौछार," नई–बाजार व्यवस्था का मतलब है बहुमत जनता के विरूद्ध धनिक वर्ग की एकता।

भूमंडलीकरण के जरिए अमेरिकी समाज में पाई जानेवाली चरम पूंजीवादी विकृतियां एक जीवन मूल्य बनकर भारत में आ रही हैं, पर विडंबना यह है कि पूंजीवादी "राष्ट्रीय तकनीक उत्पादन एवं विकास" से तो भारत अपेक्षाकृत वंचित ही रहा, पर उससे उत्पन्न होने वाली बुराईयां भरपूर मात्रा में पहुंच गई हैं। भूमंडलीकरण के थमने के आसार अभी तो नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए इसके भौतिक, सांस्कृतिक दुष्प्रभावों के प्रति सचेत होना अधिक जरूरी है। ऐसे हालात में पश्चिमी उपभोक्तावादी, साम्राज्यवादी मूल्यों के मुकाबले के संदर्भ में गांधी का चिंतन और अधिक प्रासंगिक हो गया है। आज गांधी जी की बातों ने वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में एक नया व्यापक आयाम ग्रहण कर लिया है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। भारत जैसे अनेक विकासशील देशों में बढ़ी जनसंख्या में लोग अपनी आजीविका और रोजगार पर भूमंडलीकरण के प्रतिकूल असर को अनुभव कर रहे है।

सन् 1939 में गांधीजी ने कहा था–"गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है और मैं अपने पीछे कोई वाद नहीं छोड़ जाना चाहता हूं"। फिर भी यह सत्य है कि गांधीजी ने तत्कालीन भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर अपने जो विचार व्यक्त किए उन्हें लोगों ने गांधीवाद का नाम दिया। महात्मा गांधी कोई प्रशिक्षित अर्थशास्त्री नहीं थे और इसलिए उन्होंने विकास का कोई मॉडल तैयार नहीं किया, परंतु उन्होंने भारतीय कृषि उद्योग आदि के विकास के लिए कुछ नीतियों का समर्थन अवश्य किया। गांधीवाद योजना का मुख्य उद्देश्य ग्राम समाज में अधिकतम आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। उन्होंने यह भी कहा कि खादी के उत्पादन को उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए जितना कि चावल और गेहूं के उत्पादन को दिया जाता है। "जैसे गांवों के लोग अपनी रोटी और चावल बनाते हैं उसी प्रकार उन्हें अपने निजी प्रयोग के लिए खादी तैयार करनी चाहिए। यदि वे अपनी आवश्यकता से अधिक पैदा करते हैं तो इस अतिरिक्त उत्पादन को बेच सकते हैं"।

गांधीवादी योजना में प्रत्येक गांव को कपड़े के उत्पादन में स्वावलंबी बनाने की योजना दी गई है। इसके लिए प्रत्येक ग्रामवासी से यह आशा की जाती है कि वह ग्राम उद्योगों के विकास एवं गठन में सक्रिय भूमिका अदा करें। इसके साथ–साथ गांधीवादी योजना राज्य से यह अपेक्षा करती है कि वह ग्रामीण कुटीर उद्योगों के पुनरूत्थान एवं विकास को औद्योगिक आयोजन का मुख्य केन्द्र बनाए। इसे दस्तकारों को हस्तशिल्प के संबंध में तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। कच्चे माल के क्रय और तैयार माल के विक्रय के लिए सहकारी समितियां कायम करनी होगी, कुटीर उद्योगों के बड़े पैमाने की इकाइयों की अस्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा के विरूद्ध सुरक्षा देनी होगी और कुछ ऐसे कुटीर उद्योगों को सब्सिडी देनी होगी जो इसके बिना विकसित ही नहीं हो सकते और साथ ही दस्तकारों एवं सहकारी समितियों को सस्ती दर पर वित्त भी उपलब्ध कराना होगा।

इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत के 70 प्रतिशत जनमानस जो आज भी गांव में बसता हैं उसके आर्थिक विकास का विचार दिया था। ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण जनता के सहयोग से आर्थिक नीतियां बनाने के लिए अनेक सुझाव दिए, लेकिन इन सुझावों–नीतियों को क्रियान्वित करने में चूक हुई है। ग्रामीणों के आर्थिक विकास कार सबसे सशक्त माध्यम पशुपालन, खेती, लघु–कुटीर उद्योग सहित कृषि से संबंधित धंधे हैं। तत्कालीन समय में इन सबसे बढ़कर खादी उद्योग रहा। वर्तमान में खादी की वास्तविक स्थिति से रूबरू होगें तो कड़वी सच्चाई यह है कि कुल कपड़े के उत्पादन का एक प्रतिशत भी खादी नहीं है, जबकि पिछले पांच सालों से भी अधिक समय से इसे लोकप्रिय बनाने के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद जितनी भी सरकारें सत्तारूढ़ हुई उन्होंने सैद्धांतिक तौर पर खादी के प्रचार–प्रसार के महत्व को स्वीकार किया और खादी से जुड़ी संस्थाओं का विस्तार भी किया। बावजूद इसके खादी का उत्पादन अभी कुल कपड़े के उत्पादन के एक प्रतिशत से भी कम है।

खादी उद्योग की सफलता में कहां चूक हुई यह ध्यान से सोचने योग्य बात है। स्वतंत्रता संग्राम से ही खादी व ग्रामीण हस्तशिल्पियों का महत्व समझने के बावजूद स्वतंत्रता के पांच दशक से अधिक समय बीतने के बाद भी उन्हें उचित स्थान हम क्यों नहीं दे पाए हैं ? इस ज्वलंत प्रश्न की तह में देखेंगे तो स्थितियों की सच्चाई को समझने के लिए देश के सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उद्योग की स्थिति को जानना होगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 20 प्रतिशत कपड़े का उत्पादन हथकरघा क्षेत्र में होता है शेष 80 प्रतिशत कपड़े का उत्पादन मिल एवं पावरलूम क्षेत्र में होता है। जो 20 प्रतिशत उत्पादन हथकरघा क्षेत्र में होता है, उस पर संकट के बादल घिरे रहते हैं। इसका कारण सूत या कच्चे माल की अनुपलब्धता बताई जाती है। गांधी जी का कहना था कि हथकरघे के लिए सूत की उपलब्धि हाथ की कताई या चरखे से होनी चाहिए। अगर गांधी के इस सुझाव पर अमल किया जाता है तो हाथ से बुने कपड़े का उत्पादन एक प्रतिशत से भी कम के स्थान पर 20 प्रतिशत या उससे भी अधिक हो जाता।

यह भी एक विचार का मुददा है कि हैंडलूम को हाथ से कता या चरखे का सूत क्यों नहीं मिल सका। चरखे के प्रसार का थोड़ा बहुत प्रचार तो

जरूर किया गया लेकिन यह ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हुआ। सरकार इस दिशा में ईमानदारी से प्रयास करती तो देशी कपास की किस्मों को संरक्षण देती पर ऐसा नहीं हुआ और स्थिति ठीक विपरीत होती चली गई। यह सच है कि जिस तकनीक से काम होना है, उसके अनुकूल ही कच्चा माल चाहिए। अमेरीकी या विदेशी किस्में मिलों में होनेवाली कताई के लिए तो उपयुक्त थीं, लेकिन चरखे या हाथ से कताई को किस्मों की आवश्यकता थी। सूत, चरखा, कतली से काते गए सूत से हमारे हथकरघा बुनकरों ने ऐसा कपड़ा बुना जिसकी मांग 18वीं शताब्दी तक विश्व बाजार में रही। भारतीयों ने कपड़ा बुनने की कला लगभग चार हजार वर्ष पहले सीख ली थी। विश्व प्राचीन मानव सभ्यता के विकास में भारत का यह बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए भारत को कपास की जन्मभूमि और सूती वस्त्र उद्योग का जन्मदाता कहा जाता है। लगभग दो हजार वर्षों तक भारत सूती कपड़ों का प्रमुख निर्यातक था। उस काल में बुनकर चरखे से काते हुए धागे का ही प्रयोग किया करते थे। भारतीय बुनकरों ने नाना प्रकार के डिजाइनों के कपड़े, साड़ियां और चादरें तैयार करने में महारत हासिल की थी। इस प्रकार हमारे प्राचीन भारत के ग्रामीणों ने अपने हस्त कला, कुटीर उद्योगों के जरिए सिर्फ आर्थिक स्वावलम्बन ही नहीं प्राप्त किया को अपितु विदेशियों की अपनी ओर आकर्षित किया। भारतीय कपड़ा खरीदने के लिए विदेशी व्यापारी अपनी जान जोखिम में डालकर सात–समंदर पार करके आते थे।

जब दौर बदला तो ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति में जो कताई और बुनाई की मशीनें आईं उनके लिए आरम्भिक दौर में अमेरीकी लम्बे रेशे की किस्मों की अनुकूलता का ही अधिक ध्यान रखा गया। ऐसा नहीं था कि देशी किस्मों में लम्बे रेशे की किस्में नहीं थीं। इनके अनेक गुण भी थे। यह किस्में हमारी जलवायु के आधार पर आरामदायक और मजबूत वस्त्र देने में सफल साबित हुईं। पर यह हम अपने तत्कालीन एवं वर्तमान राजनीतिज्ञों की अनभिज्ञता ही कह सकते हैं कि उन्होंने इसे आर्थिक लाभ का जरिया ही नहीं समझा। चरखे को सैद्धांतिक रूप से तो स्वीकार करते रहे पर व्यवहारिक रूप से उसे बढ़ावा नहीं दिया। अगर व्यवहारिक रूप से बढ़ावा देते तो कृषि क्षेत्र में भी वही नीतियाँ बनाते जो हाथ की कताई के अनुकूल होती। सरकारी नीतियों से यह सोच भी गायब होती जा रही है कि चरखा, हथकरघा रोजगार को बाजार से छीनने से कैसे बचाया जाए। क्या सरकार हथकरघा उद्योगों के लिए ईमानदारी से नीति बना पाएगी? उन लाखों हाथों से छूटते रोजगार को बचा पाएगी। अगर सरकार और उद्योगपति इन हथकरघा कर्मियों के संबंध में सकारात्मक दृष्टिकोण रखे तभी हथकरघा उद्योग के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाएं सहायक साबित हो पाएंगी। हाल के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि 45 प्रतिशत श्रमिक टेक्नोलॉजी के पुराना पड़ जाने और उत्पादों की बदलती मांग के कारण बेरोजगार हो गए हैं। अधिकतर श्रमिक पुरानी पड़ चुकी मशीनों पर काम करते हैं और उनके वर्तमान कौशल आधुनिकतम टेक्नोलॉजी की मशीनों, नए प्रकार के कपड़े और डिजाइन आदि के अनुसार नहीं होते इसलिए ऐसे में खादी के वस्त्रों का विश्व बाजार में स्थान पाना भी बड़ा कठिन सा प्रतीत होता है।

उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट है कि हम गांधीजी के सपने को मूर्त रूप नहीं दे पाए। ऐसी एक सोच है कि यदि खादी उद्योग को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ दें तो खादी का विकास संभव है परन्तु वैश्वीकरण के दर्शन को भारतीय परिप्रेक्ष्य में गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्याओं के धरातल पर परखा जाना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वर्षों का आर्थिक इतिहास इसका साक्षी है कि मुक्त बाजार व्यवस्था पर आधारित निजी मुनाफा प्रेरित तकनीकों ने हमारे आर्थिक, प्राकृतिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक विकास के मुहानों को अवरूद्ध कर हमें उपभोक्तावादी मानव बनाकर छोड़ दिया है। हालांकि वैश्वीकरण के समर्थक हमें यकीन दिलाना चाहते हैं कि वैश्वीकरण की नीतियों के परिणामस्वरूप खादी उद्योग अपनी स्पर्द्धा शक्ति को मजबूत बना पाएगें और उनमें त्वरित विकास की प्रक्रिया आरम्भ हो जाएगी। नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग से उत्पादन बढ़ेगा, लागत घटेगी, मांग बढ़ेगी एवं नए–नए बाजार में प्रवेश संभव हो सकेगा। इस उद्योग के सामने प्रतिस्पर्द्धा की नई चुनौतियों संबंधी चिंताओं के बीच नीति निर्माता और विश्लेषक भारत के भावी कार्य निष्पादन के बारे में आशावादी हैं।

लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि खादी वस्त्र निर्यातकों को भारी व्यापार लाभ की संभावना अथवा खादी वस्त्र उत्पादकों को भारी नुकसान की आशंका पर विचार किया जाए। बदलते माहौल में यह अनिवार्य है कि गुणवत्ता और लागत प्रतिस्पर्द्धा दोनों पर ध्यान केन्द्रित किया जाए। हालांकि भारत विश्व के उन देशों में शामिल है, जहां श्रम–लागत सबसे कम है, फिर भी उत्पादन लागत की दृष्टि से भारत सबसे अधिक लागत वाले देशों में शामिल है। श्रम उत्पादकता में भी भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। आवश्यकता इस बात की है कि खादी उत्पादकों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों और सुविधा केन्द्रों को सक्रिय बनाया जाए ताकि इनकी गुणवत्ता में कुछ हद तक वृद्धि हो सके। यह भी महत्वपूर्ण है कि शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाया जाए ताकि असंतुलित ड्यूटी ढांचे से उत्पन्न लागत पर ध्यान दिया जा सके। वैसे भी इनके अलावा खादी के भावी व्यापार प्रवृतियों को निर्धारित करने में अन्य कई घटक भी सामने आएंगे, जैसे आपूर्ति क्षमता, प्रतिस्पर्द्धात्मकता, बाजार पहुंच एवं विश्व बाजार में इसकी मांग।

इस तरह खादी को विश्व व्यापार में समुचित स्थान दिलाने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्द्धा की जरूरत है जिसके लिए अनेकों उपाय किए जा रहे हैं। समय की मांग के हिसाब से खादी में भी नए–नए प्रयोग और अनुसंधान होने लगे हैं। खादी के क्षेत्र में डिजाइनिंग का कार्य राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान और राष्ट्रीय फैशन तकनीक संस्थान के सहयोग से किया जा रहा है। वैसे भी अब खादी का मतलब सिर्फ सूती कपड़े से ही नहीं रह गया है अपितु इसके साथ अनेकों प्रकार के आयाम जुड़ गए हैं, जैसे–ऊनी, रेशमी, पटसन के सामान, मधु, हर्बल दवाईयां, जूते, सरसों का तेल इत्यादि। खादी की व्यापकता और प्रासंगिकता को देखते हुए भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2004 में खादी और ग्रामोद्योग मंडप भी लगाया गया। वर्ष 2003–04 तक खादी और ग्रामोद्योग का कुल उत्पादन 9681.77 करोड़ रुपये का रहा और इसकी बिक्री 11575.21 करोड़ रुपये की रही। इस अवधि तक इस क्षेत्र में कुल 71.19 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया जो अपने में कीर्तिमान है।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण बहुआयामी घटना है जो विश्वग्राम की परिकल्पना पर आधारित है। विश्व के देशों का एक दूसरे के सम्पर्क में आना और विविध आयामों पर अंतः क्रिया तेज होना, वैश्वीकरण का मुख्य लक्षण है। अतः वैश्वीकरण की तीव्र प्रक्रिया तेजी से परिवर्तनों के साथ सकारात्मक तथा नकारात्मक की मिली जुली तस्वीर प्रस्तुत कर रही है। ऐसे में खादी उद्योग के भविष्य को भी निश्चित कर पाना कठिन–सा जान पड़ता है। वैश्वीकरण अभी एक अभिनव प्रयोग है और आगामी कुछ वर्षों तक इसे आजमाने के बाद ही निर्णायक रूप से यह कहा जा सकेगा कि खादी उद्योग में वैश्वीकरण की प्रक्रिया को जारी रखा जाए या छोड़ दिया जाए। ❑

(लेखिका पटना विमेंस कॉलेज, पटना में अर्थशास्त्र विभाग की व्याख्यता हैं)

भारतीय जनजातियां : समस्याएं एवं समाधान

ऋतु सारस्वत

भारत की कुल जनसंख्या में जनजातियों का भाग 8 प्रतिशत है। 'जनजाति' व्यक्तियों का वह समूह है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, किसी आदि पूर्वज से अपना उद्‌गम मानता है, जिसकी एक सामान्य संस्कृति है और जो आज भी आधुनिक सभ्यता के प्रभावों से सापेक्षिक रूप से वंचित है।

भारतीय जनजातियों को उनके भौगोलिक विस्तार के अनुसार निम्न भागों में बांटा जाता है–

उत्तर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र – यह उत्तर में लेह और शिमला के पूर्व में लुशाई पर्वतों तक फैला हुआ है। इसमें पूर्वी कश्मीर, पूर्वी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी उत्तर प्रदेश और असम के पहाड़ी प्रदेश सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख जनजातियां–नागा, कुकी, लुशाई, मिजो, खासी, अबोर, भोटिया, धारू, राजी, खस आदि हैं।

मध्यवर्ती क्षेत्र – क्षेत्रफल तथा जनजातियों की आबादी की दृष्टि से यह सबसे बड़ा प्रदेश है। इस क्षेत्र में बंगाल, बिहार, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात और उड़ीसा सम्मिलित हैं। संथाल, मुंडा, उरांव, हो, बैगा, खोंड, खरिया, गोंड, भील, मीणा, मरासिया, सहरिया आदि इस क्षेत्र की प्रमुख जनजातियां हैं।

दक्षिणी क्षेत्र – इस क्षेत्र के अन्तर्गत हैदराबाद, मैसूर, कुर्ग, त्रावणकोर, कोचीन, आन्ध्र प्रदेश तथा मद्रास आते हैं। चेंचू, कोया, कापू, टोडा, कुरूबा, पनियान, कादर आदि इस क्षेत्र की प्रमुख जनजातियां हैं।

अण्डमान और निकोबार द्वीपों में भी जनजाति समुदाय निवास करते हैं। ये हैं – ओंग, जरावा, निकोबारी आदि।

जनजाति एवं उनकी जीवन पद्धति – जनजातियों की जीवन पद्वति इनके जीवनयापन के साधन पर आधारित है जो शिकार से लेकर भोजन एकत्र करने तक है। आज भी जनजातियों का एक बड़ा भाग वनों पर आश्रित है। कोचीन के कदार, ट्रावनकोर के मालापान्त्रम, मदुरै के पालियान, बेनाड़ के पनियान आदि जंगलों से फलफूल एकत्रित करके जीवनयापन करते हैं। कई जनजातियां पशुपालन करके अपना जीवनयापन करती हैं। इनमें हिमाचल के गुज्जर तथा नीलगिरि के टोडा प्रमुख हैं। उत्तर पूर्वी भारत तथा मध्य भारत की जनजातियों के आर्थिक जीवन का आधार कृषि है। भारत में औद्योगिक विकास के कारण कुछ जनजातियां विभिन्न प्रकार के उद्योगों में लगी हुई हैं। बंगाल, बिहार एवं असम की जनजातियां चाय–बागानों, खानों एवं कारखानों में काम करती हैं।

जनजातियों की वर्तमान स्थिति एवं समस्याएं

भारत की जनजातियों की समस्याएं सीधी और सरल नहीं हैं। ये समस्याएं बहुत ही विस्तृत और जटिल हैं और उनके आचार–विचार रहन–सहन, रीतिरिवाज, सभ्यता और संस्कृति, धर्म, ललित कला आदि से संबंधित हैं।

जनजातियों की समस्याओं के मूलतः दो स्वरूप हैं प्रथम तो वे समस्याएं जो नवीन कानूनों एवं व्यवस्थाओं के कारण एवं दूसरी वे जो स्वयं उनके द्वारा निर्मित व्यवस्थाओं के कारण पनपी हैं।

- जनजातियों की वे समस्याएं जो नयी भू–राजस्व नीतियों एवं भू अधिकार व्यवस्था के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं, वे सामाजिक एवं आर्थिक दोनों प्रकार की हैं। जनजातियों की समस्याएं प्रतिबंधक वन नीतियों तथा अखिल भारतीय स्तर पर लागू किये जाने वाले समान दीवानी एवं फौजदारी कानूनों की परिणति हैं, गैर–जनजातीय अर्थात सभ्य या आधुनिक कहे जाने वाले समाज के साथ संपर्क के फलस्वरूप कर्ज, भूमि हस्तांतरण अर्थात सभ्य या आधुनिक कहे जाने वाले समाज के साथ संपर्क के फलस्वरूप कर्ज, भूमि हस्तांतरण जैसी समस्याएं भी पैदा हुई हैं। अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में परम्परागत महाजनी व्यवस्था में ऋणग्रस्तता का दुर्भाग्यपूर्ण पहलू बंधुआ मजदूरी है।
- आधुनिक समाज से जनजातीय समाज के संपर्क की परिणति, बलाधिकरण, धर्म परिवर्तन एवं नवीन साधनों का सचेष्ट अभिग्रहण है जिसका सीधा सा अर्थ है अपनी परंपरागत जीवन पद्धति का परित्याग।
- गैर–जनजातीय लोगों से संपर्क के फलस्वरूप जनजातीय संगठन में भी परिवर्तन आए हैं– बाल विवाह एवं नवीन नैतिकता विधान जो जनजातीय सामाजिक सरंचना से मेल नहीं खाते का प्रचलन आरंभ हो जाने के फलस्वरूप व्यक्तित्व में असंतुलन उत्पन्न होना स्वाभाविक है।
- जनजातीय समाज की एक मूल विशेषता उनका धर्म एवं जादू –टोना है जो उनको उनकी जड़ों से जोड़े रखने का आधार है। धर्म और जादू–टोना मनुष्य की मात्र शरीरेतर आवश्यकताओं की ही पूर्ति नहीं करता बल्कि ये सामंजस्य स्थापन का एक उपयोगी साधन भी होता है। जब तक इन्हें प्रतिस्थापित नहीं किया जाता तब तक इनका उन्मूलन विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। जहां आदिम जादू–टोना स्थानीय बीमारियों एवं उनके उपचार के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा रहता है वहीं धर्म सामाजिक मानकों एवं व्यवस्थापन से। यह निश्चित है कि एक रूढ़ जीववाद एक आदिम जनजाति के जीवन में जितना कुछ करता है उतना कोई और धर्म नहीं कर सकता है क्योंकि जीववाद स्थानीय समस्याओं को दूर करने के स्थानीय प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है।

वे जनजातियां जो आधुनिक समाज के संपर्क में नहीं आयी हैं वे स्वयं ही आर्थिक समस्याओं को पैदा कर रही हैं। जनजातियों का एक बड़ा भाग (अनुमानतः 80 प्रतिशत) स्थानांतरित कृषि को अपनाता है। स्थानांतरित कृषि केवल अनवरत भूक्षय एवं भूशोषण के रूप में होने वाले भूनिशेषण की स्थिति को उपस्थित करती है। इसके परिणाम अत्यंत घातक होते हैं। स्थानांतरित कृषि के परिणामस्वरूप जनजातियों के समक्ष भुखमरी की स्थिति पैदा होती है या फिर उन्हें अपनी परंपरागत आर्थिक क्रियाओं का परित्याग करना पड़ता है।

आर्थिक सामाजिक समस्याओं के लक्षण बड़े स्पष्ट होते हैं और प्रभाव बहुत गंभीर। यदि इन लक्षणों को ध्यान में रखकर समस्याओं के निवारण हेतु कदम न उठाये जायें तो जनजातीय पुनर्वास की कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती।

जनजातियों के उत्थान हेतु संवैधानिक प्रावधान

- लोकसभा तथा राज्यों की विधान सभाओं में जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए जनसंख्या के आधार पर दस वर्ष के लिए सीटें सुरक्षित कर दी गई हैं। यह प्रावधान संविधान के सोलहवें भाग के 330 व 332 वें अनुच्छेद के अनुसार है।
- संविधान के पन्द्रहवें भाग के 325 वें अनुच्छेद के अनुसार किसी को भी धर्म, जाति, प्रजाति एवं लिंग के आधार पर मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकेगा।
- संविधान के बारहवें भाग के 275 वें अनुच्छेद के अनुसार केन्द्रीय सरकार राज्यों को जनजातीय कल्याण एवं उनके उचित प्रशासन के लिए विशेष धनराशि देगी।
- संविधान के अनुच्छेद 16(4) तथा 335 के अनुसार सार्वजनिक सेवाओं और सरकारी नौकरियों में जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखने का अधिकार राज्य को दिया गया है।
- अनुच्छेद 244 एवं 324 में राज्यपालों को जनजातियों के संदर्भ में विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं।
- संविधान के कुछ अनुच्छेद जैसे 244(2) व संविधान भाग 6, अनुच्छेद 164 के अनुसार आसाम की जनजातियों के लिए प्रादेशिक परिषद् व बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जनजातीय कल्याण मंत्रालय स्थापित करने का विधान है।
- संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 46 में जनजातियों की शिक्षा की उन्नति के लिए तथा आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान देना राज्य का कर्त्तव्य माना गया है।

विकास योजनाएं

- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा जनजातियों के विकास के लिए अनेक प्रयास किये गये हैं। इन लोगों के कल्याणार्थ प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये।
- जनजातियों के कल्याणार्थ एवं रोजगार प्राप्त करने में सहायता देने की दृष्टि से भी कार्यक्रम प्रारंभ किये गये हैं जैसे – परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र एवं शिक्षण सहित पथ प्रदर्शन केंद्र।
- जनजातियों पर होने वाले शोषण व अत्याचार की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा सहकारिता आन्दोलन प्रारंभ किये गये हैं।

यूं तो संविधान में, जनजातीय भारत के विकास के लिए अनेक प्रावधान रखे गये हैं परंतु फिर भी दिन प्रतिदिन उनकी स्थिति खराब होती जा रही है। आवश्यकता इस बात की है कि सर्वप्रथम जनजातीय समाज की मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाये और वह है स्वास्थ्य, भोजन एवं शिक्षा।

- खाद, उन्नत किस्म के बीज, कृषि एवं सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता तथा तकनीकी प्रशिक्षण जनजातियों की सर्वप्रथम आवश्यकताएं हैं।
- जनजातीय समाज के लिए न केवल मुफ्त चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है बल्कि इसके साथ ही साथ यह भी अति महत्वपूर्ण है कि इन सुविधाओं की पहुंच दुर्गम स्थलों (निवास स्थल) तक हो।
- 'शिक्षा' जनजातीय विकास एवं उत्थान की तीसरी आवश्यकता है। परंतु शिक्षा का आधार कक्षा पद्धति न होकर पारंपरिक ही होना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से ऐसा ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए जो न केवल उन्हें समाज का बेहतर सदस्य बना सके बल्कि आत्मनिर्भर भी बना सके।

जनजातियों की समस्याएं आम भारतीयों की समस्याओं से भिन्न हैं। यह कोशिश की उन्हें मूलधारा में शामिल करके ही उनका उत्थान संभव है सर्वथा मिथ्या धारणा है। किसी को भी उसकी जड़ों से काट कर पोषित किया जा सके ऐसा संभव नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि उनके मूल अस्तित्व को बनाये रखते हुए उनके पुनर्वास का प्रयास किया जाये। यह मुश्किल अवश्य है परंतु असंभव नहीं। प्राथमिकताओं का निर्धारण करके परिणाम शीघ्रतः प्राप्त किये जा सकते हैं। ❑

(लेखिका दयानंद महाविद्यालय, अजमेर में समाजशास्त्र की प्रवक्ता हैं)

सदस्यता कूपन

मैं/हम **कुरुक्षेत्र** का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहती हूं/चाहते हैं।

शुल्क : एक वर्ष के लिए 70 रुपये, दो वर्ष के लिए 135 रुपये, तीन वर्ष के लिए 190 रुपये का (जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक .... दिनांक .... संलग्न है।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ....

पता ....

.... पिन ....

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक

प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम,

नई दिल्ली–110 066

*कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर **निदेशक, प्रकाशन विभाग** को नई दिल्ली में देय हो।*

जनजातीय मामले

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए धनराशि रखी थी और राज्यों को अनुदानों की पहली किश्त वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में ही जारी दी गई थी।

आदिम जनजाति समूहों को बीमा कवर

मंत्रालय को देश के विभिन्न भागों से आदिम जनजाति समूहों की अप्राकृतिक मृत्यु की रिपोर्टें प्राप्त होती रही हैं। उन्हे सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मंत्रालय ने भारतीय जीवन बीमा निगम की 'जनश्री' योजना के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से उन्हें बीमा कवर करने का लाभ देने का निर्णय किया जाता है। वर्ष 2004–05 के लिए 16 राज्यों में 5 वर्ष की अवधि के लिए एक लाख आदिम जनजाति समूहों के प्रमुखों को बीमा कवरेज प्रदान करने के वास्ते पांच करोड़ रुपए आबंटित किए गए। समग्र आदिम जनजाति समूह की जनसंख्या को 2005–06 और 2006–07 में ही बीमा कवरेज देने का लक्ष्य रखा गया है।

मंत्रालय ने सुनामी तबाही से प्रभावित इन समूहों के पुनः स्थापन व पुनर्वास के लिए केंद्र शासित और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन को वर्ष 2004–05 के दौरान दो करोड़ रुपए भी जारी किए हैं।

अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मानव विकास सूचकांक में सुधार

राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के प्रावधान को मूर्त रूप देने के लिए अनुसूचित जनजाति बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए मंत्रालय ने इस वर्ष के दौरान अपनी उन योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास के लिए मंत्रालय ने इस वर्ष के दौरान अपनी उन योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास की ओर अपना ध्यान केंद्रित रखा। लड़कियों की शिक्षा पर विशेष बल देते हुए अनुसूचित जनजाति समुदायों का सशक्तिकरण, प्राकृतिक संसाधनों की उत्पादकता बढ़ाने तथा उनकी भूमि का विकास किया गया है।

जहां तक आदिवासी क्षेत्रों में शैक्षिक ढांचे के विकास का संबंध है, यह मंत्रालय उन क्षेत्रों में एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों की स्थापना कर रहा है। इस समय इनकी संख्या 90 है। साथ ही उन स्थानों में जहां महिलाओं में साक्षरता दर 10 प्रतिशत से कम है, उनके लिए शैक्षिक परिसरों का निर्माण तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सभी स्तरों पर छात्रवृतियां प्रदान कर उनके विकास के लिए कार्यरत है।

अधिकांश अनुसूचित जनजातियों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। लेकिन वर्षा पर निर्भर होने के कारण कृषि उत्पादकता बहुत ही कम है। उबड़–खाबड़ भूभाग और दुरूह आदिवासी क्षेत्रों में सुनिश्चित सिंचाई सुविधा ज्यादातर उपलब्ध नहीं है। मंत्रालय ने वर्ष के दौरान सभी राज्य सरकारों को जल संभरण, जल संग्रहण ढांचों, लघु सिंचाई तथा उचित प्रौद्योगिकियों के माध्यम से आदिवासियों की जमीन में नमी की मात्रा में सुधार के लिए विशेष परियोजनाएं तैयार की हैं। मंत्रालय को झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश, की सरकारों से भ्सा और संबुधा में कुछ प्रस्ताव मिले हैं। चेनचरू जैसे आदिम जनजाति समूहों की भूमि के विकास के लिए विशिष्ट योजनाएं भी प्राप्त हुई हैं। वर्ष 2005–06 के दैनिक योजना आयोग द्वारा अतिरिक्त निधियों के रूप में 50 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदला जाना है। तब तक मंत्रालय ने वर्ष के दौरान, लगभग 2700 वन गांवों में सड़कें, पेय जल, स्कूल भवन तथा अस्पताल जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी गई हैं। मंत्रालय की पहल पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने हाल ही में वन(संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा 2 के अंतर्गत इन गतिविधियों को शुरू करने के लिए वन–भू–खंडों को सरकारी विभागों को सौंपने की अनुमति दे दी है। राज्य सरकारों से अपेक्षित ढांचों के सृजन की गति को तेज करने के लिए योजना आयोग ने 230 करोड़ रुपए दिए हैं।

आदिवासी समुदायों के भूमि अधिकार

सरकार ने जनजातिय कार्य मंत्रालय को एक अनुसूचित जनजाति(वन अधिकारों की पहचान) विधेयक तैयार करने का आदेश दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य वन भूमि में रह रहे अनुसूचित जनजातियों को वे अधिकार दिलाने हैं जिनसे वे वंचित हैं। इस विधेयक के तहत पहचान किए गए वन अधिकारों में वन भूमि के निरंतर प्रयोग के लिए जिम्मेदारी और प्राधिकार, जैव–विविधता संरक्षण तथा पारिस्थितकीय संतुलन बनाए रखना शामिल है जिससे वनों में रह रही अनुसूचित जन जातियों की आजीविका तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उनके संरक्षण तथा सामाजिक व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके।

मूल्य–वृद्धि के लिए ढांचा–सृजन

आदिवासी क्षेत्रों में भूमि की उत्पादन–क्षमता बढ़ाने और फसलों की मूल्य वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए ढांचा–सृजन का निर्णय हुआ। इस सिलसिले में उदयपुर, रायपुर और नई दिल्ली में सम्मेलन किए गए थे, जहां परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। देश में ढांचा विकास परियोजनाएं एवं एकलव्य आर्दश आवासीय स्कूलों की स्थापना करने के लिए विभिन्न राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत 330 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

शैक्षिक योजनाओं के अंतर्गत अनुदान

जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अर्थात इस समुदाय के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, मैरिट को बढ़ाना, अनुसूचित जनजाति के लिए लड़कों/लड़कियों के छात्रावास, आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में इन समुदायों के लिए आश्रम स्कूलों की स्थापना, व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्रों और शैक्षिक परिसरों आदि के लिए आवश्यकता पर आधारित योजनाएं चला रहा है।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

राज्य सरकारों को पिछले वर्षों के केंद्रीय हिस्से की 50 प्रतिशत सीमा तक लेखा भुगतान करने का निर्णय किया गया है, ताकि अनुसूचित जनजातियों के छात्र समय पर छात्रवृति ले सकें।

संप्रग सरकार द्वारा कार्यभार संभालने से अब तक योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई निधियां इस प्रकार हैं–

योजना का नाम	जारी अनुदान (रु. करोड़ में)
मैट्रिकोत्तर छात्रवृति	101.38
मैरिट को बढ़ावा देना	0.39
लड़के/लड़कियों के छात्रावास	13.00
आश्रम स्कूल	5.50
व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र	4.50

राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृति को जारी रखना

इस योजना को मार्च, 2001 के बाद से बंद कर दिया गया था। इसे संप्रग सरकार ने पुनः शुरू कर 2007 तक जारी रखने का निर्णय किया। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजा जाता है।

राजीव गांधी फैलोशिप

राष्ट्रीय न्यूनत्तम साझा कार्यक्रम का अनुसरण कर राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप नामक उच्च शिक्षा से जुड़ी एक नई योजना शुरू की गई है। इसमें एम.फिल और पीएचडी पाठयक्रमों के लिए फेलोशिप प्रदान की जाती है।

मान्यता प्राप्त संस्थानों में एम.फिल और पीएचडी स्तर के अध्ययनों के लिए अनुसूचित जनजाति छात्रों को 670 छात्रवृत्तियां प्रदान करने की एक योजना मंजूर की गई है। वे यूजीसी पद्धति के अनुसार फेलोशिप तथा अन्य लाभ प्राप्त करेंगे।

आदिवासियों के लिए दौरों का आयोजन

इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों को देश के अन्य भागों में 10–12 दिनों के लिए दौरा पर ले जाने की व्यवस्था है। पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करती है। इस योजना के अंतर्गत राज्य/केंद्र शासित सरकारों द्वारा प्रायोजित 10 व्यक्तियों का समूह अपनी पसंद के स्थानों का दौरा करता हैं। इससे उनकी सोच में सुधार होता है। और उन्हें देश में हो रहे विकास के बारे में जानकारी मिलती है। वर्ष 2004–05 के दौरान 11 राज्यों से 27 समूहों ने ऐसे दौरे किए। इस पर 23.81 लाख रुपये खर्च हुए। ❑

सामाजिक न्याय तथा आधिकारिता

जैसा कि राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में शामिल है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को निजी क्षेत्र में आरक्षण देने जाने के के मामले पर स्वेच्छा से पहल के लिए सहमति तैयार करना सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय का प्रमुख कार्य रहा। आरक्षण तथा सकारात्मक पहल के लिए सुप्रसिद्ध न्यायाविदों, अर्थशास्त्रियों विद्वानों, शिक्षाशास्त्रियों, सामाजिक वैज्ञानिकों तथा प्रशासकों के साथ पहली राष्ट्रीय बैठक हुई। निजी क्षेत्र द्वारा आरक्षण दिए जाने पर सभी एकमत थे, सभी का मानना यही था कि अनुदान नहीं बल्कि एक सुधारात्मक कदम है।

इस मामले पर लोक सभा में चर्चा हुई तथा सभी दलों के सांसदों ने इस पर सहमति जताई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सांसदों के साथ तीन बार बैठक की। जैसाकि मंत्रियों के गुट ने 3 नवंबर, 2004 को निर्णय लिया। मंत्रालय ने व्यापार तथा औद्योगिक संस्थानों के 218 अध्यक्षों को पत्र लिखा तथा उनके जवाब भी आने लगे। मंत्रियों के गुट ने व्यापार तथा उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान प्रतिभावान अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवाओं की भागीदारी निजी क्षेत्र में बढ़ाये जाने के लिए उनकी तरफ से एक निश्चित कार्य योजना बनाने के लिए कहा। आर्थिक उदारीकरण ने निजी क्षेत्र में बढ़ाये जाने के लिए उनकी तरफ से एक निश्चित कार्य योजना बनाने के लिए कहा। आर्थिक उदारीकरण ने निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ा दिए हैं और इसका फायदा हाशिये पर आ चुके वर्गों को भी मिलना चाहिए।

महिलाओं के लिए सकारात्मक कदम

अनुसूचित जाति, सफाई कर्मचारी अन्य पिछड़ी जातियों, गरीबी रेखा से दो स्तर नीचे रह रहे अल्पसंख्यकों तथा विकलांग महिलाओं में से 25 सफल महिला उद्यमियों को इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक विशेष निगमों द्वारा आर्थिक सहायता दी गई है। 22 राज्यों में अल्पसंख्यक समुदाय की 2800 मेधावी छात्राओं को 10,000 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में दिए गए। पहली बार जम्मू तथा कश्मीर में 300 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई। विकलांग व्यक्तियों के कृत्रिम अंगों तथा उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दी जा रही सहायता योजना में संशोधन करते हुए यह सुनिश्चित किया गया है कि कम से कम 25 प्रतिशत लाभार्थी महिला/बालिका हों।

अनुसूचित जातियों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने से संबंधित अधिनियम को लागू करने के लिए 111.31 करोड़ रुपये करने का प्रावधान किया गया है। यह राशि 10वीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में खर्च की जाएगी जबकि इतनी ही अवधि के लिए पिछली योजना में यह राशि 56.19 करोड़ रुपये थी। राज्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिससे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति(अत्याचार की रोकथाम) अधिनियम, 1989 तथा नागरिक अधिकार अधिनियम, 1955 को बेहतर तरीके सक लागू किया जा सके। अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च स्तर की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना इस मंत्रालय का प्रमुख उद्देश्य है। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना मैट्रिक के बाद छात्रवृति के तहत 10वीं योजना के दौरान एक करोड़ से ज्यादा छात्रवृतियां अनुसूचित जाति के छात्रों को दी जा रही हैं। 3565 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति के छात्रों को मैट्रिक के उपरांत छात्रवृत्ति योजना है।

इंजीनियरिंग, विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृति योजना को 2007 तक बढ़ा दिया गया है। वार्षिक अनुरक्षण भत्ता बढ़ा दिया गया है तथा पारिवारिक आय उच्चतम सीमा को बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति महीने कर दिया गया है।

सफाई कर्मचारियों के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग का कार्यकाल बढ़ाकर 1 सितंबर, 2004 से 31 दिसंबर, 2007 कर दिया गया है।

पिछड़ों वर्गों का विकास

एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है, जो पता लगाएगा कि धार्मिक तथा भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के कल्याण तथा शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए क्या–क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अन्य पिछड़े वर्ग वित्त तथा विकास निगम(एनएमसीएफडीसी) ने आय उपार्जन कार्यों के लिए 93.42 करोड़ रुपये कम ब्याज दर पर दिए। एनबीसीएफडीसी ने राजधानी में आयोजित भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लिया जिससे इसके लाभभोक्ताओं को बाजार मिला।

अल्पसंख्यकों का विकास

दो विधेयकों, संविधान(103वां संशोधन) विधेयक, 2004 तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग विधेयक 2004 को संसद के शीतकालीन सत्र(2004 में पेश किया गया ताकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो सके)।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास तथा वित्त निगम(एनएमडीएफसी) के अधिकृत पूंजी अंश को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये से 650 करोड़ रुपये कर दिया गया है, ताकि निगम अपनी योजनाओं को प्रभावशाली ढंग से लागू कर सके तथा ज्यादा से ज्यादा लाभभोगियो को योजना में शामिल कर सके। 73.65 करोड़ रुपये मंत्रालय ने निगम को सहायता राशि के रूप में दिये। एनएमडीएफसी का बजट बढ़ाकर 21.29 करोड़ रुपये से 71.9 करोड़ रुपये कर दिया गया है ताकि यह बेहतर तरीके से काम कर सके।

मौलाना आजाद शिक्षा संस्थान ने 15 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि गैर सरकारी संगठनों तथा स्थानीय निकायों को शिक्षण संस्थानों के भवनों के निर्माण/विस्तार के लिए दी ताकि अल्पसंख्यकों के बीच शिक्षा को बढ़ावा मिले। अल्पसंख्यक मेधावी छात्राओं को मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृति योजना के तहत दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाकर 1200 से 3000 कर दी गई है। गुजरात के लिए एक विशेष पैकेज देते हुए 402 छात्रवृत्तियां अलग मंजूर की गई है।

केंद्रीय वक्फ काउंसिल द्वारा संशोधित आय सीमा के तहत 662 छात्रों को 6000 रुपये प्रति छात्र छात्रवृत्ति दी गई तथा 1035 छात्रों को 3000 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से तदर्थ अनुदान के रूप में दिए गए। वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए 1.47 करोड़ रुपये ऋण के रूप में दिए गए।

विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

विकलांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण तथा यंत्र उपलब्ध कराने की स्कीम(एडीआईवी) के दायरे में पहले कवर नहीं किए गए क्षेत्रों और दूरूह क्षेत्रों को भी लाया गया और इससे इस कार्य में काफी तेजी आई। पिछले वर्ष पूर्वोत्तर क्षेत्र के असम, मणिपुर त्रिपुरा, सिक्किम तथा मिजोरम राज्यों के विभिन्न जिलों में 53 शिविरों को आयोजन किया गया जिससे लगभग 4,000 विकलांग व्यक्ति लाभान्वित हुए। अक्तूबर, 2004 में पटना में "सामर्थ्य" नामक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिससे विकलांग व्यक्तियों सहायक यंत्रों व उपकरणों का वितरण किया गया तथा पुनर्वास सेवा उपलब्ध कराई गई। लगभग 12,000 विकलांग व्यक्ति उक्त प्रदर्शनी में आये जिससे से 4,721 व्यक्तियों को यंत्र व उपकरण दिए गए तथा 4,500 व्यक्तियों को उनके संबंधित जिला मुख्यालयों से विकलांगता संबंधी लाभ व यंत्र उपलब्ध कराने के लिए सिफारिश की गई। इन शिविरों के लिए 9.32 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए।

15.93 लाख विकलांग बच्चों की पहचान की गई है तथा उनमें से 10.7 लाख बच्चों को नियमित पाठशालाओं में भर्ती किया गया है। विकलांग व्यक्ति, समान अवसर, अधिकारों की रक्षा तथा संपूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1998 की धारा 30 के हित विकलांग व्यक्तियों के लिए भी शिक्षा सुविधा संबंधी दिशा–निर्देश लागू किए जाएंगे। विकलांग व्यक्तियों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। विकलांग व्यक्तियों के लिए समूह ए तथा बी जैसे अन्य संगठनात्मक सेवाओं में भी आरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है।

तंजानिया देश में भारतीय राष्ट्रपति की यात्रा के समय वहां के विकलांग बच्चों के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। लगभग पंद्रह लाख रुपये के सहायक यंत्रों का वितरण किया गयां इस कार्य की तंजानिया निवासियों ने बहुत सराहना की।

राजधानी स्थित भारतीय पुर्नवास परिषद के मुख्य कार्यालय को ऐसे भवन में स्थानांतरित किया गया है, जहां आने–जाने में कोई बाधा नहीं है। यह देश में अपने तरह का पहला उदाहरण है। इसका निर्माण एक सार्वभौमिक डिजाइन के आधार पर किया गया है तथा यह नेत्रहीन और बधिर व्यक्तियों सहित सभी प्रकार के विकलांग व्यक्तियों के लिए सुगम्य है। नेत्रहीन तथा अल्प दृष्टिदोषयुक्त व्यक्तियों के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद ने एक वेबसाईट बनाई है। इसकी सहायता से वे अपनी जरूरत के अनुसार दुनिया की कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस सुविधा को मूक बधिर तथा अन्य गंभीर विकलांग वाले व्यक्तियों के लिए उपयोगी बनाया गया है।

बाधा रहित वातावरण बनाने के लिए राज्य सरकार तथा केंद्र शासित प्रशासनों को आर्थिक मदद उपलब्ध करायी गयी है। बहु–विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए चेन्ई में एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने की मंजूरी दी गई है।

सामाजिक सुरक्षा

विपदा में फंसे बच्चें के लिए शुरू की गई चौबीसों घंटे वाली चाइल्ड लाइन सेवा का विस्तार और 11 शहरों में किया गया है और अब ऐसे शहरों की संख्या बढ़ कर 65 हो गई है।

राजधानी में अंतरराष्ट्रीय में अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर एक स्वास्थ्य पदयात्रा का आयोजन किया गया जिसमें सौ से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया। ग्यारह विशिष्ट, वरिष्ठ नागरिकों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए चिरायु सम्मान से सम्मानित किया गया।

केंद्रीय अभिग्रहण संसाधन एजेंसी() ने दिशा निर्देश जारी किये हैं जिसमें देश भर में एक जैसी दत्तक विधान प्रक्रिया लागू होगी।

सुनामी राहत

मंत्रालय ने सुनामी पीड़ितों के लिए शीघ्र राहत की व्यवस्था की। तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश, केरल तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 2500 सुनामी पीड़ितों की पहचान की गई। प्रभावित इलाकों में बच्चों को आपदा राहत तथा पुनर्वास के लिए चाइल्ड लाइन केंद्र तथा चौबिस उप–केंद्र में प्रारंभ किए गए। बच्चों के लिए तमिलनाडु के कड्डालूर, कन्याकुमारी तथा नागपट्टनम जिलों में परामर्श सेवाएं प्रारंभ की गई। सुनामी प्रभावित अनाथों के पुनर्वास के लिए तमिलनाडु सरकार को 11.68 लाख रुपए दिए गए ताकि तीन बाल घर बनाए जा सके। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के सुनामी राहत कैंप में अवस्थित महिलाओं व बच्चों के लिए खासकर दूध पिलाने वाली माताओं पर विशेष ध्यान देने के लिए 11 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि वहां के राज्य सामाजिक सलाहकार बोर्ड को दी गई। ❑

(साभार : प्रेस सूचना कार्यालय)

शक्तिस्वरूपा नारी अब कानूनन शक्तिमान

चंद्रकला मित्तल

शक्तिस्वरूपा कहलाने वाली मगर सदियों से दलित भारतीय नारियां हाल के दिनों में कानून के मोर्चे पर सचमुच शक्तिमान होकर उभरी हैं। उन्हें अपने उत्पीड़न के दो महत्वपूर्ण कारकों के पुख्ता विरोध का अधिकार और पीढ़ियों से चले आ रहे नकदी के संकट से छुटकारा पाने की राह हाल में हासिल हुई है। उत्पीड़न के यह कारक हैं, घर के भीतर अपने प्रति होने वाली हिंसा का विरोध न कर पाने की मजबूरी और पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी न होने से आर्थिक असुरक्षा के कारण आजीवन अत्याचार सहने की लाचारी। संसद ने इन दोनों ही मोर्चों पर देश की लगभग आधी आबादी को जबरदस्त ताकत दी है। महिलाओं को यह कामयाबी संयुक्त प्रगतिशील सरकार द्वारा अपने चुनावी वायदे को पूरा करके लोकतांत्रिक जवाबदेही की मिसाल कायम करने से मिली है।

इन दो मोर्चों के अलावा देश की लगभग 50 करोड़ महिलाओं को संयुक्त प्रगतिशील सरकार के और एक फैसले का भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप में बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। यह फैसला ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के रूप में देश के उन 73 प्रतिशत लोगों के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा जिन्हें कई बार नमक खरीदने के लिए भी नकद पैसों का अभाव हो जाता है। इस बात की तस्दीक इसी तथ्य से होती है कि नवगठित राज्य छत्तीसगढ़ में प्रदेश सरकार को आदिवासियों, दलितों और अति पिछड़ों को विशेष रूप से 25 पैसे प्रति किलोग्राम की रियायती दर से आयोडीनयुक्त नमक उपलब्ध करवाना पड़ रहा है। यह रियायती दर का नमक राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से छत्तीसगढ़ अमृत के नाम से राज्य के दूरदराज वनवासी क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों के अति गरीबों तक पहुंचाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में यह सहज ही अंदाज लगाया जा सकता है कि साल में 100 दिन का रोजगार हरेक ग्रामीण परिवार के किसी एक समर्थ व्यक्ति को दिलाने की गारंटी सरकार द्वारा लेने और रोजगार न मिलने पर उतने दिन की मजदूरी देने का कानून बनाने से देश के पिछड़ों और गरीबों को कितना बड़ा संबल मिलेगा।

इसका सीधा फायदा परिवार को यानि घर में नून, तेल, लकड़ी के इंतजाम की जिम्मेदारी महिलाओं की होगी। साल में लगभग 6000 रूपए नकद आने से जाहिर है कि उनकी बेगार कम होगी, वे बच्चों और पति को भरपेट खाना दे पाएंगी जिससे उनका स्वास्थ्य सुधरेगा और पति की उत्पादकता तथा बच्चों की पढ़ने–लिखने और समझने की क्षमता बढ़ेगी। नकदी की कमी के कारण औरतों को घर चलाने में हर तरह की दिक्कत आती है। नून, तेल, लकड़ी के इंतजाम की मेहनत और जिल्लत के साथ ही साथ उन्हें बात–बात पर परिवार में और बाहर भी नीचा देखना पड़ता है। बच्चों को अपने पेट से जनने के कारण औरतें अपनी मेहनत से कमाया गया कोई भी उपादान पुरूषों की तरह किसी ऐब या आराम में नहीं खर्च करतीं। ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के अंतर्गत औरतों की इसी प्रवृत्ति के मद्देनजर उनके लिए काम के मौके बड़े पैमाने पर खुल सकते हैं। इससे जाहिर है कि पूरे घर का भला होगा और सदियों से उपेक्षित भारत के गांवों की तकदीर बदलने की राह आसान होगी। वरना तो प्रेमचंद के गोदान उपन्यास के होरी जैसे गरीबी से लाचार परिवारों की हमारे गांवों में कोई कमी नहीं है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के बावजूद गांवों में गरीबी इतनी ज्यादा है कि यह कार्यक्रम ऊंट के मुंह में जीरा साबित होते हैं। लेकिन ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून इस क्रूर विसंगति को दूर करने में काफी हद तक कामयाब हो सकता है।

इससे शक्तिस्वरूपाओं को सचमुच शक्तिमान बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा घरेलू हिंसा निवारण कानून और पैतृक जायदाद में बेटियों को बेटों के बराबर की हिस्सेदारी देने का कानून भी लागू कर दिया गया है। घरेलू हिंसा निवारण कानून में इस बात का साफ प्रावधान है कि पत्नी की पिटाई करता पति किसी के मना करने पर ये कहकर नहीं बच सकता कि मेरी पत्नी है मैं जो मर्जी करूं, तू बोलने वाला कौन है। न ही पुलिस अब ऐसे मामलों को आसानी से रफा–दफा कर पाएगी।

पैतृक संपत्ति के बराबर बंटवारे के कानून के अनुसार बेटियों को भी बेटों की ही तरह कृषि भूमि सहित खानदान में पिता से भी पहले से चली आ रही यानी पैतृक जायदाद में बराबर का हिस्सा लेने का हक दिया गया है। इन दोनों कानूनों से उम्मीद की जा रही है कि औरतें शक्तिमान होंगी और घर के भीतर बेवजह पति या ससुराल वालों की हिंसा को चुपचाप सहने के बजाय उसका विरोध कर सकेंगी। ऐसा करने में उनके आगे पहले की तरह आर्थिक मजबूरी भी आड़े नहीं आएगी, क्योंकि अब वे पति के घर से निकाले जाने के बाद भी बेसहारा नहीं हैं। वे पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से पर दावा करके आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सकती हैं। इन दोनों महत्वपूर्ण कानूनों का यह अतिव्यावहारिक अंतर्संबंध औरतों के लिए वरदान साबित होगा। आने वाले समय में औरतें घर के भीतर पुरूषों की हिंसा पर सख्ती से लगाम कस सकेंगी और साथ ही अपने तथा अपने बच्चों के लिए पति के असहयोग के बावजूद पैतृक संपत्ति के बलबूते अपना निर्वाह कर पाएंगी।

इनके साथ ही महिलाओं की स्थिति सुधारने के संबंध में और एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून है। इसके अंतर्गत हरेक ग्रामीण परिवार के एक समर्थ व्यक्ति को केंद्र सरकार ने साल में 100 दिन का अनिवार्य रोजगार सरकार द्वारा दिए जाने का

प्रावधान किया है। इस महत्वपूर्ण कानून को अगले साढ़े तीन साल में देशभर में लागू किया जाना है। फिलहाल यह 150 जिलों में लागू हो चुका है। इस कानून का प्रत्यक्ष फायदा तो यह होगा कि असहाय या घर से बाहर हो जाने पर भी वे अपना अलग घर बसाकर साल में 100 दिन के रोजगार पर दावा कर सकती हैं और अपने तथा अपने बच्चों के भरण–पोषण के लायक कमा सकती हैं। इसके अलावा अप्रत्यक्ष फायदा यह है कि घर में साल में एक व्यक्ति द्वारा लगभग छह हजार रुपए नकद लाकर दिए जाने पर पूरे परिवार का दोनों वक्त पेट भरने, पोषण का स्तर सुधारने और स्वास्थ्य तथा शिक्षा के बारे में सोचने का मौका घर की औरतों को मिलेगा। इससे उनकी न सिर्फ तकलीफें कम होंगी, बल्कि घर में कलह भी घटेगी, जिससे जाहिर है कि महिलाएं अधिक ताकतवर होंगी।

इसी तरह पंचायती राज में 33 प्रतिशत आरक्षण भी अब औरतों के पक्ष में असर दिखाने लगा है। देश के दूरदराज कोनों में भी दलित–दमित औरतों को पंचायतों के माध्यम से रचनात्मक काम करने और गांव की औरतों की परेशानियां घटाने का मौका मिल रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि अभी तक पंचायती राज संस्था मर्दों के वर्चस्व से मुक्त नहीं हो पाई है, फिर भी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल आदि राज्यों में कुछ बेहद गरीब महिला पंचों, सरपंचों ने अपने अधिकारों के लिए पंचायत पर हावी मर्दों से लड़कर जिस तरह स्थानीय औरतों के हक में काम किया है, उससे शक्तिस्वरूपा वास्तव में शक्तिमान होती नजर आ रही है। औरतें जहां–जहां पंच या सरपंच हैं वहां की पंचायतें औरतों और बच्चों को समर्थ बनाने और उनकी बेगार घटाने संबंधी उपाय कर रही हैं। इसके साथ ही उन पंचायतों में विवादों में भी कमी आई है, अधिकतर काम सर्वसम्मति से हो रहे हैं जिसका फायदा पूरे गांव को मिल रहा है।

औरतों को समर्थ बनाने का एक और महत्वपूर्ण जरिया हाल के वर्षों में स्वयं सहायता समूहों के रूप में सामने आया है। बंगलादेश के ग्रामीण बैंक की कोख से निकली यह योजना छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पूर्वी उत्तरप्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि जैसे दशकों से पिछड़े क्षेत्रों में औरतों का पुरुषार्थ जगाकर उन्हें आर्थिक रूप से समर्थ बनाने में भारी योगदान कर रही है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले और आदिवासी बहुल दंतेवाड़ा जिले में स्वयं सहायता समूहों ने गरीबी और शोषण की मारी औरतों की जिंदगी बदलकर रख दी है। इसके अलावा भी देश के हर कोने में बड़े पैमाने पर औरतों के स्वयं सहायता समूह बन रहे हैं। पिछले वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देशभर में स्वयं सहायता समूहों की संख्या 10.79 लाख को पार कर गई है। मार्च 2007 तक 5.85 लाख स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ने की तैयारी है। यह समूह सिर्फ मसाले और साबुन ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि राज्यों में राशन की दुकान और कई राज्यों में स्कूलों में दोपहर का खाना पकाने और बांटने की भी जिम्मेदारी उठा रहे हैं।

स्वयं सहायता समूहों को केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, जिला प्रशासन और बैंक भी तरह–तरह से बढ़ावा दे रहे हैं। यह समूह धीरे–धीरे खेती के उत्पादन बेचने के कार्य में भी लग सकते हैं। ऐसा होने पर खाद, बीज की कालाबाजारी, नकली माल की खपत और पूरा दाम लेकर कम तौलने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लग पाएगा। इतना ही नहीं केंद्र सरकार की खाद्य प्रसंस्करण नीति और नई कृषि नीतियों में भी स्वयं सहायता समूहों के लिए असीम संभावनाएं हैं। सहकारी समितियों की तर्ज पर यह समूह भी गांव से अनाज, सब्जियां, फल, चारा आदि खरीदकर उन्हें नजदीक के कस्बों की मंडियों में थोक में बेचकर गांव का दुतरफा फायदा कर सकते हैं। इससे एक तो किसान को अपनी उपज का बेहतर दाम मिल पाएगा। दूसरे स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और वे अपने काम का दायरा बढ़ा पाएंगे। आगे चलकर नई कृषि नीति के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह गांवों में ही खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां लगाकर अक्सर सड़कर बेकार जाने वाले फलों और सब्जियों का सदुपयोग कर पाएंगे। साथ ही शहरी बाजारों में उन्हें इन प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का अच्छा दाम मिलने से पूरे गांव की अर्थव्यवस्था में सुधार आने की संभावना जगेगी। दूध को इकट्ठा करके उसके प्रसंस्करण के जरिए भी यह स्वयं सहायता समूह गांव वालों के लिए उसका ज्यादा दाम हासिल कर सकते हैं।

इनके अलावा परिवार में एक ही लड़की होने पर उसकी प्रोफेशनल कोर्स सहित मुफ्त शिक्षा–दीक्षा का जिम्मा केंद्र सरकार द्वारा ले लिए जाने से भी गरीबी और गांव में मौकों से वंचित लड़कियों की जिंदगी में आशा की नई किरण जगेगी और उनकी सामर्थ्य बढ़ाने में, उन्हें शक्तिमान बनाने में भारी योगदान करेगी। इस योजना का अच्छा पहलू यह है कि घर में सिर्फ दो लड़कियां होने पर उनकी शिक्षा–दीक्षा का आधा–आधा खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। इस प्रकार न सिर्फ लड़कियों की संख्या बढ़ाने और लड़कों के मुकाबले लड़कियों की घटती आबादी की रोकथाम में मदद मिलेगी, बल्कि आबादी का असंतुलन भी दूर होगा और साथ ही कस्बों और गांवों की लड़कियां भी बेहतर शिक्षा पाकर समर्थ बन पाएंगी।

इस प्रकार करीब डेढ़ दशक पहले पंचायती राज अधिनियम लागू होने और उसमें औरतों के 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान करने से शुरू हुई औरतों को शक्तिमान बनाने की मुहिम अब कम से कम कानूनी स्तर पर तो मुकम्मिल होती नजर आ रही है। रही बात इन्हें गंभीरतापूर्वक लागू करके समाज की सोच में परिवर्तन की मूक क्रांति लाने की जिम्मेदारी की तो यह काम भी अब पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी और संगठित तरीके से चल रहा है।

हजारों स्वयंसेवी संगठन कस्बों और गांवों के स्तर पर औरतों को जागरूक बनाने तथा मर्दों को अपनी सोच बदलने को तैयार करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। इन संगठनों में भ्रष्टाचार और लीपापोती की प्रवृत्ति से इंकार नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद कई संगठन देश और विदेश में प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार औरतों को शक्तिमान बनाने के पक्ष में परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। अब सिर्फ सामाजिक परिवर्तन और न्याय के लिए लड़ने वाली ताकतों की भूमिका बची है। उन्हें दरअसल इन प्रावधानों को समाज में स्वीकार्यता दिलानी है और औरतों को शक्तिमती बनाकर सबसे ऊंचे पायदान तक पहुंचाना है। ❑

(स्वतंत्र पत्रकार)

ग्रामीण विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सार्थकता

दिनेश मणि

ग्रामीण विकास का प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार पैदा करना तथा इनके आय–स्तर को ऊंचा करना है। विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र के आर्थिक विकास और उल्लेखनीय प्रगति का तब तक कोई मायने नहीं होता जब तक हम ग्रामीण भारत में रह रहे बहुसंख्यक लोगों को एक अच्छा और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने में सफल नहीं हो जाते। स्वतंत्रता के पश्चात विशेषकर नियोजन काल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रगति पथ पर अग्रसर हुई है। उसके परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन आया है। ग्रामीण जीवन में कायाकल्प स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगा है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार प्रवर्तित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के समावेश के फलस्वरूप संभव हो सका है।

ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्रियान्वयन पर तीसरी एवं चौथी पंचवर्षीय योजना के काल से ही बल दिया जाने लगा। वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी एवं विकासात्मक लाभ तो पहुंचाना शुरू कर दिया है, परंतु लक्षित परियोजनाओं का क्रियान्वयन अभी तक होना बाकी है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से इन क्षेत्रों में दूर संचार एवं यातायात के साधनों के विस्तार पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। ग्रामीण विकास के लिए व्यापक पैमाने पर वैज्ञानिक संसाधनों के विस्तार की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगारों के अधिकाधिक सृजन के लिए भी प्रौद्योगिकी के विकास की आवश्यकता है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के अनुसंधान, खादी व ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्रमों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं को क्षेत्रों में अनुभवों के लिए भगीरथ प्रयास करने पड़े हैं। इन प्रयासों का प्रमुख उद्देश्य समुचित प्रौद्योगिकी व विस्तार तकनीकों का व्यापक प्रचार–प्रसार करना है। यहां यह उल्लेखनीय है कि ग्रामीण प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया तेज करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास निगम ने प्रदर्शन, प्रतिकृति और प्रशिक्षण एकक बनाया है जिसका लक्ष्य उन प्रौद्योगिकियों का विकास करना है जिनका उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

गांवों में खुशहाली स्थापित करने के उद्देश्य से नई प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक गतिविधियों को सहयोग, प्रोत्साहन और बढ़ावा देने हेतु सरकार ने 1986 में जनसहयोग और ग्रामीण प्रौद्योगिकी समितियां/केन्द्र हैं जो जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, पटना, चंडीगढ़, हैदराबाद, गुवाहाटी और धारवाड़ में स्थित है। प्रादेशिक समितियों को अपने–अपने प्रदेशों में स्वयंसेवी संस्थाओं को 20 लाख रूपए तक के परिव्यय वाली परियोजनाएं मंजूर करने का अधिकार है।

ग्राम आधारित औद्योगिक परियोजनाएं संस्कृति, कारीगरी तथा साधनों से सम्बद्ध होनी चाहिये। ग्रामीण उत्थान के उद्देश्य वाली ग्राम आधारित उद्योग सम्बन्धी परियोजनाओं का आधार विज्ञान, आवश्यकता, जनसामान्य व संस्कृति होना चाहिये। इसका अर्थ है विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग एकदम आरम्भिक स्तर पर करना ताकि अविकसित दशाओं का सुधार हो सके और लोग जीवन की अपनी बुनियादी आवश्यकतायें पूरी कर सकें। इससे आम लोगों का विज्ञान में विश्वास बढ़ेगा और उनका सहयोग मिलेगा। फलस्वरूप प्रभाव बहुमुखी होगा। स्थानीय कच्चे माल, मानव शक्ति, उद्यमी प्रवृत्ति, कारीगरी और उत्पादनों के उपभोग को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के मूल्यांकन के लिए लागत–लाभ तथा व्यावहारिकता का अध्ययन होना चाहिये।

पिछले दो–तीन दशकों में औद्योगीकरण ने समाज को स्पष्ट रूप से दो वर्गों–धनी व गरीब में विभक्त कर दिया है। इस प्रक्रिया से समाज के 10 प्रतिशत धनिकों और 90 प्रतिशत गरीबों और बेरोजगारों का ध्रुवीकरण हुआ है। इसलिये रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना और सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन के लिये उत्पादन की छोटी–छोटी इकाइयों का ग्रामीण क्षेत्रों में बिखराव देश की वास्तविक जरूरत है। कम खर्च वाली वैकल्पिक प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिये इंजीनियरी और सम्बद्ध विषय का ज्ञान तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल पर बल देना आवश्यक है। यदि यह स्वीकार किया जाता है कि युक्तियुक्त प्रौद्योगिकी के प्रसार, अनुकूलन तथा नवाचारों के लिये मॉडल प्रक्रिया, तंत्र तथा आधार पर विचार करना चाहिये।

ग्रामीण क्षेत्रों में नई प्रौद्योगिकियों को ग्राह्य बनाने के लिये उचित वातावरण तैयार करने के लिये आरम्भ में एक बहुत ही अच्छी आर्थिक पकड़ वाली योजना से शुरूआत होनी चाहिये। इससे भागीदारों को अच्छे बंटवारे के रूप में सुनिश्चित मजदूरी, रोजगार, अतिरिक्त आमदनी तथा सहयोगी धंधा मिल सकेगा। देश के विभिन्न क्षेत्रों की भिन्न–भिन्न आवश्यकताओं के अनुसार चयनात्मक विधि अपनाने की जरूरत है। स्थानीय लोगों पर व्यापक प्रभाव के लिये सही किस्म की परियोजना सही स्थान पर लगनी चाहिये। इससे स्थानीय लोगों में और नई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने वालों में भी अपनी योग्यता के बारे में आत्म विश्वास की भावना जाग्रत होगी।

ग्रामीण संस्कृति तथा ग्रामीण संसाधनों के साथ ग्रामीण प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को समेकित करना अति महत्वपूर्ण है। ग्रामीण आधार वाले उद्योगों के लिए परियोजनाएं ऐसी होनी चाहिए जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से सक्षम होने के साथ–साथ लोगों, समाज और ग्रामीण आवश्यकताओं के अनुरूप हों। यह भी आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र की आवश्यकताओं के अंनुरूप हों। इन उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का उचित प्रदर्शन किया जाना चाहिए जिससे ग्रामीण लोगों के मन पर स्थायी और अमिट प्रभाव पड़े। गांवों में नई प्रौद्योगिकी की स्वीकृति के लिए उपयुक्त तथा सदभावनापूर्ण वातावरण तैयार करने के लिए आर्थिक योजनाओं को लेकर शुरूआत करनी चाहिए

जिससे उसमें भाग लेने वाले समुदाय को अधिक वेतन, स्वरोजगार, अतिरिक्त आमदनी तथा आनुषंगिक व्यवसाय प्राप्त होने के साथ–साथ शीघ्र लाभ उपलब्ध हो सकें। विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताएं भिन्न–भिन्न होती हैं, इसलिए हर क्षेत्र में ऐसी प्रौद्योगिकी अपनाई जानी चाहिए जो वहां की स्थानीय आवश्यकताओं के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो। ऐसा करने से ग्रामीण लोगों के मन में आत्म विश्वास की भावना जाग्रत होगी और उन लोगों के मन में विश्वास कायम होगा जो नई प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के काम में लगे हुए हैं। इस प्रकार ग्रामीण विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सार्थकता सही मायनों में सिद्ध होगी। ❑

(लेखक 'विज्ञान' मासिक पत्रिका के पूर्व संपादक हैं)

प्रमुख फैसले तथा पहलें : विज्ञान और प्रौद्योगिकी

यह वर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी व महासागर विकास मंत्रालय के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा। इस वर्ष के दौरान भारतीय विज्ञान जगत ने नई ऊंचाइयां प्राप्त की। 21वीं सदी की चुनौतियों के मद्देनजर भारतीय वैज्ञानिकों का काम आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लिए गए।

राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति

राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति का मसौदा तैयार कर लिया गया है और इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग की वेबसाइट www.dbtindia.nic.in या www.dbtindia.org पर डाल दिया गया है। इस मसौदे में मानव संसाधन विकास, बुनियादी ढांचा विकास, सृजनशीलता व उद्योग को प्रोत्साहन, जैव प्रौद्योगिकी पार्क, विनियामक प्रणाली, जनसंचार व भागीदारी के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इसके अतिरिक्त, कृषि व खाद्य जैव प्रौद्योगिकी, चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी, जैव संसाधन, पर्यावरण, उद्योग, जैव अभियांत्रिकी, नानो–जैव प्रौद्योगिकी और बायोइंफोर्मेटिक्स के क्षेत्रों में क्षेत्रवार रोडमैप तैयार किया गया है।

सस्ती दवाओं का विकास

सीएसआईआर (वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद) सस्ती दवाओं के विकास के लिए अन्य विकल्पों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। चर्म रोग के इलाज के लिए एक मौखिक हर्बल–दवा विकसित की गई है जिसमें आधुनिक विज्ञान की मदद ली गई है। विपर्यय औषध शास्त्र से इस तरह इतने कम समय में इतनी सस्ती दवाइयों का ईजाद संभव हो सका है। स्वर्णिम त्रिभुज जिसमें पारंपरिक औषधि, आधुनिक औषध व आधुनिक विज्ञान का समावेश है, के प्रयोग से डायबिटीज, कार्सोनोभा, लेशमानसिस व हेपटोकुरेटिव की दवाइयां तैयार की गई हैं।

जापानी ज्वर के लिए निदान किट

दो अनुसंधान व विकास संस्थानों और एक मेडिकल कॉलेज ने मिलकर जापानी ज्वर के लिए "एलिसा" प्रणाली विकसित की है। बंगलूर स्थित एक बायोटेक कंपनी ने इस उत्पाद को निदान के रूप में जेव–चेक्स नाम से बाजार में उतारा है।

क्लीनिकल प्रोटियोमिक्स

क्लीनिकल प्रोटियोमिक्स एक ऐसा क्षेत्र है जहां दवाओं की खोज, टीकों के विकास, रोग–परीक्षण प्रणाली व बायोमार्क्स की काफी संभावनाएं हैं। इसके तहत दिल्ली में तीन सुविधा केंद्र स्थापित किये जा रहे हैं जिसमें ज्यादातर पुरानी बीमारियों के लिए लोगों को अलग–अलग या समूह में परीक्षण किया जायेगा।

स्टेम सेल अनुसंधान व ऊतक–इंजीनियरिंग

इस संबंध में दिल्ली और पूणे में दो अंतर विषयक केंद्र स्थापित किये जा रहे हैं। दिल्ली, वेल्लूर, हैदराबाद, पूणे और बंगलौर में अतिरिक्त स्टेम सेल अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए मूल अनुसंधानकर्ता, चिकित्साकर्मी और उद्योग तीनों मिलाकर सिटी क्लस्टर बनाया गया है।

रिकाम्बिनेंट फार्मा ड्रग्स

पर्यावरण और वन मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया है जिसने संबद्ध हितधारकों से परामर्श कर सभी रिकाम्बिनेंट उत्पादों के कानूनी मंजूरी संबंधी प्रस्ताव को व्यवस्थित करने का मसौदा तैयार किया है। कानूनी मंजूरी संबंधी विभिन्न प्रोटोकॉल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसे शीघ्र ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की नियमावली 1989 के अंतर्गत लागू किया जाएगा।

40 वर्षों के पश्चात टी.बी. की नई दवा

मुंबई की जानी–मानी भारतीय दवा कंपनी ने चार अनुसंधान व विकास संस्थानों के साथ मिलकर टी.बी की एक नई दवा "सूडो टब" विकसित की है। इस दवा के प्रयोग से 2 महीने के अंदर टी.बी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मनुष्य पर इस दवा के क्लीनीकल परीक्षण के लिए अनुमति मांगी गई है। एक जानी–मानी आईटी कंपनी ने सर्वोत्तम 18 शिक्षा संस्थानों व आर एण्ड डी (अनुसंधान व विकास) संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में जेनोनिक्स व ड्रग डिजाइन के क्षेत्र में एक जैव सूचना विज्ञान पैकेज विश्व बाजार में उतारा है जो सस्ती है और आसानी से लाया और ले जाया जा सकता है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से भारतीय अनुसंधान व विकास प्रयोगशाला व छोटे उद्यम जैव सूचना संबंधी गतिविधियों का अंजाम दे सकते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों में साझेदारी का प्रारूप तैयार किया गया है जिससे अनुसंधान व विकास, तकनीकी पूर्णता, तकनीकी की स्वीकार्यता व वाणिज्यीकरण में तेजी आयेगी। दवा, टीकों व रोग–परीक्षण के क्षेत्र में 20 से अधिक परियोजनाएं विचाराधीन हैं।

राष्ट्रीय टी.बी. उन्मूलन मिशन

प्रतिवर्ष 20 लाख लोग टी.बी के चपेट में आ जाते हैं। हालांकि एक व्यापक राष्ट्रीय टी.बी रोकथाम कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मौजूदा उपचार पद्धति में लगातार नौ महीने तक इलाज चलाना पड़ता है जिससे ढ़ेर सारे मरीज पूर्ण उपचार से बीच में ही छूट जाते हैं। मौजूदा उपचार पद्धति की कमियों को दूर करने के लिए एक अंतर मंत्रालय मिशन के गठन की योजना है जो टीकों व रोग–परीक्षण को शामिल करते हुए टी.बी की एक नयी उपचार–पद्धति विकसित करेगी। कुछ दूसरे राष्ट्रीय मिशन भी जल्दी चलाये जाने का विचार है। वे हैं: वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक विकास एस एण्ड टी मिशन।

कृषि जैव प्रौद्योगिकी

अगले दस वर्षों के लिए कृषि जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए भी रोडमैप तैयार कर लिया गया है। इस रोडमैप में पोषकता–वृद्धि,

कीट/रोगाणु के प्रति फसलों की रोधी क्षमता, उपज में सुधार और सूखा व लवणता झेलने की क्षमता पर बल दिया गया है। सरसों के संकर किस्म, विषमजातीय प्रजनन के लिए विकसित की गई है और इनका परीक्षण किया गया है। इस तकनीक से विकसित संकर किस्म से उपज में 55 फीसदी वृद्धि हुई है। कपास, आलू और टमाटर के संकर किस्म को जैविक व अजैविक दबावों को झेलना, पोषकता वृद्धि और फसल देर से पकने की दृष्टि से विकसित की गई है। मूंग की फलियों में 15 ट्रांसजेनिक लाइंस का कीट–प्रतिरोधी क्षमता के संबंध में अध्ययन किया जा रहा है, जबकि 96 गुणसूत्रों की पहचान, वर्गीकरण और मैंग्रोव प्रजाति के साथ संकरण कराया गया है। गुणसूत्र–स्थानांतरण के माध्यम से विकसित चावल की नई किस्म की लवणता झेलने की क्षमता का परीक्षण किया जा रहा है। धान जीनोम रेखीकरण परियोजना का दूसरा चरण भारत में निर्धारित समयावधि में पूरा हो जाने की पूरी संभावना है। कार्यात्मक जीनोम अध्ययन प्रारंभ किया गया है धान के खेतों से एक ऐसे बैक्टिरिया को अलग किया गया है जो लवणता–रोधन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण व फोस्टक विलयन कर सकता है। जैविक खाद के रूप में इसकी प्रभावोत्पदकता का अध्ययन किया जा रहा है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी से 13 सूक्ष्मजैवीय स्ट्रेंस को अलग किया गया है और जैविक खाद के रूप में इसकी उत्पादकता का अध्ययन कर संबंद्ध जैविक कंपनी को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए भेजा गया है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से "माइक्रोटिजाल" जैविक खाद्य विकसित किया गया है और बड़े पैमाने पर प्रयोग के लिए बाजार में उतार दिया गया है। तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश में इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है।

जैव सूचना विज्ञान हेतु रूपरेखा

देश में जैव–सूचना विज्ञान के विकास के लिए व्यापक विचार–विमर्श के बाद एक रूपरेखा तैयार की गई है। जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित किया गया है वे हैं: मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक–निजी क्षेत्र भागीदारी, अंतर–एजेंसी समन्वयन, व औद्योगिक विकास।

मस्तिष्क अनुसंधान के लिए मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज सुविधा

मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग के सुविधा केंद्र की आधारशिला सितम्बर 2004 में रखी गई। इस पद्धति से दिमाग की सही तस्वीर आ जाती है और बीमारी का पता चल जाता है। इस सुविधा का इस्तेमाल देश भर के अनुसंधानकर्त्ता मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को बेहतर ढंग से समझने के लिए करेंगे।

राष्ट्रीय बांस उपयोग मिशन

बांस, जो कि घास की प्रजाति से संबंद्ध है, एक पुनरोप्रयोगी संसाधन है और इसके कई उपयोग हैं। राष्ट्रीय बांस उपयोग मिशन 26 नवंबर 2004 को प्रारंभ किया गया। इस मिशन में बांस के नए–नए उपयोग व उसके विपणन पर बल दिया गया है। विज्ञान व प्रौद्योगिकी की मदद से बांस का तरह–तरह उपयोग जैसे भूकंपजनित क्षेत्रों में आवास–निर्माण, लकड़ी के विकल्प के रूप में, कंपोजिट व ऊर्जा स्रोत तलाशा जा रहा है। इन विभिन्न उत्पादों का आय सृजन, रोजगार सृजन व जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण के लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया जाता है।

नानो–विज्ञान व तकनीकी मिशन

नानो–पदार्थ का मेडीसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स व उद्योगों में व्यापक प्रयोग हो रहा है। नानो के अनुसंधान व विकास के क्षेत्र में वृद्धि संभावनाओं के आधार पर इस उभरते क्षेत्र के लाभों को जन–जन तक पहुंचाने के लिए एक तकनीकी मिशन चलाये जाने का प्रस्ताव है।

पर्यावरण हितैषी जैव कीटनाशक

दिल्ली स्थित अंतराष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र में कृषि–फसल के कीट के लिए निर्मल जैव प्रहार व गन्ना की फसल को कीटों से बचाने के लिए नर्मल बायो–वूली किल नामक दो जैव कीटनाशक विकसित किये गये हैं। इन कीटनाशकों को एक छोटे निजी उद्यम ने बाजार में उतारा है।

सारस–भारत का भावी विमान

भारत के पहले स्वदेशी नागरिक विमान "सारस" की पहली परीक्षण उड़ान 22 अगस्त 2004 को हुई। इस विमान के जरिए देश के छोटे शहरों और दूर–दराज के व परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाया जा सके। यह व्यवस्था छः महानगरों: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और बंगलूर में स्थापित की जा रही है। सरकार व्यापक ग्राम सूचना प्रणाली स्थापित कर रही है जिससे वहां के संसाधनों व आवश्यकताओं का मानचित्रण व योजनाओं का निरूपण किया जा सके।

जल समस्या का समाधान

तटीय ग्रामीण क्षेत्रों व द्वीपों में मीठा जल उपलब्ध कराने के लिए महासागर विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत एक स्वायत संस्था–राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी इंस्टीट्यूट (एनओआईटी) ने कम तापमान थर्मल निःलवणीकरण प्रक्रिया पर आधारित 5000 लीटर प्रतिदिन क्षमता की निःलवणीक इकाई विकसित की है। उल्लेखनीय है कि इन क्षेत्रों में विद्युत की खासी कमी है। इस प्रौद्योगिकी में गहरे सागर का ठंडा जल व सतह पर का गर्म जल को अत्यधिक कम तापमान पर निःलवणीकृत किया जाता है। इस प्रौद्योगिकी में कोई प्रदूषण नहीं फैलता क्योंकि इस प्रौद्योगिकी में किसी रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूर–दराज के क्षेत्रों के लिए यह बिल्कुल सस्ती उपयुक्त तकनीक है। अगले कुछ महीनों में एनओआई कावास्ती व लक्षद्वीप में एक लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला निःलवणीकरण ईकाई लगायेगा।

अंटार्कटिक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल

विज्ञान व प्रौद्योगिकी तथ्य महासागर विकास राज्य मंत्री के नेतृत्व में आठ सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल ने 2–4 फरवरी 2005 को अंटार्कटिका का दौरा किया। यह अब तक किसी मंत्री का बर्फीली द्वीप का पहला दौरा था। इस दौरा का उद्देश्य भारतीय अंटार्कटिक खोज यात्रा के 23वें व 24वें सर्दी व गर्मी दल की वैज्ञानिक व अन्य गतिविधियों की जानकारी लेना था। इस प्रतिनिधिमंडल ने वहां कार्यरत रूसी अंटार्कटिक खोज यात्रा दल के वैज्ञानिक गतिविधयों का भी निरीक्षण किया।

भू–अंतरिक्षीय बुनियादी सुविधाओं का निर्माण

आज के युग में सभी विकास कार्यों के लिए भू–अंतरिक्षीय आंकड़े महत्वपूर्ण होते हैं। मानचित्रण का मौजूदा विनियमों के अनुसार सुरक्षा संबंधी खतरों के मुद्देनजर मानचित्रों का डिजिटल प्रकाशन पर रोक है। सरकार की गहरी निगरानी में एक नई मानचित्र नीति तैयार की जा रही है। इससे मानचित्रों के मानक बनने के साथ–साथ विभिन्न भू–अंतरिक्षीय आंकड़े भी उपलब्ध हो सकेंगे। इसके लिए एक राष्ट्रीय भू–अंतरिक्षीय आंकड़ा ढांचा खड़ा किया जा रहा है जिससे विभिन्न एजेंसियों द्वारा संकलित मानक भू–अंतरिक्षीय आकंड़े एक जगह उपलब्ध हो सकेंगे। भू–अंतरिक्षीय डाटा/मैप के अनुरुप एक ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली (जीपीएस) लगाई जा रही है जिससे यातायात क्षेत्रों को जोड़ा जा सकता है। यह 14 सीटों वाला विभाग उष्णकटिबंधीय देशों में उतरने व उड़ान भरने के लायक बनाया गया है, 900 कि.मी. तक उड़ान 450 कि.मी. प्रति घंटा की चाल से भर सकता है। इस विमान में एम्बुलेंस सुविधा, ड्रूप ट्रांसपोर्ट, सर्वेक्षण, एयर टैक्सी व फीडर एयरलाइन की सुविधा है।

सुनामी पूर्वानुमान व चेतावनी प्रणाली

समुद्र तल में, रिक्टर स्केल पर 7 से अधिक तीव्रता वाला भूकंप

जिससे समुद्र के तल में व्यापक हलचल पैदा हो जाती है, को सुनामी कहते हैं। इससे बड़ी–बड़ी लहरें पैदा होती है। ये लहरें 750 कि.मी. प्रति घंटा से भी ज्यादा गति से आगे बढ़ती है और तट से टकराती हैं। 26 दिसंबर 2004 को उत्तर इंडोनेशिया के पश्चिमी तट पर रिक्टर पैमाने पर 9 से अधिक तीव्रता वाला भूकंप आया। भूकंप की वजह से रैक्टोनिक प्लेटों के खिसकने से भारतीय प्लेट के 1200 कि.मी. तक दूसरी प्लेटें 20 मी. तक ऊपर उठ गई।

प्रशांत महासागर के भूकंप संभावित तटवर्ती क्षेत्रों में प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली लगाने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में 26 देश आते हैं। विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए महासागर विकास मंत्रालय ने भारतीय तटीय क्षेत्रों में सुनामी चेतावनी प्रणाली लगाने का फैसला किया है। इस प्रणाली को विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग, महासागर विकास विभाग व वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संयुक्त तत्वावधान में लगाने की योजना है। इस प्रणाली में हिंद महासागर में पानी के अंदर भूकंप संभावित क्षेत्रों में सुनामी चेतावनी संवेदक यंत्र स्थापित किए जायेंगे। इससे भूगर्भीय हलचल के संबंध में मौजूदा प्रणाली से कहीं ज्यादा सटीक जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही लहरों के संबंध में भी व्यापक जानकारी मिलेगी।

प्राकृतिक आपदा के समय पेयजल की समस्या

वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने प्राकृतिक आपदा के समय पेयजल के गंभीर संकट से निबटने के लिए हाथ से चलाये जाने वाला माइक्रो फिल्टरेशन इकाई विकसित की है जिससे प्रति मिनट जीवाणु और विषाणु से मुक्त 3 लीटर जल मिलेगा। हालांकि अब तक इस तरह के 150 यूनिट लगाए जा चुके हैं और 2000 और यूनिट देश के दूर–दराज के क्षेत्रों में लगाये जाने का लक्ष्य है। इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने की योजना है।

पड़ोस का मानचित्रण

पड़ोस का मानचित्रण एक विशिष्ट कार्यक्रम है। इसे राष्ट्रपति ने वर्ष 2004 के नौ प्रौद्योगिकी अभिनवीकरण के रूप में चिह्नित किया है। इस कार्यक्रम के तहत छात्र जीपीएस व स्वदेशी जीआईएस सॉफ्टवेयर की मदद से हथेली पर रखे जाने वाले कंप्यूटर से अपने आस–पड़ोस का मानचित्र खींच सकते हैं। फिलहाल यह कार्यक्रम अल्मोड़ा और नैनीताल जिले के 20 स्कूलों में क्रियान्वित किया गया है। इसे आगे 30,000 स्कूलों में लगाए जाने की योजना है।

ग्रामीण जैव संसाधन परिसर

ग्रामीण जैव संसाधन परिसर (आरबीसी) सटे हुए 20 गांवों का एक समूह है जिसमें लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए व्यावहारिक व पर्यावरण मैत्री प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराई जाती है। यह कार्यक्रम को राज्य सरकारें, कृषि विश्वविद्यालय, बैंक व एनजीओ साथ मिलकर चला रहे हैं। ❑

राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान

वी.बी. अरोड़ा

भारत की जनसंख्या में लगभग 40 प्रतिशत युवा शामिल हैं। देश का अत्यंत संवेदनशील और सक्रिय हिस्सा होने के कारण युवा हमारे बहुमूल्य मानव संसाधन हैं। उनकी निर्माणकारी और सृजनशील ऊर्जा का अधिकतम लाभ लेने के लिए उनके व्यक्तित्व का विकास करना और राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में उन्हें शामिल करना जरूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए और एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार की युवा विकास गतिविधियों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जरूरत को देखते हुए तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में 1993 में राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान की स्थापना की गई। यह संस्थान अब पूर्णतः संचालित होने की ओर अग्रसर है। इसकी स्थापना का उद्देश्य युवा विकास के क्षेत्र में उन्नत, अध्ययन और प्रायोगिक शोध के माध्यम से युवाओं को 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाना है।

राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान युवा कार्य और खेल मंत्रालय की एक स्वायत्तशासी संस्था है और इसका उद्देश्य युवाओं के लिए सहायक पर्यावरण और औजारों की सुविधा है जिससे उन्हें स्वाभाविक क्षमता से अधिकतम सक्षम बनाया जा सकें। इस संस्थान का लक्ष्य प्रशिक्षण, अनुकूलन, अनुसंधान, विस्तार और राष्ट्रीय स्तर के युवा संगठनों के लिए संपर्क प्रयासों के बीच एक मजबूत और समन्वयकारी संसाधन केन्द्र के रूप में काम करना है।

इन आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर से मिलती–जुलती आधारभूत सुविधाओं से लैस किया गया है जिसमें सुसज्जित सेमिनार और सम्मेलन कक्ष, क्लासरूम और आधुनिक श्रव्य–दृश्य उपकरणों से लैस 500 सदस्यों की क्षमता वाला सभा भवन शामिल है। एक संसाधन केन्द्र के रूप में इस संस्थान के पास एक सुसज्जित और पुस्तकों, पत्रिकाओं और सीडी रोमों से भरपूर पुस्तकालय हैं। संस्थान के पुस्तकालय और सूचना केन्द्र तक पहुंच आसान बनाने के लिए सूचना के ऑनलाइन संग्रह, प्रस्तुतीकरण और प्रसार की व्यवस्था की गई है।

यह संस्थान युवा कार्यक्रमों, नीतियों और क्रियान्वयन रणनीतियों के सिलसिले में एक संसाधन एजेंसी और विचार केन्द्र के रूप में काम करना चाहता है। यह सामाजिक सद्‌भाव और राष्ट्रीय एकता को लक्ष्य मानकर युवाओं के लिए बहुपक्षीय कार्यक्रम तैयार करता है। यह युवा विकास से संबंधित प्रस्तुतीकरण, सूचना, अनुसंधान और प्रकाशन केन्द्र के रूप में काम करता है

संस्थान के पास बहुपक्षीय गतिविधियों को चलाने के लिए पांच विभाग हैं। ये हैं–प्रशिक्षण, अनुकूलन और विस्तार, अनुसंधान, मूल्यांकन, अंतर्राष्ट्रीय युवा विकास विशिष्टता केन्द्र, सामाजिक सद्‌भाव और पंचायती राज संस्थान और युवा कार्य विभाग।

संस्थान का प्रशिक्षण, अनुकूलन और विस्तार विभाग युवा मामले से संबंधित क्षेत्रों से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं के बारे में विचार–विमर्श करने के साथ ही उन्हें तैयार करके क्रियान्वित करता है। जिन परियोजनाओं का लक्ष्य सम्बद्ध जानकारी और कौशल को परिसर से सामुदायिक विकास तक पहुंचाना है उनके समुचित इस्तेमाल के लिए उन्हें अपनाया जाता है। इसके द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के साथ ही विशेष तकनीक को शामिल करते हुए प्रशिक्षण नियमावली और रूपरेखा तैयार की जाती है। युवा विकास के लिए यह प्रमुख

शेष पृष्ठ 29 पर

एन.एच.पी.सी.-एक कारपोरेट निगम

राजेन्द्र कुमार गोयल

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की संकल्पना को निगम की प्रतिष्ठा के लिए रणनीति के रूप में उपयोग करना, विशेष कर नैशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एन.एच.पी.सी.) जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों के लिए काफी अच्छा लगता है। एन.एच.पी.सी. की स्थापना 1975 में राष्ट्र को स्वच्छ ऊर्जा यानि कि जल विद्युत से रोशन करने में मुख्य भूमिका निभाने के उद्देश्य से की गई थी। एन.एच.पी.सी. भारत सरकार का 'ए' श्रेणी का सार्वजनिक उद्यम है जिसकी प्राधिकृत हिस्सा पूंजी 15,000 करोड़ रूपए है तथा निवेश आधार 20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है। अस्तित्व में आने के 30 वर्षों में एन.एच.पी.सी. भारत में जल विद्युत का विकास करने वाली प्रमुख संस्था बन गई है जिसके पास जल विद्युत परियोजना लगाने के लिए संकल्पना से स्थापन तक की योग्यता मौजूद है। एन.एच.पी.सी. लगातार लाभ कमाने वाला संस्थान है। वर्ष 2004–05 में शुद्ध लाभ 684.58 करोड़ रुपए था। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में कार्य निष्पादन के आधार पर एन.एच.पी.सी. ने लगातार 10 सालों से उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त की है।

एन.एच.पी.सी. ने संगठन के लिए लाभ कमाने के साथ–साथ राष्ट्र की सेवा करके उस समाज का निर्माण जो हमें धारण कर सकें का बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों की परिकल्पना देश तथा देश की जनता की सेवा के लिए की गई थी। जिस प्रकार के चुनौती भरे क्षेत्रों में एन.एच.पी.सी. ने अपनी अधिकतर परियोजनाएं पूरी की हैं उससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन द्वारा पूरे राष्ट्र की सेवा की संगठन की प्रतिबद्धता सिद्ध होती है।

एन.एच.पी.सी. का दृष्टिकोण है कि पर्यावरण के प्रति मजबूत धारणा रखते हुए जल विद्युत तथा जल संसाधनों का निरंतर विकास करने वाला एक विश्व स्तरीय, विविध क्षेत्रीय तथा राष्ट्र व्यापी संस्थान बनना। जबकि एन.एच.पी.सी. का लक्ष्य है परियोजनाओं का निष्पादन तथा संचालन कम लागत, पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक – आर्थिक जिम्मेदारी को निभाते हुए करना।

जैसा की संगठन के दृष्टिकोण तथा लक्ष्य से विदित है, संभारिकी रूप से कठिन परिस्थितियों में काम करते हुए भी एन.एच.पी.सी. न सिर्फ अपने कर्मचारियों का ख्याल रखती है बल्कि परियोजना स्थल की स्थानीय जनता की भी सहायता तथा देखभाल करती है। पर्यावरण की संरक्षा तथा सुरक्षा भी निगम के लिए मुख्य विषय है। पर्यावरण के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए एन.एच.पी.सी. ने निगम मुख्यालय तथा तीन पावर स्टेशनों चमेरा – I, बेरा स्यूल तथा सलाल के लिए आई.एस.ओ. 14001 प्रमाण पत्र प्राप्त किया है तथा अन्य परिचालित पावर स्टेशनों के लिए भी यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है। एन.एच.पी.सी. को निगम मुख्यालय में अपनी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए आई.एस.ओ. 9001 प्रमाण पत्र भी प्राप्त है।

एन.एच.पी.सी. की 10 संचालित पावर स्टेशनों की कुल 3755 मेगावाट संस्थापित क्षमता है जिसमें 1000 मेगावाट की इंदिरा सागर परियोजना (मध्यप्रदेश सरकार के साथ संयुक्त उद्यम) भी शामिल है। इन पावर स्टेशनों में उत्पन्न बिजली की आपूर्ति 24 राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों को की जा रही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना तक एन.एच.पी.सी. की कुल 10,000 मेगावाट ऊर्जा जोड़ने की योजना है। आकार तथा गतिविधियों में इस बढ़ोतरी के साथ–साथ एन.एच.पी.सी. ने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में भी अपना निवेश निरंतर बढ़ाया है। प्रत्येक परियोजना/पावर स्टेशन अपने आस–पास के क्षेत्रों में समाज की भलाई के लिए इस प्रकार की गतिविधियां करता है। स्वच्छ तथा हरित जल विद्युत का उत्पादन करके निगम जहां एक ओर परोक्ष रूप से देश तथा जनता की सेवा कर रहा है वहीं प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से रोजगार भी मुहैया करा रहा है। निगम अपने आस–पास के लोगों के हितों के लिए भी जरूरी कदम उठाता है।

सामान्यतः जल विद्युत परियोजनाएं दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित होती हैं जहां बहुत कम जनसंख्या होती है तथा जो गरीब, निरक्षर तथा हर मामले में पिछड़ी होती है। उस क्षेत्र में जल विद्युत परियोजना के लगने के कारण रोजगार के अवसर पैदा होते हैं जिससे आर्थिक स्तर तथा जीवन स्तर में सुधार होता है। परियोजना क्षेत्र में निधियों का प्रवाह होने से आर्थिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं। क्षेत्र में पहुंचने के लिए सड़क बनने तथा दूर संचार का जाल बिछने से वहां रहने वाले लोग भी बाहरी दुनिया से अपना संपर्क बनाते हैं जिससे दूसरी जगह होने वाले विकास कार्य/आधुनिकीकरण के बारे में उन्हें भी पता चलता है। मूलभूत जरूरतें तथा आधारभूत सुविधाएं जैसे कि अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, शिक्षा सुविधाएं, पीने के पानी की योजना, बिजली इत्यादि जो परियोजना के लोगों के लिए बनाई जाती हैं, वहां रहने वाले अन्य लोगों के भी काम आती हैं।

इन सबके अलावा जल विद्युत परियोजनाओं से प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से भी कई पर्यावरणीय लाभ हैं। प्रत्यक्ष लाभ के रूप में प्रदूषण रहित तथा स्वच्छ बिजली तथा वनीकरण के कारण वन क्षेत्र में होने वाली बढ़ोत्तरी शामिल हैं। परोक्ष रूप से देखें तो कोयले को मुख्य स्रोत मानते हुए जल विद्युत परियोजना के स्थान पर थर्मल परियोजना लगाने पर उससे होने वाले प्रदूषण तथा ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव शामिल हैं। इसके अलावा ज्यादा सिंचाई तथा अनाज उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, रोजगार तथा जीवन स्तर में व्यापक सुधार इत्यादि समाज के लिए अन्य फायदे हैं।

पर्यावरण के प्रति जागरूकता रखते हुए एन.एच.पी.सी. में पर्यावरण पर प्रभाव का व्यापक आकलन किया जाता है। जिसमें पर्यावरण के सभी पहलुओं (भूमि, जल, हवा, सामाजिक – आर्थिक इत्यादि) का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण पर प्रभाव के आकलन की रिपोर्ट के आधार पर पर्यावरण प्रबंधन योजना जैसे की जलग्रहण क्षेत्र सुधार योजना, वनीकरण, जैव–विविधता का संरक्षण, खनन क्षेत्र का प्रत्यावर्तन, स्थल की सुंदरता, पुनःस्थापना तथा पुनर्वास योजना तैयार की जाती है तथा उन्हें लागू किया जाता है। यह सभी कदम वन व पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निवेश की मंजूरी मिलने के पहले अनुमोदित किए जाते हैं।

एन.एच.पी.सी. द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण योजना वन व पर्यावरण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार लागू की जाती है। इसके अलावा एन.एच.पी.सी. द्वारा अपने स्तर पर भी विभिन्न परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर वनीकरण किया गया है। एन.एच.पी.सी. द्वारा अभी तक अपनी सभी परियोजनाओं में 80 लाख पेड़ लगाए गए हैं। एन.एच.पी.सी. अपनी सभी परियोजनाओं में हर्बल पार्क भी विकसित कर रही है।

किसी भी क्षेत्र की जैव–विविधता को बचाए रखने के लिए एन.एच.पी.सी. द्वारा सभी जरूरी कदम उठाए जाते हैं। विशेषज्ञों की मदद से विस्तृत अध्ययन करके प्रभावित होने वाली प्रजातियों की सूची बनाई जाती है जिनमें दुर्लभ/एनडेन्जर्ड/एन्डेमिक किस्म की प्रजातियों को भी शामिल किया जाता है। स्थानीय विशेषज्ञों के साथ मिलकर समुचित आर्थिक प्रावधानों के साथ आवश्यक संरक्षण योजना बनाई जाती है तथा उसे सही मायने में लागू किया जाता है। इसके अलावा एन.एच.पी.सी. पक्षियों अथवा जानवरों के किसी भी वन अभ्यारण में आने वाले क्षेत्र में जल विद्युत परियोजना नहीं शुरू करती है।

चमेरा परियोजना में एन.एच.पी.सी. ने प्रभावति होने वाले पेड़ों से 100 गुना अधिक पेड़ लगाए हैं। दुल्हस्ती परियोजना में यह 1000 गुना तथा रंगित में यह 60 गुना हैं। एन.एच.पी.सी. प्रजातियों के चुनाव पर विशेष ध्यान देती है तथा ज्यादातर वो नस्ल लगाई जाती है जो फल, चारा तथा ईंधन की मांग को पूरा कर सके। एक ही किस्म के पेड़ लगाने से बचा जाता है। मिट्टी संरक्षण के लिए जल्दी बढ़ने वाली प्रजातियों जिनमें मिट्टी को पकड़ने की अच्छी क्षमता हो को तरजीह दी जाती है। स्थानीय हर्बल तथा प्राकृतिक नस्लों के संरक्षण के लिए एन.एच.पी.सी. की विभिन्न परियोजनाओं जैसे कि चमेरा I, चमेरा II, उरी, रंगित, टनकपुर तथा धौलीगंगा में हर्बल पार्क बनाए गए हैं।

स्थानीय जनता की जरूरतों तथा आशाओं को पूरा करने के लिए उस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए एन.एच.पी.सी. द्वारा विभिन्न सामाजिक तथा सामुदायिक विकास की योजना चलाई जाती हैं। उन क्षेत्रों में जहां परियोजनाएं स्थित हैं एक सम्पूर्ण आर्थिक तथा आधारभूत विकास हुआ है जिससे स्थानीय जनता के रहन–सहन में सुधार का मौका मिला है। परियोजना से प्रभावित लोगों के पुनर्वास पर योजना के स्तर से ही एन.एच.पी.सी. द्वारा विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रभावित लोगों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करके पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास की योजना राज्य के राजस्व अधिकारियों तथा स्थानीय जनता के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर बनाई जाती है। उनके सामाजिक विकास तथा जीवन स्तर को सुधारने के प्रयास किए जाते हैं। उनको उपलब्ध कराया जाने वाला आवास उनके घर/झोपड़ी से बेहतर होता है। उनके घर तथा जमीन के बदले मिलने वाले मुआवजे के अलावा घर, शिक्षा की सुविधा, परियोजना के अस्पताल में मिलने वाली चिकित्सा सुविधा, रोजगार, व्यवसायिक प्रशिक्षण, पीने के पानी की सुविधा, संचार सुविधा इत्यादि उनको मिलने वाली अन्य सुविधाएं हैं। ❑

(स्वतंत्र पत्रकार)

(पृष्ठ 27 का शेष) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान

प्रशिक्षण सामग्री और विशेषज्ञता उपलब्ध कराता है।

अनुसंधान, मूल्यांकन और प्रस्तुतीकरण विभाग क्रियाशील अनुसंधान चलाता है जिससे युवाओं की वर्तमान आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की जानकारी जुटाने और नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने में मदद मिलती है।

राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान युवा विकास के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय स्तर के प्रस्तुतीकरण और सूचना प्रसार केन्द्र के रूप में भी काम करता है। संस्थान देश के विभिन्न भागों में जारी प्रयासों और प्रयोगों का विस्तृत रूप से प्रस्तुतीकरण करता है। संस्थान का युवा विकास पर आधारित कंप्यूटरीकृत डाटाबेस, सूचना उत्पाद और इंटरनेट सेवाएं अनुसंधानकर्ताओं के लिए उपयोगी हैं। सूचना प्रसार के तौर पर यह संस्थान युवा विकास से संबंधित एक समाचार पत्रिका, बुलेटिन, अनुसंधान रिपोर्ट और विभिन्न अवसरों पर प्रपत्र जारी करने के साथ ही "प्रयत्न" नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित करता है।

यह संस्थान वर्तमान राष्ट्रीय संदर्भ में युवाओं की आवश्यकताओं ध्यान में रखते हुए युवा विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बहु–विध रणनीतियां तैयार करने के साथ ही लगातार यह सुनिश्चित करने के प्रयास में लगा रहता है कि इन कार्यक्रमों का मनोवांछित असर हो। अपने विभिन्न कार्यक्रमों में यह मूल्य आधारित युवा विकास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक घटकों को शामिल करता है। संस्थान ने युवाओं को प्रेरित करने और उनके सशक्तिकरण पर आधारित वैसे कार्यक्रमों की श्रृंखला का संचालन किया जिससे सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय गौरव के साथ ही पारंपरिक मूल्यों को बढ़ावा मिले। युवाओं के लिए उद्यमिता विकास और उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने वाले कई अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए जिनमें स्व–सहायता समूहों आदि के लिए बाजार नीतियों को भी शामिल किया गया। इनके माध्यम से देश के उत्तरी–पूर्वी क्षेत्र के युवाओं के लिए मार्गदर्शन देने, राष्ट्रीय और अन्य महत्वपूर्ण दिवसों के कार्यक्रमों, राष्ट्रीय स्तर के विषयपरक सेमिनारों और कार्यक्रमों, अनुसंधान और विस्तार परियोजनाओं और प्रस्तुतीकरण तथा प्रकाशन से संबंधित विशेष कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए।

इस संस्थान का अंतर्राष्ट्रीय विशिष्ट युवा विकास केन्द्र, युवाओं से जुड़े समसामयिक विषयों पर रणनीतियों और पहुंच के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करता है। यह केन्द्र सीमाओं के घटते महत्व और भूमंडलीकरण के इस युग में विश्व के लिए युवाओं को तैयार करता है। इसने राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम, यूएनईपीए, दक्षेस और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ संपर्क कायम किया।

हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और बहुलवादी परंपराओं को बढ़ावा देने के क्रम में अगस्त, 2004 के दौरान सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय अखंडता नामक नये विभाग का सृजन किया। यह विभाग युवाओं को पंचायती राज संस्थाओं की अवधारणा, शक्ति, कार्यकलाप, भूमिका और जिम्मेदारी की जानकारी देने के साथ ही उन्हें ग्राम सभाओं के गठन, सामुदायिक संपत्ति के संरक्षण और अन्य संस्थाओं के भागीदारी बढ़ाने के बारे में उन्हें प्रोत्साहित करता है। इससे युवा गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के लाभार्थियों के चयन के साथ ही उनके क्रियान्वयन के सिलसिले में अपना सहयोग देने में सक्षम होते हैं।

कुल मिलाकर, यह विभाग स्वदेशी ज्ञान के साथ संगठित और असंगठित क्षेत्र के युवाओं के बीच सेतु स्थापित करने के लिए बहुपक्षीय और अंतरक्षेत्रीय पहुंच पर ध्यान देता है।

इस संस्थान में छात्रावास और अतिथि गृह में रहने और खाने–पीने की अच्छी सुविधा है। संस्थान के परिसर में शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए आवास भी उपलब्ध है। इससे क्लास रूम से बाहर शिक्षकों और प्रशिक्षुओं के बीच संस्थान के हरे–भरे माहौल में अनौपचारिक संपर्क को बढ़ावा मिलता है। ❑

(साभार : प्रेस सूचना कार्यालय)

भारतीय चाय तथा कॉफी उद्योग से जुड़े प्रश्न

गिरीश चंद्र पाण्डे

केंद्र सरकार ने वर्ष 2005–06 के बजट में बगान क्षेत्र में व्याप्त कठिनाईयों पर चिंता व्यक्त करते हुए बड़े पैमाने पर पुनर्रोपण और पुनर्नवीकरण संबंधी कार्यक्रम में तेजी लाने का आश्वासन दिया था। अब लगता है कि उसी आश्वासन की पूर्ति में हाल ही में सरकार ने बागान क्षेत्र में नई जान फूंकने के प्रयास में चाय क्षेत्र के आधुनिकीकरण हेतु 93 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था करते हुए साथ में कॉफी उद्योग के लिए 95.70 करोड़ रुपये विशेष कॉफी मियादी ऋण के अंतर्गत ब्याज सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। इसके अलावा, कॉफी बोर्ड के पक्ष में बकाया लगभग 24 करोड़ रुपये ब्याज सहित कॉफी विकास ऋण को बट्टे खाते में डाल दिया गया है। इसके अलावा, कॉफी बोर्ड कॉफी उत्पादकों को प्रदान किए गए 64.59 करोड़ रुपये के पुराने विकास ऋणों की माफी करेगा। साथ ही सरकार बैंकों से यह भी अनुरोध करेगी कि वे एलटीसीएल पर लगाए जाने वाली ब्याज दरों को कम करे। सरकार ने चाय क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु 28 करोड़ रुपये का पैकेज भी स्वीकार किया है जिसके अंतर्गत एसोसिएस टोकलाय(असम) और युनाइटेड प्लांट्स एसोसिएशन फॉर सदर्न इंडिया–टी रिसर्च–फाउंडेशन तमिलनाडु को वर्ष 2004–05 से पांच वर्षों हेतु वास्तविक घाटे की पूर्ति हेतु पैकेज की व्यवस्था करेगा। उल्लेखनीय है कि चाय क्षेत्र के आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान करना भी शामिल है। यह सब्सिडी आर्थोडाक्स चाय के उत्पादन पर लीफ ग्रेड के लिए 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर तथा डस्ट ग्रेड पर 2 रुपये प्रति किग्रा. की दर पर उत्पादन के मौजूदा स्तर पर प्रदान की जाएगी। इससे निश्चित तौर पर दक्षिणी राज्य लाभान्वित होंगे।

गौरतलब है कि भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश ही नहीं सबसे बड़ा चाय उपभोक्ता देश भी है। जिसकी विश्व के चाय उत्पादन में लगभग 28 प्रतिशत और विश्व व्यापार में 14 प्रतिशत की भागीदारी है। भारत के घरेलू उत्पाद की लगभग 20 प्रतिशत चाय निर्यात की जाती है। विश्व के 80 देश भारत से चाय का आयात करते हैं। इनमें इग्लैंड, अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात, पोलैंड, रूस, जर्मनी, इराक और जापान प्रमुख हैं। निर्यात के लिए भारत चाय की कुछ किस्मों का आयात भी करता है। कुल आयातित चाय का 95 फीसदी हिस्सा वेल्यू एडीशन के बाद वापस निर्यात कर दिया जाता है। वर्तमान में मौजूद एक्जिम पालिसी के तहत चाय के निर्यात पर कोई पाबंदी नहीं है और इस नीति के अंतर्गत 100 प्रतिशत आयात शुल्क के साथ चाय के आयात की अनुमति है।

बागान फसलों के मध्य कॉफी ने भी पिछले 50 वर्षों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यद्यपि इस उद्योग की विश्व उत्पादन में केवल 4 प्रतिशत की भागीदारी है। फिर भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में विशेषकर इंडियन रोबस्टास ने अपनी गुणवत्ता तथा अच्छे मिश्रण के कारण अपनी पैठ बना ली है। भारत से अरबिक कॉफी की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अच्छी मांग है। हाल के वर्षों में कॉफी

तालिका–1

हाल के वर्षों में चाय की खपत, उत्पादन तथा व्यापार की स्थिति इस प्रकार है–(मात्रा : मिलियन कि.ग्रा., मूल्य : करोड़ रुपये)

वर्ष	उत्पादन मात्रा	निर्यात मात्रा	मूल्य	आयात मात्रा	मूल्य	घरेलू खपत मात्रा
1997–98	835.6	211.3	2003.2	2.6	17.8	597
1998–99	855.2	205.9	2191.8	8.9	64.7	615
1999–2000	836.8	188.9	1796.3	10.4	62.0	633
2000–01	848.4	203.6	1889.8	15.2	95.5	653
2001–02	847.4*	190.0	1695.8	16.8	86.7	673
2002–03	837.6*	184.4	165.1	22.5	105.3	693
2003–04	850.5*	183.1	1636.9	11.1	67.0	714
2004–05 अप्रैल–अक्तू.	623.1	103.8	904.9	23.1	99.8	735 #
(अनुमानित)	(652.8)	(102.2)	(974.9)	(6.3)	(38.1)	

* अनंतिम। कोष्ठकों में आंकड़े गत वर्ष की तदनुरूप अवधि के लिए हैं। $ कैलेण्डर वर्ष से संबंधित, # पूरे कैलेण्डर वर्ष के लिए।

स्रोतः वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

की गिरती कीमतें भारत सहित कॉफी उत्पादक देशों के लिए चिंता का विषय है। इसलिए भारत सरकार ने काफी उत्पादकों द्वारा वाणिज्य बैंकों से लिए गए ऋणों का नए सिरे से स्थिरीकरण/पुनर्निर्धारण करने तथा कॉफी उत्पादकों को ब्याज राहत देने हेतु कई कदम उठाए हैं, जिनमें वित्तीय संस्थाओं से ली गयी कार्यशील पूंजी ऋणों पर काफी उत्पादकों को ब्याज राहत प्रदान करना, कॉफी के घरेलू उपयोग को

तालिका–2

हाल के वर्षों में काफी उत्पादन, निर्यात तथा उपभोग की स्थिति इस प्रकार है–

वर्ष	उत्पादन	मात्रा	निर्यात करोड़ रुपए	मिलियन अमरीकी डालर	लाख टन घरेलू खपत
1997–98	2.28	1.79	1708	477	0.50
1998–99	2.65	2.12	1752	431	0.50
1999–2000	2.92	2.45	1901	371	0.55
2000–2001	3.01	2.47	1374	243	0.60
2001–2002	3.01	2.13	1050	246	0.64
2002–2003	2.75	2.07	1051	234	0.64
2003–2004	2.75	2.32	1158	262	0.70*

* अनन्तिम

स्रोत–वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

बढ़ावा देने हेतु अभियान चलाना, कॉफी उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु उसकी गुणवत्ता तथा उत्पाद में सुधार के लिए काफी क्षेत्र हेतु विनिर्दिष्ट मशीनरी पर 5 प्रतिशत तक आयात शुल्क घटाना तथा घटी ब्याज दरों पर कॉफी उत्पादकों को कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराने हेतु वाणिज्यक बैकों को आश्वस्त करना शामिल है।

गौरतलब है कि देश के 98 फीसदी चाय का उत्पादन छोटे उत्पादक वर्ग के अंतर्गत आता है जबकि भारत के कुल चाय उत्पादन में उनकी भागीदारी 21 प्रतिशत से ज्यादा है बाकि दो फीसदी बड़े उत्पादक 79 प्रतिशत चाय का उत्पादन करते हैं। स्पष्ट है कि बहुसंख्यक छोटे उत्पादकों की हालत अच्छी नहीं है और उनके समक्ष वर्तमान में रोजी–रोटी का संकट पैदा हो गया है।

भारत के चाय उत्पादन क्षेत्रों को मुख्यतः उत्तर तथा दक्षिण दो भागों में विभक्त किया जाता है। उत्तर भारतीय चाय क्षेत्र में उत्पादित चाय की बिक्री कोलकाता, सिलीगुड़ी, दार्जलिंग, गुवाहाटी स्थित चाय नीलामी केंद्रों से की जाती है जबकि दक्षिण भारत में कोच्ची, कन्नूर तथा कोयम्बटूर प्रमुख हैं। पिछले कुछ वर्षों से चाय के निम्न नीलामी मूल्य विशेषकर दक्षिण भारत में चिंता का विषय बन रहे हैं। यद्यपि चाय का औसत अखिल भारतीय नीलामी मूल्य जो वर्ष 1991 में 66.87 रुपये प्रति किलोग्राम था उसमें 1998 तक तेजी आयी परंतु वर्ष 1999 से गिरावट देखी गयी और वर्ष 2003 में यह 56.00 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। फलस्वरुप, भारत सरकार ने चाय उत्पादकों के कल्याण हेतु कई कदम उठाए। उसने चाय, कॉफी और रबर जैसी बगानी फसलों के लघु और सीमांत किसानों को राहत पहुंचाने हेतु अनेक उपाय किए जिसमें इन उत्पादकों हेतु चाय पर 1 रुपया प्रति किलोग्राम उत्पादक शुल्क को समाप्त करने तथा उसके स्थान पर चाय बगान क्षेत्र के विकास, आधुनिकीकरण तथा पुनर्वास के लिए 500 करोड़ रुपए की मूल्य स्थिरीकरण निधि की स्थापना की गयी लेकिन यह निधि बहुत ही प्रभावी तथा लोकप्रिय सिद्ध नहीं हुई। अतः सरकार ने निधि और इसके प्रचालन में सुधार हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ द्वारा चाय उद्योग को सहायता प्रदान करने हेतु घोषित ऋण राहत पैकेज का कार्यान्वयन, बॉट लीफ फैक्ट्रियों तथा लघु चाय उत्पादकों के मध्य चाय की बिक्री प्राप्तियों का समान वितरण सुनिश्चित करने हेतु मूल्य साझेदारी फामूर्ला प्रारंभ करना तथा चाय उद्योग हेतु आईटी आधारित सूचना प्रसारण योजना का कार्यान्वयन जिसमें मैनुअल नीलामी केंद्रों में परिवर्तित करने जैसे महत्वपूर्ण उपाय किए गए। सरकार का विचार चाय बागानों के पुनःरोपण तथा उनको नया रूप देने हेतु और चाय की घटती उत्पादकता को देखते हुए 10 अरब की एक निधि स्थापित करने का भी है जिसके उपयोग से आगामी वर्षों में 2 लाख 12 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में चाय रोपण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा भारत में सस्ती तथा घटिया किस्म की चाय की डम्पिंग समस्या भी गंभीर है। वर्ष 2004 में भारत के चाय के आयात में हुई 200 प्रतिशत की बढ़ोतरी इसका प्रमाण है। इसलिए भारतीय चाय उद्योग ने सरकार से आयातित चाय पर 50 प्रतिशत वैल्यू एडिशन लगाने का अनुरोध किया।

निःसंदेह वर्तमान में चाय उद्योग के समक्ष गंभीर समस्याएं मौजूद हैं जिनमें ज्यादा उत्पादन लागत, गुणवत्ता में गिरावट, पुराने पौधे, उचित प्रबंधन का अभाव, चाय मजदूरों व प्रबंधकों के बीच अमैत्रीपूर्ण संबंध, निर्यात बाजार से कड़ी प्रतिस्पर्धा प्रमुख है। असम में चाय उद्योग की गिरावट के कारणों हेतु गठित समिति का आकलन है कि चाय बागानों के मजदूरों की मजदूरी इतनी कम है कि उसे हम कुल उत्पादन लागत का लगभग 50 प्रतिशत कह सकते हैं। भारत को इस समय श्रीलंका, कीनिया, वियतनाम जैसे देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है श्रीलंका से मुक्त व्यापार की नीति के कारण कम कीमत पर भारत में चाय निर्यात होने से घरेलू मूल्य पर दुष्प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। भारत में मुख्य चाय उत्पादक राज्य असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक, उत्तरांचल, बिहार, मध्य प्रदेश तथा जम्मू–कश्मीर हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि उत्तरांचल चाय की महक अब अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच गयी है। उत्तरांचल के चाय बगान उत्तम किस्म की आर्थोडक्स क्वालिटी की पत्तियों के लिए विश्व में ख्यात हैं। लेकिन समस्या उचित संरक्षण तथा विकास की है। निःसंदेह उत्तरांचल की चाय असम तथा दार्जिलिंग के कई क्षेत्रों में उगाई जाने वाली सीटीसी क्वालिटी की चाय के मुकाबले स्वादिष्ट है। जहां दार्जलिंग की चाय 70 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है वहीं उत्तरांचल की चाय 120–150 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है। दक्षिण कोरिया में यह 600–700 रुपए प्रति किलाग्राम बिक रही है। गौरतलब है कि उत्तरांचल

में चाय बागान उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में अंग्रेजों द्वारा लगाए गए थे। वर्तमान में उत्तरांचल की चाय दक्षिण कोरिया, जर्मनी, स्विटजरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात की जाती है। भारत में चाय निर्यात में आई गिरावट का एक मुख्य कारण यह रहा कि जहां हमारे प्रतियोगी देश चाय के निर्यात को प्रोत्साहन देने में लगे थे वहीं दूसरी ओर हम घरेलू बाजार की चाय की मांग को बढ़ाने के प्रति चिंतित रहे। यहां तक कि हमने इस पर निर्यात शुल्क लगाया जिसके परिणामस्वरूप दार्जीलिंग सहित सभी चाय किस्मों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके अलावा सोवियत संघ के विघटन ने भी हमारे चाय निर्यात पर खराब प्रभाव डाला क्योंकि चाय निर्यात बाजार के हिसाब से सोवियत रूस हमारा प्रमुख भागीदार था और वहां हमारे कुल चाय निर्यात का 52 प्रतिशत खपत होती थी। इसके साथ ही श्रीलंका तथा कीनिया की बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा से यह उद्योग प्रभावित रहा। गौरतलब है कि चाय की पत्तियों का आकार तथा मौसम के मिजाज़ ने भी चाय उत्पादन पर विपरीत प्रभाव डाला। दार्जीलिंग बगानों में जहां चाइना तथा चाइना हाइब्रिड का पौध रोपण किया जाता है और जिनकी पत्तियां छोटी होती हैं वहीं असम बगानों के चाय पत्ते अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। परिणामस्वरूप दार्जीलिंग का एक कामगार एक दिन में लगभग 8 किग्रा. चाय की पत्तियां चुन पाता है वहीं असम का कामगार 25 किग्रा. पत्तियां चुन लेता है। इसी प्रकार दार्जीलिंग में चाय की खेती नौ माह की जाती है जबकि असम में चाय की खेती 10 माह और दक्षिण भारत में पूरे साल की जाती है। इसके बावजूद दक्षिण भारत में पैदा होने वाली चाय का विदेशों में घटता बाजार और इसका कम नीलामी मूल्य चिंताजनक है। सरकार ने इस उद्योग हेतु मूल्य सब्सिडी स्कीम भी चालू की है जिसमें छोटे चाय उत्पादकों को उनके उत्पादन का कम मूल्य मिलने की दशा में सुरक्षा प्रदान की जा सके। उत्तरांचल में यह प्रयोग चल रहा है।

निश्चित तौर पर चाय उद्योग के समक्ष संकट इसके गिरते उत्पादन तथा विदेशों की प्रतिस्पर्धा की वजह से है। इसलिए उपर्युक्त बातों के अलावा हमें मौजूदा श्रम कानूनों की समीक्षा करनी होगी, कामगारों की कार्यदशाओं में सुधार लाना होगा, उनके लिए बीमा की व्यवस्था तथा इमदादी दर पर ईंधन, खाद्यान्न, आवास उपलब्ध कराने की सख्त जरूरत है। इसके साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि भारत के विभिन्न राज्यों में चाय उत्पादन के क्षेत्रों का पता लगाकर तथा उन्हें आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर चाय उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। एक महत्वपूर्ण उपाय इस उद्योग के ऊपरी खर्चों तथा रिकरिंग लागत को कम करना भी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसे महत्वपूर्ण उपायों से निःसंदेह इस उद्योग को संभलने का मौका मिलेगा। ❑

(स्वतंत्र पत्रकार)

किसानों के हितों के संरक्षण की दिशा में एक बड़ी पहल

एसपी और एसएसएम के मुद्दे को हांगकांग वार्ता में शामिल करने के लिए जी–4 देशों ने भाग लिया

भारत और विकासशील देशों के किसानों के हितों के संरक्षण की दिशा में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री कमलनाथ ने एक बड़ी पहल के रूप में जी–4 देशों (इसमें अमरीका, यूरोपीय संघ, ब्राजील और भारत शामिल है) तथा जापान को इस बात के लिए अपने साथ लिया है कि वे विश्व व्यापार संगठन की हांगकांग में होने वाली मंत्रीस्तरीय वार्ता के एजेंडे में विशेष उत्पादों (एसपीएस) और विशेष सुरक्षा प्रणाली (एसएसएम) के मुद्दे शामिल किए कराएंगें। **एसपी** और **एसपीएस** भारत और विकासशील देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि इन दोनों के जरिए विकासशील देश विश्व व्यापार संगठन की कृषि वार्ता में अपने कृषि संबंधी हितों की रक्षा कर सकते हैं। **एसपी** वे उत्पाद हैं जिन पर शून्य कटौती या न्यूनतम शुल्क कटौती की व्यवस्था की गई है, जबकि **एसएसएम** के जरिये सब्सिडी प्राप्त आयातों से होने वाले नुकसान से विकासशील देश अपना बचाव कर सकते हैं। लंदन में आयोजित जी–4 देशों की बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री महोदय ने इस बात पर जोर दिया कि एसपी और एसएसएम के मुद्दों पर उसी प्रकार विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जिस प्रकार कृषि वार्ता के अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। इस बैठक का आयोजन भारत ने किया था और जापान ने इसमें विशेष आमंत्रित देश के रूप में भाग लिया था।

गैर–कृषि बाजार पहुंच (एनएएमए) में शुल्क कटौती के एकल नियांतांक के यूरोपीय संघ के प्रस्ताव को भारत और ब्राजील ने पूरी तरह नकार दिया।

सेवा क्षेत्र के मामले में कमलनाथ ने सभी चार रूपों में पूरे संतुलन पर जोर दिया और सेवा क्षेत्र को खोलने के लिए संख्यात्मक बैंचमार्किंग की अवधारणा को नकार दिया। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से **जीएटीएस** का बुनियादी स्वरूप ही बदल जाएगा और बहुत से देश इसे स्वीकार नहीं करेंगे।

कमलनाथ, यूरोपीय संघ के व्यापार आयुक्त पीटर मेंडसन, अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि, राबर्ट पोटमैन, ब्राजील के विदेश मंत्री, सेल्स अमोरिम और जापान के मंत्री, नाकागावा और निक्की ने विचार–विमर्श को सकारात्मक और उपयोगी बताया। ❑

एड्स से बचें और बचाएं

रूपेश श्रीवास्तव

एड्स अथवा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिसिऐन्सी सिन्ड्रोम एक ऐसा शब्द है जो प्रथमतया व्यक्ति के अन्दर भय उत्पन्न कर देता है। वर्तमान में प्रत्येक जागरूक व्यक्ति इस शब्द से परिचित तो है, परन्तु अधिकांशतः यह परिचय सतही होता है। अभी भी अधिकांश जनसंख्या जिसमें अशिक्षित एवं ग्रामीण जनसंख्या का बहुलांश सम्मिलित है इस रोग के कारणों, प्रभाव तथा निदान से अनभिज्ञ हैं।

एड्स वास्तव में स्वयं में कोई रोग नहीं है। यह एक बहुगुणिक अभिलक्षण है जो संक्रमण के फलस्वरूप शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को सीमित कर देता है, इस कारण शरीर का प्रतिरोधी तन्त्र अन्य रोगों के आक्रमण का सामना करने में असमर्थ हो जाता है।

एड्स तथा एच.आई.वी. में अन्तर

सामान्यतः एड्स तथा एच.आई.वी. को एक दूसरे का समानार्थी माना जाता है। लेखक का यह स्वयं का अनुभव है कि अधिकांश उच्च शिक्षा प्राप्त जनसंख्या भी इनके बीच के सूक्ष्म भेद को स्पष्ट नहीं कर पाती है, ऐसा एड्स के प्रति व्याप्त अज्ञानता के कारण है। जहां एड्स स्वयं में एक प्रकार का रोग है वहीं एच.आई.वी. अर्थात एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिसिऐन्सी वायरस इस रोग का संक्रमण करने के लिए उत्तरदायी है। दूसरे शब्दों में एच.आई.वी. ही एड्स को उत्पन्न करने का कारक है। हम अधिकांशतः एच.आई.वी. पाजिटिव शब्द को सुनते हैं, इसका अर्थ है कि व्यक्ति के रूधिर तंत्र में एच.आई.वी. या एड्स वायरस उपस्थित है तथा व्यक्ति इस रोग का किसी स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमण कर सकता है।

इस एड्स वायरस के उपस्थित होने पर व्यक्ति का रूधिर तंत्र अन्य रोगों के प्रति प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाता है तथा सामान्य रोग भी उसके जीवन को नष्ट कर देता है।

विश्व में कुल एड्स रोगियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अब यह संख्या 6 करोड़ को पार कर चुकी है जिनमें से अधिकांश अफ्रीका तथा एशिया महाद्वीप में निवास करती है।

एड्स का इतिहास

उपलब्ध जीन डाटा तथा चिकित्सकीय आंकड़ों के अनुसार एड्स रोग का प्रथम मामला 1960 के दशक में ज्ञात हुआ था, जब इससे पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु ज्वर, कफ तथा निमोनिया से हो गयी थी। परन्तु सर्वमान्य प्रथम एड्स रोगी की पहचान 1982 में अमेरिका के कैलीफोर्निया प्रांत में हुई थी। हमारे देश में पहला एड्स रोगी 1986 में ज्ञात हुआ था। भारत में एड्स रोगियों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई तथा यह लगभग 15 वर्षों में ही लगभग पैंतीस लाख तक पहुंच गई, अभी भी इस संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। हमारा देश इस रोग के प्रथम चरण से गुजर रहा है, यदि इस पर अभी प्रभावी नियंत्रण नहीं किया गया तो यह व्यापक जनसंख्या को प्रभावित करेगा।

एड्स वायरस अथवा एच.आई.वी. का संक्रमण

एड्स वायरस मुख्यतः मानव रक्त में विकसित होता है। इसके प्रसार के कारणों में प्रौद्योगिकी का विकास तथा यौन स्वच्छन्दता प्रमुख है। इसके अतिरिक्त चिकित्सकीय उपचार के समय की गई लापरवाही भी इसके प्रसार का कारण बन सकती है।

वर्तमान में ज्ञात निम्न तीन माध्यम एड्स वायरस के संक्रमण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं:

- असुरक्षित यौन सम्बन्ध
- रक्त संक्रमण
- संक्रमित माता से शिशु को संक्रमण

असुरक्षित यौन सम्बन्धों से संक्रमण

यद्धपि यौन संबंधों से होने वाले संक्रमण का प्रभाव अन्य माध्यमों से होने वाले संक्रमण की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, परन्तु संक्रमण का सर्वाधिक प्रतिशत इसी माध्यम से होता है जो इसकी गंभीरता को इंगित करता है। एक अनुमान के अनुसार एड्स संक्रमण के 75 प्रतिशत मामले असुरक्षित यौन संबंधों के कारण प्रकाश में आते हैं। अतः इस संक्रमण से बचने के लिए कम से कम व्यक्तियों के साथ तथा यदि संभव हो तो एक ही के साथ संबंध रखना चाहिए। साथ ही निरोध का प्रयोग इसके संक्रमण से बचने का सर्वाधिक प्रभावी उपाय है।

रक्त संक्रमण

एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्ति से अन्य व्यक्ति को होने वाले संक्रमण में रक्त सर्वाधिक प्रभावी माध्यम के रूप में कार्य करता है। जैसा कि विदित है कि मानव रक्त में ही एड्स वायरस का द्विगुणन होता है अतः इस माध्यम से संक्रमित व्यक्ति आसानी से स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। दूषित सुई तथा सिरिंज इस रक्त संक्रमण का प्रसार करने में सहायक सिद्ध होते हैं।

ड्रग्स के आदी व्यक्ति आपस में एक ही सुई का इस्तेमाल करते हैं जिस कारण इस रोग से संक्रमित होने की संभावना अधिक हो जाती है। एड्स वायरस से संक्रमित रक्त को यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति को प्रदान किया जाता है तो वह व्यक्ति भी इस रोग से संक्रमित हो जाता है। अतः रक्त प्रदान करते समय रक्त का भली–भांति परीक्षण कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त मानव शरीर के आंतरांगों में उपस्थित द्रव पदार्थों यथा हृदयी द्रव, आमाशयिक द्रव, लार इत्यादि में भी एड्स वायरस होने की संभावना रहती है। यद्यपि वायरस की उपस्थिति इन द्रवों के घनत्व के ऊपर निर्भर करती है, फिर भी इन अंगों के रोगों का निदान करते समय प्रयोग में लाये गये चिकित्सकीय उपकरणों को भी प्रत्येक बार जीवाणु रहित (स्टरलाइज्ड) कर देना चाहिए।

संक्रमित माता से शिशु को संक्रमण

सम्पूर्ण विश्व में एड्स से प्रभावित जनसंख्या में लगभग एक तिहाई भाग शिशुओं का होता है, इन शिशुओं को यह संक्रमण अपनी माता से होता है। ऐसा माना जाता है कि एक संक्रमित माता से उसके शिशु को संक्रमण होने की संभावना 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक होती

है। कुछ मामलों में यह भी पाया गया है कि प्रसव काल में दूषित चिकित्सकीय उपकरणों के प्रयोग के कारण भी शिशुओं में एड्स वायरस का संक्रमण हुआ, इस कारण प्रसव के समय उचित सावधानियां रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त संक्रमित माता के दूध में भी एड्स वायरस होने की सम्भावना व्यक्त की गई है, लेकिन अभी ऐसे मामलों की संख्या सीमित है।

एड्स स्पर्श करने से नहीं फैलता

अज्ञानतावश अधिकांश जनसंख्या में यह भय व्याप्त है कि एड्स संक्रमित व्यक्ति को स्पर्श करने से भी इसका संक्रमण हो सकता है, जबकि चिकित्सकीय परीक्षणों के अनुसार इसकी सम्भावना लगभग शून्य होती है। आंसुओं, पसीने इत्यादि में एड्स वायरस होने की संभावना अत्यधिक नगण्य रहती है जोकि संक्रमण के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति को चूमने, हाथ मिलाने तथा उसे गले लगाने से भी एड्स नहीं फैलता है।

इसके अतिरिक्त मच्छरों तथा अन्य रक्त चूसने वाले कीटों के माध्यम से भी एड्स फैलने की सम्भावना नहीं होती है क्योंकि एड्स वायरस मच्छरों या अन्य कीटों के रक्त में द्विगुणित नहीं हो पाता है, इसका द्विगुणन केवल कपि वर्ग तथा मानव के रक्त में ही होता है।

एड्स रोग के लक्षण

जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि एड्स स्वयं में कोई विशेष रोग नहीं है अपितु यह मनुष्य की प्रतिरोधी क्षमता को शिथिल कर देता है। ज्ञात चिकित्सकीय परीक्षणों के आधार पर निम्न लक्षणों के आधार पर एड्स होने की सम्भावना व्यक्त की जाती है–

- यदि व्यक्ति का वजन अचानक 10 प्रतिशत तक कम हो जाये।
- यदि एक माह से ज्यादा समय तक ज्वर बना रहे।
- यदि व्यक्ति एक माह से ज्यादा समय तक पेचिश से ग्रसित हो।

इसके अतिरिक्त निम्न अन्य लक्षणों के आधार पर भी एड्स होने की संभावना व्यक्त की जा सकती है–

- एक माह से ज्यादा समय से कफ रहने पर।
- त्वचा के सामान्य रोगों के ज्यादा समय तक बने रहने पर।
- खुजली इत्यादी घावों के ठीक न होने पर।
- हरपीज रोग की लगातार वृद्धि।
- लसिका ग्रंथियों में सूजन।

एड्स रोग से बचाव

यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि एड्स से ग्रसित व्यक्ति का कोई स्थायी उपचार नहीं है, इस कारण इस रोग से बचाव करके ही इससे संक्रमित होने से बचा जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि **एड्स रोग से बचाव ही इसका एकमात्र निदान है**। निम्न सावधानियां रखकर किसी एड्स से संक्रमित व्यक्ति द्वारा स्वस्थ व्यक्ति को होने वाले संक्रमण को रोका जा सकता है–

- सुई को जीवाणु रहित (स्टरलाईज्ड) करके प्रयोग में लाना चाहिए।
- सुरक्षित तथा सीमित यौन संबंध बनाये जाने चाहिए, इसके लिये निरोधक उपायों का प्रयोग करना चाहिए।
- प्रयोग में लाने के पश्चात सिरिंज तथा सुईयों को पूर्णरूपेण नष्ट कर देना चाहिए।
- उत्सर्जी पदार्थों का सावधानीपूर्वक निस्तारण करना चाहिए।
- सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से यौन शिक्षा प्रदान करनी चाहिए।

एड्स नियंत्रक कार्यक्रम

वर्तमान में एड्स भारत सहित अधिकांश विकासशील देशों में एक जटिल समस्या का रूप धारण कर चुका है। इससे प्रभावित जनसंख्या का अधिकांश भाग निर्धनता रेखा से नीचे जीवनयापन करता है। भारत में एड्स संबंधित मामलों की अधिक संख्या महाराष्ट्र, तमिलनाडु सहित मणिपुर, पांडिचेरी तथा दिल्ली में पायी गई है। विशेष रूप से पिछले कुछ समय से पूर्वोत्तर राज्यों में इससे प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि की दर अधिक रही है।

विश्व तथा भारत के अधिकांश सरकारी तथा गैर–सरकारी संगठनों द्वारा विभिन्न एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। इनके समग्र रूप से चलाये जाने की आवश्यकता है जिससे कि यह संगठन आपस में सामंजस्य स्थापित करके इस दिशा में अधिक से अधिक कार्य कर सकें। इनमें से प्रमुख कार्यक्रम निम्न हैं–

- विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक वैश्विक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके उद्देश्यों में एच.आई.वी. संक्रमण से बचाव की विधियां ज्ञात करना, एड्स पीड़ित व्यक्ति पर पड़ने वाले सामाजिक तथा व्यक्तिगत कुप्रभावों में कमी करना और एक अंतरराष्ट्रीय एड्स नियंत्रक कार्यक्रम स्थापित करना है।
- विश्वविद्यालयी एड्स वार्ता (यूनिवर्सिटीज टॉक एड्स) : इस कार्यक्रम को यू.टी.ए. के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यह अपने आप मे एक प्रकार का अनोखा तथा सीमित आर्थिक संसाधनों पर निर्भर कार्यक्रम है, जिसमें विद्यार्थियों को सम्मिलित कर एड्स से संबंधित प्रभावी जानकारियां दी जाती हैं।
- विश्व एड्स दिवस : एड्स रोग की पहचान 1 दिसम्बर को की गई थी इस कारण इसी दिन को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन संपूर्ण विश्व में एड्स जागरूकता अभियान चलाये जाते हैं तथा वर्ष भर के कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई जाती है।

भारत सरकार द्वारा भी एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय एड्स कमेटी की स्थापना 1986 में करके इस कार्यक्रम का आरम्भ किया था। जहां वर्ष 2000 में भारत में एड्स प्रभावित व्यक्तियों की संख्या 35 लाख थी वहीं वर्ष 2003 तक यह बढ़कर उनचास लाख दस हजार हो गई। इस प्रकार मात्र तीन वर्षों में ही इस रोग से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में लगभग 40 प्रतिशत तक वृद्धि हुई, निश्चित रूप से यह स्थिति अत्यंत खतरनाक है। सरकार ने एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का दूसरा चरण 1999 में आरंभ किया, जिसके दो मूल उद्देश्य हैं–

- भारत में एच.आई.वी. संक्रमण स्तर में कमी लाना।
- एच.आई.वी. एड्स से जूझने की केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों की क्षमता में वृद्धि करना।

इसके लिए सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में एड्स नियंत्रण समितियों का गठन किया गया है। केंद्र सरकार इन समितियों को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण समिति के माध्यम से तकनीकी, प्रबंधकीय तथा वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराती है जिससे कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सही रूप से हो सके।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) द्वारा सम्पूर्ण देश में 31 मार्च 2004 तक यौन संक्रमित रोगों के उपचार के लिए 735 क्लीनिक स्थापित किये जा चुके थे।

यद्धपि भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता के लिए उनमें समय – समय पर परिवर्तन किये गये हैं परंतु अभी भी उनका प्रभाव व्यापक रूप से परिलक्षित नहीं हो पाया है। इस तथ्य की पुष्टि तीन वर्षों में ही एड्स प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में 40 प्रतिशत तक की वृद्धि इंगित करती है। निश्चित रूप से अभी भी ग्राम स्तर पर इन कार्यक्रमों का संचालन प्रभावी रूप से नहीं हो सका है।

हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस रोग से प्रभावित होने वाले पुरुष वर्ग में एक बहुत बड़ा भाग रोजगार की तलाश में अपने गांवों से पलायन करके अन्य शहरों को गये श्रमिकों का है। यह श्रमिक घर वापस आने पर अपने परिवार की महिलाओं को इस रोग का संक्रमण प्रदान कर देते हैं, यह महिलायें गर्भ धारण करने पर गर्भस्थ शिशु को यह संक्रमण प्रदान कर सकती हैं। अतः एक प्रभावी योजना इस श्रमिक वर्ग को जागरूक करने के लिए बनाई जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त एड्स रोग से ग्रसित व्यक्ति को अस्पृश्य मानकर उसका बहिष्कार कर दिया जाता है, जिस कारण व्यक्ति अपने को अत्यंत अकेला अनुभव करता है साथ ही मानसिक रूप से भी अपने को निर्बल महसूस करता है। इस सामाजिक मान्यता को बदलने के लिए और सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है।

यद्यपि राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से सरकार द्वारा इस भ्रामक धारण को मिटाने का प्रभावी प्रयास किया जा रहा है। परंतु अन्य निजी जनसंचार चैनलों को भी इसमें शामिल करना चाहिए क्योंकि यह चैनल भी जनसंख्या के काफी बड़े भाग पर अपनी पहुंच रखते हैं। एड्स दिवस पर तैयार किये गये कार्यक्रमों को वर्ष भर प्रभावी बनाया जाना चाहिए। एड्स से संबंधित जानकारियां रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इन जानकारियों को अन्य व्यक्तियों को स्वेच्छा से प्रदान करना चाहिए जिससे अन्य व्यक्तियों के मन में व्याप्त भय एवं भ्रम का वातावरण दूर हो सके। निश्चित रूप से तभी हम अपनी भावी पीढ़ियों को इस रोग से भयमुक्त रख सकेंगे। ❑

(स्वतंत्र पत्रकार)

मीडिया से एचआईवी/एड्स के बारे में जागरुकता फैलाने का आग्रह

सूचना और प्रसारण तथा संस्कृति मंत्री एस. जयपाल रेड्डी ने मीडिया से एचआईवी और एड्स से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने का आग्रह किया है।

इंडियन मीडिया लीडर्स एचआईवी/एड्स इनिशिएटिव विषय पर आयोजित सेमिनार में उन्होंने कहा कि एड्स जैसी महामारी से निपटने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें लोगों को यह समझाने में के उनके लिए क्या बेहतर है, मीडिया उत्प्रेरक की भूमिका निभा कर सामाजिक परिवर्तन ला सकता है। बीमारी से संबंधित जानकारी और जनजागरण से ही इस महामारी को फैलने से रोका जा सकता है, क्योंकि अज्ञानता और निष्क्रियता से ही यह बीमारी फैलती है।

उन्होंने कहा कि हमारा जीवन्त मीडिया नए मार्ग खोल सकता है। युवाओं तक पहुंच बनाने में सामुदायिक रेडियो, प्रचार माध्यमों के नए उपकरणों, वेव, एसएमएस आदि का भरपूर प्रयोग किया जाना चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रसार भारती राष्ट्रीय स्तर पर एड्स का मुकाबला करने के लिए सबसे आगे हैं। सामाजिक परिवर्तनों के एजेंट के रूप में मीडिया की भूमिका आज जितनी महत्वपूर्ण हो गई है, उतनी पहले कभी नहीं रही। ❑

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन

गुवाहटी में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के शुभारंभ अवसर पर काफी लंबे समय के बाद पूर्वात्तर राज्यों के सभी आठ मुख्यमंत्रियों एक मंच पर एकत्र हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डा. अन्बुमणि रामदास औपचारिक रूप से इस मिशन का शुभारंभ किया। पूर्वोत्तर क्षेत्र इस मिशन के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है, क्योंकि इस क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए इस क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष कार्यनीतियां बनाई गई हैं। सभी मुख्यमंत्री संम्मेलन को संबोधित करेंगे और अपने–अपने क्षेत्र की विशेष जरूरतों की जानकारी देंगे।

तकनीकी सत्र के दौरान असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों को पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की प्रगति पर जानकारी दी। सम्मेलन में शिष्टमंडलों का खुले सत्र में पेयजल, स्वच्छता, ग्रामीण विकास, पूर्वोत्तर परिषद आदि से संबंधित कई केंद्रीय विभाग लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने कार्यक्रम और रणनीतियों के बारे में जानकारी दी।

पूर्वोत्तर कोष के इस्तेमाल के लिए राज्यों की वार्षिक कार्ययोजना, राज्यों की कार्ययोजना की जांच के लिए अधिकार प्राप्त दल तथा गुवाहटी में क्षेत्रीय संसाधन केंद्र की स्थापना आदि को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार की कार्यनीति में शामिल किया गया है। कार्यक्रम को जोर शोर से शुरू करने से पहले प्रायोगिक आधार पर योजना चलाई जाएगी।

वर्ष 1991 और 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य देखभाल के लिए आधारभूत ढांचा पर्याप्त नहीं है। इस कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने न अतिरिक्त कोष प्रदान करने के अलावा क्षेत्र के जन स्वास्थ्य के लिए परिव्यय बढ़ाने का भी फैसला किया है। ❑

महिला कुपोषण : एक राष्ट्रीय समस्या

शुभंकर बनजी

कुपोषण चाहे किसी भी प्रकार का हो तथा किसी के लिए भी हो, हर परिस्थिति में हानिप्रद ही रहता है। परंतु यदि महिलाएं कुपोषित हों तो इसका दुष्प्रभाव पूरे घर–परिवार को ही भुगतना पड़ता है। कुपोषण का सीधा सा अर्थ है–"समुचित पोषण का अभाव"। पर्याप्त पोषण प्राप्त करने के लिए सही ढंग से संतुलित आहार लेना अत्यावश्यक है। दूसरी ओर यदि कोई अनुचित आहार लेता है तो प्रायः ऐसा भी देखा जाता है कि उसके शरीर में किसी न किसी की कमी हो जाती है जिसका दुष्प्रभाव पूरे मनोदैहिक प्रणाली पर भी पड़ता है। इस प्रक्रिया के दौरान कुछेक विशेष प्रकार के पदार्थों की कमी होती है जो कि एक तरह से रोगों के लक्षणों के रूप में पहचानी जाती है और अंततः हमारा शरीर रोग से ग्रस्त या अस्वस्थ हो जाता है।

वैसे तो कुपोषण से ग्रस्त होना किसी भी आयु के व्यक्ति के लिए संभव है परंतु विशेष तौर पर महिलाएं, बच्चे तथा बढ़ती अवस्था किशोरवय के आयुवर्ग को कुपोषण का शिकार प्रायः होना पड़ता है। फिर भी महिलाओं का कुपोषित होना पूरे समाज के लिए ही दुष्प्रभावकारी है क्योंकि कुपोषित नारी का दुष्परिणाम न केवल उसे बल्कि आगामी पीढ़ी तक को भुगतना पड़ता है। यह तथ्यपूर्ण सत्य है कि महिलाएं ही पूरे परिवार तथा समाज का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ हैं। अतः उसे पूरी तरह से स्वस्थ रखना समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

इसके लिए महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए उन्हें समुचित पौष्टिक आहार देना चाहिए। यह वाकई कटु सत्य है कि कुपोषित रोगग्रस्त तथा सदैव अस्वस्थ रहने वाली स्त्री का परिवार सदैव दुखी तथा कष्टप्रद परिस्थिति में मजबूर होकर रहता है। इस तरह की परिस्थिति के परिणामस्वरूप पूरे घर की पारिवारिक शांति भंग होती है तथा घर के सभी सदस्य परेशान रहते हैं। इसके अलावा शारीरिक रोगों के साथ मानसिक विकारों का भी सामना करना पड़ सकता है। वास्तविकता यह है कि कुपोषण एक सामाजिक–आर्थिक समस्या है जिसकी प्रकृति न केवल राष्ट्रीय है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय है।

कुपोषण के मुख्य लक्षण है– दैहिक कमजोरी, मानसिक अवसाद, रक्ताल्पता, शरीर का रंग पीला या सफेद होना, आंखों के नीचे तथा चारों ओर कालिमा छा जाना, आंखें अन्दर की ओर धंस जाना, भूख न लगना, सांस फूलना, चक्कर आना, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, तुनकमिजाजी तथा यहां तक कि प्रलाप या मानसिक विकार आदि। दूसरी ओर आहार में किसी विशेष पदार्थ की कमी (जैसे–विटामिन, लौह तत्व, प्रोटीन, खनिज तत्व आदि की कमी) होने पर किसी विशेष लक्षण वाले रोग प्रकट हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर लौह तत्व की कमी से भी रक्ताल्पता हो सकती है।

इसी तरह से प्रोटीन की कमी से या आहार में प्रोटीन की यथोचित मात्रा न मिलने से मांस पेशियों की कमजोरी की शिकायत हो जाती है। दूसरी और यकृत ठीक से काम न करने से तथा विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा न मिलने से आंखें कमजोर हो जाती हैं। यदि महिलाओं को अपनी आंखों में लगातार कमजोरी का अनुभव हो तो बेहतर है कि वे विटामिन ए की मात्रा समुचित ले रही है या नहीं इस बात की जांच करवा कर आश्वस्त हो लें तथा उसी के अनुसार उपचार करवाने की तत्काल व्यवस्था करें।

इसी तरह से पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी की मात्रा अवश्य लेते रहना चाहिए वरना नाड़ी रोगों तथा विकारों के होने की आशंका रहती है। दूसरी और विटामिन सी की भी पर्याप्त मात्रा लेनी चाहिए वरना इसकी वजह से स्कबी रोग हो सकता है और साथ ही शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में भी व्यापक कमी होने की आशंका उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा विटामीन डी भी अत्यावश्यक तत्व है जिसकी कमी से अस्थि रोग के होने की आशंका सदैव बनी रहती है।

स्पष्ट है कि कुपोषण के कारण शरीर में जिस पदार्थ की कमी हो जाती है उसके फलस्वरूप कई प्रकार के शारीरिक रोगों को खुला आमंत्रण मिलता है। प्रश्न यह उठता है कि आखिरकार कुपोषण का शिकार क्यों होना पड़ता है? विशेष तौर पर भारत जैसे विकासशील देशों की महिलाओं को मजबूर होकर कुपोषित होना पड़ता है। अतः कुपोषित रह जाने की इस मजबूरी को भारतीय महिलाएं क्यों तथा कब तक झेलती रहेंगी, इस विषय पर तथ्यपूर्ण जांच अवश्य करनी चाहिए। मुख्य रूप से कुपोषण के विभिन्न कारण हो सकते हैं जिनकी सूची निम्नवत है–

- तमाम सामाजिक विकास के बावजूद भारत में ऐसी करोड़ों महिलाएं हैं जिन्हें अपनी सामाजिक–आर्थिक असमर्थताओं से उपजी निर्धनता के कारण मजबूर होकर कुपोषित रह जाना पड़ता है।
- पारिवारिक परिस्थिति के कारण कई बार उपलब्धता के बावजूद घर की महिलाओं को मजबूर होकर कुपोषण से ग्रस्त रहना पड़ता है जिसका प्रमुख कारण लिंगभेद आाधारित पक्षपात पूर्ण व्यवहार है जिसके चलते महिलाओं को समुचित पोषक तत्वों तथा संतुलित आहार से वंचित रह जाना पड़ता है। नर–बच्चों की तुलना में मादा बच्चों की उपेक्षा उनके जन्म से ही की जाती है जो कि अब एक गलत परम्परा बन चुकी है। इस मुद्दे पर निर्धन तथा सम्पन्न दोनों ही वर्गों की महिलाओं का व्यापक शोषण होता है।
- पर्याप्त जानकारी तथा जागरूकता के अभाव से साधारण भारतीय महिलाओं को इस बात की मूलभूत जानकारी भी नहीं होती है कि किस प्रकार के खाद्य पदार्थों से पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त हो सकता है ताकि विटामिन्स, प्रोटीन्स, खनिज, लौह तत्व आदि की समुचित मात्रा दैनिक आहार में मिलती रहे।
- परंतु आवश्यकता से अधिक भोजन लेना भी हानिकारक है क्योंकि इससे अपच होने के कारण भोजन शरीर में लगने के बजाए कुपोषणकारी सिद्ध होता है। इसके अलावा पौष्टिकता विहीन

अत्यधिक आहार हजम तो होता ही नहीं बल्कि शरीर का संतुलन ही बिगड़ जाता है।

- यदि एक ही प्रकार के विटामिन्स या प्रोटीन्स का सेवन विषमतापूर्ण ढंग से करते जाएं तो भी शरीर अस्वस्थ हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप एक प्रकार के पौष्टिक आहार की अधिकता तो अवश्य होती है परंतु दूसरी और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है।
- यदि प्रायः प्राकृतिक विषमता जन्य पदार्थों का सेवन किया जाये (जैसे वनस्पति के बीजों से पका खाना तथा पीतल व ऐलुमीनियम के बर्तनों में पके हुए भोज्य पदार्थों का सेवन करना), तो भी शारीरिक स्वास्थ्य का संतुलन बिगड़ जाता है। दूसरी और लौह–धातु से बने बर्तनों में पके हुए आहारों का सेवन करना अच्छा रहता है तथा प्राकृतिक ढंग से ही लौह तत्व की पूर्ति हो जाती है।
- समय पर भोजन न करने तथा जब मर्जी भोजन करने से भी कुपोषण का खतरा बन जाता है। इसके अलावा संतुलित तथा पौष्टिक आहार के प्रति जागरूक न होकर इस मसले पर लापरवाही करना महिलाओं की प्रायः सामाजिक तथा पारिवारिक अवस्था के अनुसार एक साधारण सी बात है।
- प्रायः अस्वस्थ रहने की शिकायत रहती हो तो किसी योग्य चिकित्सक तथा पोषण विशेषज्ञ से राय ली जानी चाहिए। नीम हकीमों की शरण में जाकर अपना उपचार करवाने की नीति हर परिस्थिति में हानिप्रद सिद्ध होती है। विशेष तौर पर सस्ते के चक्कर में ऐसा करना तथा जादू, टोना–टोटका आदि पर विश्वास करना आत्मघाती कदम ही है।
- घर तथा उसके आसपास की सफाई भी आवश्यक है। इसके बिना घरेलू वातावरण प्रदूषित होकर रोग वाहक वन जाता है जिसके परिणामस्वरूप घातक रोगों को खुला आमंत्रण मिलता है।
- सामाजिक–आर्थिक परिस्थिति से उपजे मनोशारीरिक तनावग्रस्तता या रोगग्रस्तता के कारण भूख नहीं लगती या खाने की इच्छा नहीं होती है तब अंततः शरीर कुपोषित हो जाता है क्योंकि पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती है।
- कट्टर शाकाहारी होना या किसी विशेष प्रकार के आहारों का लगातार सेवन करने से शरीर की अन्य पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पाती जिसके फलस्वरूप पोषक तत्वों की कमी हो जाती है।
- विभिन्न प्रकार के नशे की वस्तुओं का नियमित सेवन करने से भी भूख न लगने की शिकायत हो जाती है तथा दैहिक संतुलन बिगड़ने से शरीर अस्वस्थ हो जाता है।
- वैसे महिलाओं के लिए यह अत्यावश्यक है कि विशेष तौर पर गर्भावस्था तथा स्तनपान करवाने की अवधि में यथेष्ट मात्रा में पोषक तत्वों की पूर्ति की जानी चाहिए वरना घातक ढंग के कुपोषण का खतरा उत्पन्न हो जाता है।
- जिन महिलाओं को अपने घर–परिवार के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है उन्हें विशेष तौर पर ठंडे प्रदेशों, रेगिस्तानी क्षेत्रों की गृहणिओं तथा कामकाजी महिलाओ को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व युक्त भोजन अवश्य लेना चाहिए वरना निश्चित तौर पर कुपोषित रहना उनकी मजबूरी बन जाती है।
- यदि शल्य क्रिया के बाद लम्बी अवधि तक ग्लूकोज चढ़ाया गया हो तो भी कुपोषित रहने की आशंका उत्पन्न हो जाती है।
- लम्बी चिकित्सा अवधि के दौरान लगातार एंटीबायोटिक लेने से आंतों के बैक्टीरिया की क्रियाशीलता घट जाती है तथा रोगी अंततः कुपोषण का शिकार हो जाता है।
- यदि मूत्र से प्रोटीन निकल जाता है तो इसे नोफ्रोटिक सिन्ड्रोम कहते हैं जिसके परिणामस्वरूप शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है।
- मधुमेह में ग्लूकोज की अत्यधिक मात्रा बह जाती है। अतः इसकी कमी के कारण भी कुपोषण के शिकार होने की मजबूरी आ जाती है।
- अधिक मासिक स्राव से शरीर में लौह तत्व की कमी हो जाती है जिसके फलस्वरूप रक्ताल्पता तथा कुपोषण की शिकायत हो जाती है।
- पोटैशियम तत्व की कमी तथा अत्यधिक मल त्याग (जैसे अतिसार रोग से ग्रस्त होने) से भी कुपोषण को बढ़ावा मिलता है।

स्पष्ट है कि उपर्युक्त कारणों में से कोई एक या दो चार कारणों के एकत्र होने से कुपोषण की समस्या प्रारंभ हो जाती है। यदि कुपोषित रह जाने के इन कारणों के लक्षणों की पहचान तथा जांच समुचित ढंग से करवायी जाए तथा समय रहते यथायोग्य कदम उठाते हुए किसी पोषण विशेषज्ञ से उपचार करवाया जाए तो कुपोषित रह जाने की मजबूरी से बचने का उपाय अवश्य किया जा सकता है। बेहतर तो यही है कि स्वयं ही इस परिप्रेक्ष्य में जागरुक रह कर परिस्थिति पर नियंत्रण पाने की चेष्टा की जाए परंतु महिलाओं के मामलों में घर–परिवार के सदस्यों के सक्रिय तथा सकारात्मक सहयोग के बिना यह कदापि संभव नहीं है। महिलाओं के साथ सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि घर वालों की सेवा, देखभाल तथा बच्चों के समुचित पालन–पोषण के चक्कर में नारी वर्ग के लिए इस ओर ध्यान देना चाह कर भी संभव नहीं है।

अपनी पारिवारिक जिम्मेदारयों को निपटा कर महिलाओं के पास एक ही मजबूरी होती है कि घर में सबके खाना खाने के बाद, बचा खुचा खाद्य पदार्थ खाकर किसी तरह अपने पेट की आग शांत कर लें। ऐसी शोचनीय पारिवारिक दशा में महिलाओं को समुचित पोषक तत्व युक्त आहार मिलने की बात ही असंभव सी लगती है। जबकि सबके बाद शेष आहार का सेवन करके संतुष्ट रहने की मजबूरी तथा आदत को बदलना अत्यावश्यक है वरना अंत तक यही मजबूरी वाली आदत उन्हें कुपोषित करते हुए जानलेवा रोग से ग्रस्त कर सकती है।

वैसे महिलाओं की ओर से स्वयं इस परिप्रेक्ष्य में पहल करके समुचित कदम उठाना कठिन काम तो है परंतु असंभव नहीं है। इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे पर उनका सजग होना न केवल अपेक्षित है बल्कि अनिवार्य रूप से आवश्यक भी है। यदि महिलायें लज्जा की दीवार तोड़ कर उपर्युक्त कारणों से सम्बन्धित लक्षणों की पहचान करके तत्काल सजग होकर तथा योग्य चिकित्सक की सलाह लेकर, समुचित आहार लें, तो कम लागत पर ही उनको राहत मिल सकती है। अतः ऐसा करके महिलायें कोई अनुचित या असामाजिक अशोभनीय–अनैतिक कार्य नही करेंगी बल्कि इससे पूरे परिवार तथा समाज की भलाई होगी।

मौसम में आसानी से उपलब्ध होनी वाली हरी तथा लाल सब्जियों तथा फलों के मूल्य अपेक्षाकृत कम तो होते ही हैं बल्कि पोषक तत्वों से भी भरपूर होती है। इन भोज्य पदार्थों से प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लौह तत्व तथा वसा इत्यादि की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में हो जाती है। विशेष तौर पर महिलाओं के लिए संतुलित आहार लेना पूरे समाज के लिए ही हितकारी है। उनके आहार में पोषक तत्वों की मात्रा समुचित

ढंग से सम्मिलित होनी चाहिए। परंतु महंगे खाद्य पदार्थों में ही पर्याप्त पोषक तत्व विद्यमान हो, यह बात भी सत्य नहीं है। वैसे भोजन की मात्रा की दृष्टि से पुरुष को निसंदेह अधिक भोज्य सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है परंतु पौष्टिकता की कसौटी पर महिलाओं का आहार ज्यादा संतुलित होना चाहिए। एक सामान्य महिला को प्रतिदिन कम से कम निम्नलिखित मात्रा में आहार लेना चाहिए:-

अनाज (410 से 575 ग्राम), दाल (40 से 50 ग्राम), पत्तेदार वनस्पति (100 से 150 ग्राम), अन्य वनस्पति (40 से 100 ग्राम), मूल और कंद (50 से 60 ग्राम), दूध (150 से 200 मि.ली.), तेल तथा वसा (20 से 40 ग्राम), चीनी (22 से 40 ग्राम) इत्यादि साथ में सलाद तथा फल (सुविधानुसार)। अतः महिलाओं के दैनिक भोजन में चना, रोटी, मिष्ठान, फल, चावल, दाल, शाक, आलू, सब्जियां, अन्य अनाज, दूध, दही, मक्खन, घी, इत्यादि का सम्मिलित होना अत्यावश्यक है। परंतु घर के अन्य सदस्यों की भी यह जिम्मेदारी है कि इस मुद्दे पर समुचित रुचि लेकर अपनी "मां-बहन-पत्नी-भाभी" आदि मातृ शक्तियों की समुचित देखभाल करें तथा उनकी सेवा सही ढंग से करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। ❑

(स्वतंत्र पत्रकार)

कुपोषण की समस्या

देश के स्वस्थ नागरिक उसकी पूंजी होते हैं। एक पुरानी कहावत है कि अच्छा स्वास्थ्य ही अच्छे सेहत की कुंजी होती है। यह कहावत आज के जीवन-चक्र में भी पूरी तरह से लागू होती है। स्वस्थ मनुष्य, स्वस्थ समाज का निर्माण करता है और समाज ही देश के आर्थिक तथा सामाजिक विकास की सीढ़ी होता है। इसलिए देश हर नागरिक का स्वस्थ होना देश की मजबूती के लिए जरूरी है।

एक स्वस्थ शरीर की कुंजी क्या है ? संतुलित भोजन जो शरीर में ईंधन के तौर पर काम आता है। हमारे शरीर में जब भी भोजन के संतुलन में कमी आती है, हमारा शरीर कुपोषण का शिकार हो जाता है।

साल-दर-साल पोषण की मूल अवधारणा बदलती जा रही हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य में वैज्ञानिकों का मानना था कि अधिकतर खाद्य पदार्थों में एक ही प्रकार के अवयव पाये जाते हैं। लेकिन जानकारियों में निरंतर वृद्धि के साथ पोषण के सिद्धांतों में भी बदलाव आते गए। सबसे पहले खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की खोज की गई। इसके बाद पोषण के छोटे वर्गीकरण होने पर एमिनोएसिड की खोज हुई। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि प्रोटीन में 24 प्रकार के एमिनोएसिड पाए जाते हैं जो मानव शरीर के लिए आवश्यक हैं। सूक्ष्म पोषण यानी मादक्रो न्यूट्रीशन दूसरी बड़ी खोज थी।

21वीं शताबदी में वैज्ञानिक सुख-सुविधाओं के अविष्कार से मानव जीवन के रहन-सहन के तरीकों में आए बदलाव के कारण लोगों में होने वाली बीमारियां भी बढ़ गई हैं। अब बुखार, टीबी, जैसी बीमारियों की गंभीरता कम हो गई हैं तथा वसा और कोलेस्ट्रोल से संबंधित बीमारियां परेशानी का सबब बन गई हैं। आजकल जहां कुछ लोग भोजन की कमी और कुपोषण का शिकार हो रहे हैं वहीं दूसरे अधिक भोजन खाने से बीमार हो रहे हैं।

कुपोषण की वजह से कई देशों की विकास की गति धीमी हुई है। यूनेस्को द्वारा जारी की गई वर्ष 2004 की रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों में पांच वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में से आधे की मौत की वजह कपोषण है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित लक्ष्यों में वर्ष 2015 तक विश्व से गरीबी, भुखमरी और कुपोषण को खत्म करने का लक्ष्य है।

भारत में कुपोषण के कारण मानव शरीर का विकास गंभीर रूप से प्रभावित होता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती हे। छोटे बच्चों में कुपोषण को समाप्त कर शिक्षा, दक्षता और मानव संसाधनों की क्षमता विकसित करना आवश्यक है।

भारत सरकार ने कुपोषण की समस्याओं से निपटने के लिए उचित नीतियां और कार्यक्रम बनाये हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, मध्या भोजन और काम के बदले अनाज जैसे कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है।

निकट भविष्य में भारत में पोषण का स्तर सुधरने से समृद्धि के एक नए युग की शुरूआत होगी। पोषण सिर्फ स्वास्थ्य क्षेत्र की सीमा तक ही सीमित नहीं है। अब यह आर्थिक और सामाजिक विकास का भी आवश्यक अंग बन गया है। ❑

(साभार : प्रेस सूचना कार्यालय)

कुरुक्षेत्र मंगाने का पता

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग
पूर्वी खंड-4, तल-7
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

मूल्य एक प्रति	:	सात रुपये
वार्षिक शुल्क	:	70 रुपये
द्विवार्षिक	:	135 रुपये
त्रिवार्षिक	:	190 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)

पड़ोसी देशों में	:	500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	700 रुपये (वार्षिक)

स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जैव प्रौद्योगिकी

एम.के. भान

जैव प्राद्योगिकी हमें बीमारियों की रोकथाम और उपचार के साधन मुहैया कराने के बेजोड़ अवसर उपलब्ध कराती है। संचारी रोग देश में कुल मिलाकर बीमारियों का एक प्रमुख हिस्सा है और समाज के बड़े हिस्से को प्रभावित करता है। यही कारण है कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग अनुसंधान के क्षेत्र में हमारा ध्यान मुख्य रूप से आकर्षित करता है। संचारी रोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों में नए टीकों और नैदानिक उपयोग उपायों पर मुख्य रूप से जोर दिया जाता है। इसके अलावा पादप कोशिका अनुसंधान, आनुवांशिकी, अनुवांशिकी संरचना, क्लीनिकल प्रोटियोमिक्स, नेनोबायेटेक्नालॉजी और थेरेपी के लिए जैव–इंजीनियरिंग के लिए भी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

टीका लगाना

किफायती और कम लागत पर उपलब्ध होने वाले नए टीके और नैदानिक उपाय विकासित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अपने देश में बच्चों के लिए अतिसार, मलेरिया, जापानी इंसेफलाइटिस, हैजा, एंथ्रेक्स और रेबीज के लिए नए टीके विकसित किए गए हैं। इनमें से कुछ नैदानिक प्रयोगों के अलग–अलग दौर में हैं।

कुष्ठ के लिए प्रतिरक्षक टीका तैयार किया गया है और यक्ष्मा कीटाणु के विरूद्ध इसके प्रभावों की जांच की जा रही है। व्यस्कों के लिए फिर से तैयार किया गया हैजा का मौखिक टीका नैदानिक प्रयोगों का दूसरा दौर पूरा कर चुका है और बच्चों पर इसका अध्ययन चल रहा है। विषाणु रक्षण पर आधारित एंथ्रेक्स टीके को उद्योग के लिए स्थानांतरित किया गया है और इसके नैदानिक इस्तेमाल से संबंधित अध्ययन शुरू किया गया है। विश्व में पहली बार डीएनए रैबीज टीके का देश के पांच केंद्रों में जानवरों पर प्रयोग किया गया है और मानव पर इसका प्रयोग किया जा रहा है। प्लाजमोडियम वाइवेक्स और पी. फाल्सीपेरम मलेरिया दोनों के लिए एक साथ मिलाकर तैयार किए गए टीके का पूर्व–नैदानिक इस्तेमाल के लिए उत्पादन किया जा रहा है। रोटायरल अतिसार के लिए टीके का नैदानिक प्रयोग व्यस्कों, किशोरों और शिशुओं के लिए पूरा कर लिया गया है। एचआईवी और टाइफायड के लिए डीएनए–एमवीए पर आधारित टीका विकसित किया गया है। इन दोनों प्रौद्योगिकियों को उत्पादन और पूर्वनैदानिक प्रयोगों के लिए उद्योगों के पास हस्तांरित किया जा रहा है। जापानी इन्सेफ्लाइटिस टीके को उत्पादन और पूर्वनैदानिक प्रयोग के लिए उद्योग के पास हस्तांरित किया गया है और डीएनए टीका तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। यक्ष्मा के लिए नए डीएनए टीके का जानवरों पर अध्ययन किया जा रहा है।

इसके अलावा फाइलेरिया और पपीलोमा वायरल के लिए डीएनए टीके, न्यूमोनिया और हीमाफीलिया के लिए संयुक्त टीके और डेंगू के लिए नए तरीके विकसित करने के दिशा में कदम उठाए गए हैं।

रोग निर्धारण

रोग नियंत्रण और रोगियों की देखभाल के लिए कई प्रकार के रोग निर्धारण उपाय विकसित किए गए है। ये प्रौद्योगिकी हस्तांरण और व्यवसायीकरण के विभिन्न चरणों में हैं। एचआईवी के पहले और दूसरे चरणों की पहचान के लिए वेस्टर्न ब्लोट प्रौद्योगिकी की पुष्टि की गई है जो शीघ्र ही नंगी आंखों से देखा जा सकता है। व्यवसायीकरण के बाद इन प्रौद्योगिकियों को बाजार में उतारा गया है। पड़ोसी देशों से इन प्रौद्योगिकियों के निर्यात के प्रति अच्छा संकेत मिला है। हिपेटाइटिस 'सी' के लिए विकसित एलीसा प्रौद्योगिकी, लिस्मेनिएसिस और अल्फा फेटो प्रोटीन को बाजार में उतारा गया है। डेंगू जापानी इन्सेफलाइटिस, वेस्ट नील और हिपेटाइसिस 'ए' के लिए एलीसा जांच प्रौद्योगिकी को उद्योग के लिए हस्तांतरित किया गया है। यक्ष्मा रोग के निर्धारण के लिए पीसीआर जांच प्रणाली विकसित की गई है।

थायराइड, टैक्सोप्लाजमोंसिस और लिस्मानिया आदि के लिए रोग निर्धारक उपाय विकसित करने का प्रयास शुरू किया गया है। जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए उपयोगी, आसान और किफायती नई प्रौद्योगिकियां विकसित की जा रही है जिनसे लक्षणों के आधार पर बहुविध बीमारियों का पता लगेगा। इसमें क्वांटम डॉटो, आप्टिकल, पतली फिल्म वाला बायोसेंस, माइक्रोइलेक्ट्रो मेकेनिकल सिस्टम आदि शामिल हैं।

पादप कोशिका अनुसंधान

भारत सरकार की वर्तमान नीति के दायरे में पादप कोशिकाओं की रोग उपचार की संभावनाओं को ध्यान में रखकर देश में इस क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। पादप कोशिका अनुसंधान के लिए अस्थि मज्जा, रक्त और कोशिकाओं जैसे उपलब्ध साधनों से तैयार वयस्क कोशिकाओं के इस्तेमाल से थेरेपी के लिए आधारभूत अनुसंधान पर जोर देना विभाग की रणनीति है। इसके तहत मौलिक अनुसंधानकर्ताओं, चिकित्सालय, संचालकों और उद्योगों को शामिल करके एम्ब्रोयोनिक और वयस्क पादप कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य में मदद करना, विशिष्ट केंद्रों की स्थापना करना, सामूहिक नगर कार्यक्रमों का आयोजन भी शामिल है। इन अनुसंधानों में लिम्बल, हिमापोइटिक, न्यूरल, लीवर, कार्डियक, मानव कोर्निया, इम्बायोनिक पादप कोशिकाओं सहित सेल लाइनों और पादपों कोशिका संरक्षण भी शामिल है। हैदराबाद स्थित एएलवी प्रसाद नेत्र संस्थान में लिम्बल स्टेम सेलों की नमी के कारण कोर्निया सतह की बीमारियों को लिम्बल स्टेम सेलों के इस्तेमाल से ठीक किया जाता है। इसके द्वारा 200 से भी अधिक मरीजों का इलाज किया जा चुका है। पहली बार गंभीर रक्तस्राव वाले ग्लाजमैन थ्रोम्बास्थेनिया से पीड़ित एक बच्चे के पिता से प्राप्त सीडी 34 प्लस सेलों के इस्तेमाल से हेप्लोआइडेंटिकल स्टेम सेल विस्थापन (ट्रांसप्लाटेशन) किया गया। भारत में पहली बार इस प्रकार का ट्रांसप्लांटेशन किया गया । यह प्रौद्योगिकी स्थापित हो चुकी है और क्रिश्चयन मेडिकल कॉलेज, वेलोर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्टेम सेलों के हृदय रोगों में नैदानिक इस्तेमाल के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है।

मानव जीनेटिक्स और जीनोमिक्स

जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने क्रियात्मक माइक्रोबियल, तुलनात्मक, संरचनात्मक और गणनात्मक जीनोमिक्स के क्षेत्र में जीनोम पश्चात युग के रूप से जोर दिया है। फार्माकोजीनोमिक्स के क्षेत्र में लक्षित थेरेपी, दवाओं, टीकों और रोग निर्धारण के लिए माइक्रोबियल जीनोमिक्स, बायोमार्कर के लिए क्लीनिकल प्रोटियोमिक्स और जीनोम विविधता संबंधी कार्यक्रम चलाए गए हैं। अब तक स्थापित 18 जीनोमिक्स परामर्श इकाइयों द्वारा 25,000 से अधिक परिवारों और 4000 जनजातियों को फायदा मिला है। जिन राज्यों में ऐसी सुविधाएं नहीं है, उन्हें इस दायरे में लाने के उद्देश्य से चार नए जीनेटिक डायग्नोसिस और परामर्श इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। इस क्षेत्र में मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देते हुए कुछेक केंद्रों को उन्नत अणु मानव जीनेटिक्स अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए मान्यता दी जा रही है। जीविका विकास कार्यक्रम भी शुरू किए जा रहे हैं।

उतक इंजीनियरिंग

उतक अभियंत्रण, बायोमैटेरिल और बायोमेडिकल उपकरणों, बायोइंस्ट्रूमेंटेशन और बायोमेडिकल सेंसरों के लिए अनुसंधान और विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, पूणे में कोशिका कल्चर, उतक बैंकिंग और इजीनियरिंग पर कई अध्ययन किए गए हैं। इनसे बायोकंपेटिबल सिंथेसिस का विकास हुआ है जो औषधि नियंत्रण और प्रतिरक्षण के साथ ही जले हुए रोगियों के लिए चर्म विस्थापन के लिए भी उपयुक्त हैं। ❑

(लेखक जैव प्रौद्योगिकी विभाग में सचिव हैं)

योजना

गणतंत्र दिवस विशेषांक

जनवरी 2006

सूचना का अधिकार

- **सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्तूबर, 2005 से लागू हुआ।**
- **यह अधिनियम नागरिकों को भ्रष्टाचार से लड़ने तथा अधिकाधिक पारदर्शिता का हक देता है।**
- **'योजना' सरकार और लोगों पर इस अधिनियम से पड़ने वाले प्रभावों की गहरी पड़ताल की है।**
- **सूचना का अधिकार आंदोलन की अगुवा तक्षा मजदूर किसान शक्ति संगठन की अध्यक्ष सुश्री अरूणा राय, स्वयं सेवी संगठन 'परिवर्तन' के श्री अरविंद केजरीवाल, राष्ट्रसंघ मानवाधिकार पहल की अध्यक्ष सुश्री माजा दारुवाला, श्री शेखर सिंह आदि जैसे इस क्षेत्र के अग्रणी लेखक और विशेषज्ञों की रचनाएं इस अंक में शामिल होंगी।**
- **इस विशेषांक का मूल्य 15 रुपये है।**

पाठक कृपया अपना आदेश स्थानीय एजेंट को दें अथवा विज्ञापन एवं प्रसार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, पूर्वी खंड-4, लेवल-7, रामकृष्णपुरम, नयी दिल्ली-110066 (दूरभाष:26100207 फैक्स: 26175516) को संपर्क करें।

बिक्री तथा अन्य जानकारियों के लिए संपर्क करें:

प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, पूर्वी खंड-IV रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष: 26105590, तार : सूचनाप्रकाशन * बिक्रीकेंद्र) * सूचना भवन, सीजीओ कॉम्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 (दूरभाष: 23890205) * कॉमर्स हाउस, करीमभाई रोड, बालार्ड पायर, मुंबई-400038 (दूरभाष: 22610081) * 8, एसप्लानेड ईस्ट, कोलकाता-700069 (दूरभाष: 22488030) * 'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर, चेन्नई-600070 (दूरभाष: 24917673) * प्रेस रोड, गवर्नमेंट प्रेस के निकट, तिरुवनंतपुरम-695001 (दूरभाष: 2330650) * ब्लॉक सं-4, पहला तल, गृहकला कॉम्लेक्स, एमजे रोड, नामपल्ली, हैदराबाद-500001 (दूरभाष: 24605383) * फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलौर-560034 (दूरभाष: 25537244) * बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ, पटना-800004 (दूरभाष: 2301823) * हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-8, अलीगंज, लखनऊ- 226024 (दूरभाष: 2325455) * अंबिका कॉम्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, पाल्दी, अहमदाबाद-380007 (दूरभाष: 26588669) * नौजान रोड, उजान बाजार, गुवाहटी-781001 (दूरभाष: 2516792) * द्वारा/पीआईबी, मालवीय नगर, भोपाल-462003 (म.प्र.) (दूरभाष: 2556350) * द्वारा/पीआईबी, बी-7/बी, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302001 (राजस्थान) (दूरभाष: 2384483)

पत्रिका स्थानीय समाचारपत्र विक्रेताओं से भी प्राप्त की जा सकती है

ग्राम स्तर संस्था और सहगल फाउन्डेशन का संयुक्त प्रयास

जिल्ले रहमान

ग्रामीण भारत के विकास में सरकारी योजनाओं व नीतियों की जितनी भूमिका है, उससे कम महत्वपूर्ण गैर–सरकारी संगठनों की भी भूमिका नहीं है। इन्हीं में से एक है सहगल फाउंडेशन, जिसके गठन के मूल में ग्रामीण भारतीय समुदायों की बेहतरी का जज्बा है। फाउंडेशन इस बात को भली–भांति समझता है कि भारत में ग्रामीण विकास एक कठिन व जटिल कार्य है, लिहाजा समग्र विकास के लिए समेकित व अविलम्बनीय विकास का रास्ता ही समुचित विकल्प है। इसी नजरिए से सहगल फाउंडेशन ने ग्रामीणों को साथ लेकर उनके विकास का बीड़ा उठाया है। सर्वविदित है कि गांवों में आज भी कृषि ही आजीविका का प्रमुख साधन है। कृषि प्रधान गांवों का सामाजिक ढांचा परिवार और समुदाय पर ही आधारित है। इसलिए यह जरूरी है कि कृषि में वांछित व यथोचित सुधार किया जाए, पारिवारिक जीवन को सुदृढ़ किया जाए और गाँवों का बुनियादी ढांचा विकसित किया जाए। इस पूरी प्रक्रिया में महिलाओं की केंद्रीय भूमिका होती है, ऐसा फाउंडेशन का मानना है। चाहे पानी की समस्या हो या जनसंख्या की, महिलाएं इनसे निपटने में अधिक सहायक हैं। फाउंडेशन को यह भी विश्वास है कि जब तक ग्रामीणों को सांस्कृतिक संवेदना के साथ सशक्त नहीं बनाया जाएगा, तब तक उनके परिवार का सुनिश्चित नियोजन नहीं हो पाएगा।

सहगल फाउंडेशन ने हरियाणा के गुड़गांव जिले के कुछ गांवों को अपनी विकासोन्मुखी गतिविधियों का केन्द्र बनाया है, जहां फाउंडेशन अपने चार सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में जुटा है। इसके चार सूत्री कार्यक्रम में शामिल हैं– जल प्रबंधन, प्राथमिक स्वास्थ्य, रोजगार और पारिवारिक जीवन से जुड़ी शिक्षा।

भारत सरकार द्वारा 2002 में कराए गए सर्वेक्षण के मुताबिक गांवों में सिर्फ 29 प्रतिशत लोगों को ही पीने का पानी आसानी से उपलब्ध हो पाता है। अधिकांश लोग सामुदायिक नलों, चापाकल और कुंओं से पानी लेते हैं। गुड़गांव जिले के गांवों में जलापूर्ति एवं जल निपटान की व्यवस्था सीमित और अव्यवस्थित है। घरों में पानी की सीधी आपूर्ति नहीं है और महिलाओं को पानी के लिए परेशानी उठानी पड़ती है। इसी परेशानी को महसूस कर फाउंडेशन ने जल प्रबंधन को प्राथमिकता दी है। परियोजना क्रियान्वयन दल गांवों में पानी को ठीक से लाने, बरतने और उसके निपटान के बारे में जानकारी देता है। जमीन मे पानी का स्तर नीचे न जाए इसके लिए रंगला राजपुर गांव में चेक डैम की व्यवस्था की गई है। इसमें लागत का 25 प्रतिशत ग्रामीणों ने दिया है और शेष फाउंडेशन ने।

इसी प्रकार कृषि को लेकर नए–नए तरीके अपनाने पर यह फाउंडेशन बल देता है। किसानों को इस बात का प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस प्रकार जमीन ऊंची करके कम पानी के प्रयोग से अच्छी और अधिक सब्जियां उगाई जा सकती हैं। किसानों को उस गांव में ले जाकर दिखाया जाता है, जहां इस प्रणाली को अपनाकर अच्छी सब्जियां उगाई जा रही हैं। केंचुओं से बनी खाद के प्रयोग को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। 'ड्रिप इरीगेशन' की भी जानकारी दी जाती है। इसके अलावा वृक्षारोपण, चारा उत्पादन, मछली पालन को भी बढ़ावा देने का कार्य यह फाउंडेशन करता है।

फाउंडेशन का तीसरा सूत्र पारिवारिक जीवन से जुड़ी शिक्षा का है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है किशोरियों को सक्षम और सशक्त बनाना इसके तहत पढ़ना–लिखना, साफ सफाई की जानकारी, प्रजनन के दौरान स्वास्थ्य और परिवार नियोजन की विस्तृत जानकारी दी जाती है। व्यक्तित्व से जुड़े पहलुओं को भी बताया जाता है जैसे, आत्मविश्वास, निर्णय लेने और नेतृत्व करने की क्षमता। सिलाई–कढ़ाई का भी प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि रोजगार का वैकल्पिक साधन उपलब्ध हो सके।

जहां तक स्वास्थ्य की बात है तो फाउंडेशन ने अपने ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत इस बात को प्राथमिकता दी है कि लोग स्वस्थ जीवन जीएं और इसे अपना उत्तरदायित्व समझें कि उन्हें कम से कम खुद को स्वस्थ रखना है। ग्रामीणों को इस बात की जानकारी दी जाती है कि कैसे वे कम से कम खर्च में खुद को स्वस्थ रख सकते हैं और दूसरों को भी संभाल सकते हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम में सुरक्षित मातृत्व एवं बचाव, यौन रोग से बचाव, परिवार नियोजन, जननांगों के संक्रमण से बचाव, व्यक्तिगत साफ–सफाई, संचारी रोगों की रोकथाम जैसी बातों को महत्व दिया जाता है और ग्रामीणों को प्रेरित किया जाता है कि वे इन्हें अपनाएं और स्वस्थ रहें।

शिक्षा के लिए आगे आई लड़कियाँ

फाउंडेशन द्वारा कराए गए सर्वे में यह पाया गया कि मेवात क्षेत्र में मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा न के बराबर है कम उम्र में शादी, मां बाप की अनिच्छा और लड़कों को प्राथमिकता। किन्तु सहगल फाउंडेशन के प्रयासों से अगोन, घाघस, गोयना जैसे गांवों में यह संभव हो पाया है कि लोग लड़कियों की पढ़ाई व व्यक्तित्व विकास पर ध्यान देने लगे हैं। अगोन में 229, गोयला में 86 और घाघस में 207 लड़कियों ने फाउंडेशन द्वारा चलाए गए पारिवारिक जीवन शिक्षा कार्यक्रम में हिस्सा लिया और पूरी शिक्षा ली। दूसरी तरफ तकरीबन 80 से 85 प्रतिशत लड़कियां सिलाई–कढ़ाई कर अपनी आजीविका भी कमा रही हैं। इनमें से अधिकांश लड़कियों ने इच्छा व्यक्त की है कि वे 18 वर्ष पूरे होने के बाद ही शादी करना चाहती हैं।

45 शौचालयों का हुआ निर्माण

घाघस के गरीब और असहाय लोगों के लिए फाउंडेशन ने उन्हीं की मदद से 45 शौचालय बनवाए। फाउंडेशन ने प्रस्ताव रखा कि यदि लोग श्रमदान करके गड्ढे खुदवा दें तो फाउंडेशन सामग्री उपलब्ध करा सकता है। लोगों को बात समझ आई और जहीरूद्दीन, रमजान, बनबीर, सिराजुद्दीन, शर्मिला जैसे उत्साहियों की मदद से शौचालयों का निर्माण हुआ।

आयशा ने दिखाई हिम्मत

घाघस के एक गरीब परिवार में 11 बच्चों में चौथी आयशा कभी स्कूल नहीं गई। उसने फाउंडेशन के पारिवारिक जीवन शिक्षा कक्षाओं में पढ़ना, लिखना और कपड़ों की सिलाई करना सीखा। जब वह 16 साल की थी तो उसके पिता ने पास के एक गांव में उसके शादी कर दी। शादी के दो सप्ताह बाद ही उसके सिर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, जब उसे पता चला कि उसके पति की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसके ससुर ने भी उससे बदतमीजी की। जब उसने इन बातों का विरोध किया तो उसे उसके मायके भेज दिया गया।

आशा ने हिम्मत दिखाई और मां के पास रहना स्वीकार कर लिया। आज वह फांउडेशन द्वारा सिखाए गए हुनर की बदौलत 1500 रुपये महीना कमाती है और अपने छोटे भाई–बहनों की देखभाल भी करती है। ❑

(स्वतंत्र पत्रकार)

एनएसएस संगठन का योगदान

विनोद कुमार शर्मा

राष्ट्र निर्माण में तथा किसी भी बड़ी प्राकृतिक आपदा से निपटने में सरकार की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के स्वयंसेवक समाज सेवा के क्षेत्र में अहम् भूमिका निभा रहे हैं।

केंद्र सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा प्रायोजित यह योजना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 में 37 विश्वविद्यालयों में शुरू की गई थी जिसमें सामुदायिक सेवा के माध्यम से 40,000 छात्रों को शामिल करते हुए विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करने की ओर ध्यान दिया गया था। आज पूरे देश में राष्ट्रीय सेवा योजना की नामावली में 178 विश्वविद्यालयों और 39 वरिष्ठ माध्यमिक परिषदों के 22 लाख विद्यार्थी तथा व्यावसायिक शिक्षा निदेशालय के तहत 8600 से भी अधिक शिक्षण संस्थाओं/उच्च शिक्षा कालेजों और 6350 माध्यमिक स्कूलों के 20 लाख विद्यार्थी स्वयंसेवक शामिल हैं। इस सेवा के आरंभ होने की तारीख से 2.53 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालयों/कालेजों और उच्च शिक्षा के संस्थानों से एनएसएस कार्यकलापों का छात्र स्वयंसेवक के रूप में लाभ उठाया है।

एनएसएस ने समुदायों की आवश्यकताओं का पक्ष लेकर साथ ही साथ संवेदनशील, आत्मविश्वासी नागरिक के रूप में उनकी भविष्य की भूमिका के लिए छात्रों को तैयार करके शिक्षा प्रक्रिया में एक नया आयाम जोड़ा है। इसके शुरू होने के तीन वर्ष बाद ही एनएसएस को 1972 में पहली बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, जब देश का बड़ा हिस्सा विकट सूखे से प्रभावित हुआ था। एनएसएस से देश में जल संसाधन प्रबंधन गतिविधियों में भाग लेने के लिए अपने स्वयंसेवकों को भेजकर इस चुनौती का सामना किया। हर वर्ष स्वयंसेवकों के सामने एक नया लक्ष्य या विषयवस्तु रखी जाती है। वर्ष 1974–75 में "गंदगी और बीमारियों के विरूद्ध युवा", 1975–77 में "वनीकरण और वृक्षारोपण के लिए युवा", 1978–82 में "आर्थिक विकास के लिए युवा", 1983–87 में "ग्रामीण पुनर्निमाण के लिए युवा", 1988–89 में "विकास के लिए युवा" 1992–94 में "जन साक्षरता के लिए युवा", 1995–98 में "सतत विकास के लिए युवा", 1999–2001 में "स्वास्थ्य समाज के लिए युवा", 2002–03 में "जल संवर्धन के लिए युवा" तथा 2003–04 में "स्वच्छता के लिए युवा" की समाज कल्याणकारी विषयवस्तुएं स्वयंसेवकों को दी गई जिनमें व्यापक सफलता हासिल हुई।

वर्ष 2004–05 के लिए विशेष शिविर कार्यक्रम हेतु "नदियों में फिर से बढ़े जलधारा ये है संकल्प हमारा" नामक विषयवस्तु दी गई। राष्ट्रीय सेवा योजना ने जन साक्षरता, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य शिक्षा, सामुदायिक विकास, सामाजिक विकास, समाजिक बुराइयों के विरूद्ध अभियान इत्यादि के क्षेत्र में वर्षों से रचनात्मक प्रयास किए हैं। स्वयंसेवकों ने सूखा, बाढ़, चक्रवात, भूकम्प तथा सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं में स्वैच्छिक रूप से अग्रणी भूमिका अदा की है। उदाहरण के तौर पर सुनामी द्वारा प्रभावित 16 जिलों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दो संघशासित क्षेत्रों में 10 विश्वविद्यालयों के 110 संस्थानों से 60,000 से अधिक स्वयंसेवकों को तैयार किया गया था। सुनामी प्रभावितों के लिए केरल में 11 राहत शिविर भी लगाए गए थे।

जहां तक इस योजना पर होने वाले खर्च का प्रश्न है, उत्तर–पूर्वी क्षेत्र, सिक्किम तथा पहाड़ी भू–भाग, जहां पर 3:1 का अनुपात है, को छोड़कर सभी राज्यों में इस कार्यक्रम पर व्यय की जाने वाली धनराशि का केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संयुक्त रूप से 7:5 अनुपात में वित्त पोषित किया जाता है। प्रशासन, प्रशिक्षण, अनुसंधान, दिग्विन्यास, मूल्यांकन और प्रकाशन से संबंधित सभी व्यय पूर्णरुप से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष 148 एनएसस स्वंयसवकों का दल नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेता है। सरकार द्वारा स्वयंसेवको, कार्यक्रम अधिकारियों तथा कार्यक्रम समन्वयकों द्वारा प्रदान की गई निःस्वार्थ सेवाओं को मान्यता देने के लिए एनएसएस की रजत जयंती वर्ष 1993–94 के दौरान इंदिरा गांधी एनएसएस पुरस्कार प्रारंभ किए गए थे। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 24 सितंबर को आयोजित समारोह में दिए जाते हैं।

भारत जैसे विकासशील देश में इस प्रकार का संगठन आड़े वक्त पर विपत्ति में अपना यथोचित सहयोग देकर स्थिति को उबार सकता है। यही नहीं, इस कार्यक्रम के जरिए देश का युवा वर्ग सामाजिक बुराइयों के विरूद्ध सार्थक अभियान चलाकर एक स्वच्छ समाज के निर्माण की दिशा में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवा योजना के स्वयंसेवकों के लिए दो प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। पर नियमित कार्यक्रम तथा दूसरे विशेष शिविर कार्यक्रम। नियमित गतिविधियों के दौरान दो वर्षों के लिए वे प्रति वर्ष 120 घंटे लगाते हैं, जिनमें एनएसएस संबंधी सामान्य अभिविन्यास के 20 घंटे और अपने नेतृत्व में उनके द्वारा किया गया परियोजना कार्य शामिल है। दो परिषदों द्वारा प्रमाण पूरा होने के बाद वे विश्वविद्यालयों और अपनाए गए गांवों/मलिन बस्तियों में समाज के उन्नयन के लिए विशेष रूप से सफाई, प्रौढ़ शिक्षा, पर्यावरण का संरक्षण/बचाव, स्वास्थ्य जांच के कार्यक्रमों के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, पल्स पोलियो, प्रतिरक्षण, दहेज, नशीली दवाओं का दुरूपयोग, अंधविश्वास जैसी सामाजिक बुराइयों के विरूद्ध अभियान आदि के क्षेत्र में कार्य करते हैं।

वर्ष 1991 में छात्रों के बीच एचआईवी/एड्स के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने यूनिवर्सिटी टॉक एड्स नामक एक परियोजना विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा प्रारंभ में वित्तपोषित की गई थी तथा अब यह कार्यक्रम राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन(नाको), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वित्तीय सहायोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। एचआईवी/एड्स और किशोर यौन और प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित कुछ मुद्दों पर महत्वपूर्ण जानकारी तथा परामर्श प्रदान करने के लिए पूरे देश के 11 विश्वविद्यालयों में एचआईवी/एड्स संबंधी सूचना और परामर्श केंद्र स्थापित किए गए। वर्ष 2004 में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर 15 राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय केंद्रों में रैलियां, मेले, प्रदर्शनियां और युवा सम्मेलन आयोजित किए गए, जिनमें 60,000 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। ❑

(लेखक प्रेस सूचना कार्यालय, नई दिल्ली में सूचना सहायक है)

भारत की सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षक हस्तशिल्प उद्योग

श्याम सुन्दर सिंह चौहान

बनारसी साड़ियां, चंदेरी साड़ियां, कांजीवरम सिल्क, मैसूर सिल्क, कश्मीरी शॉल, सांगानेरी प्रिंट्स, फर्रूखाबादी रजाईयां, जोधपुरी जूतियां, जयपुरी रजाईयां, फिरोजाबादी चूड़ियां, जलेसरी घुंघरू, मुरादाबादी बर्तन, सहारनपुरी फर्नीचर, जोधपुरी फर्नीचर, मथुरा की मूर्तियां, अलीगढ़ के ताले, हैदराबादी फर्नीचर, आदि ऐसे ब्राण्ड नाम हैं जो शताब्दियों से भारतीय जन–मानस में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। इन ब्राण्डों की विशेष बात यह है कि इनका सृजन किसी जानीमानी कंपनी की पहल पर किसी विज्ञापन एवं विपणन विशेषज्ञ द्वारा नहीं किया गया है बल्कि इन ब्रांण्डों की पहचान एवं लोकप्रियता इन उत्पादों के सृजन एवं विनिर्माण से जुड़े हस्तशिल्प के दस्तकारों की कठिन मेहनत, सृजनात्मकता, कौशल एवं पेशे से जुड़ी निष्ठा का परिणाम है। सामूहिक ब्रांड नाम की लोकप्रियता का ऐसा अनूठा उदाहरण भारतीय उप–महाद्वीप के बाहर शायद ही कहीं मिले।

परंपरागत तौर पर भारत का हस्तशिल्प उद्योग शताब्दियों तक विश्व का सिरमौर रहा है। हाथ के दस्तकारों ने साधारण से उपकरणों की सहायता से विभिन्न प्रकार की लकड़ी,पत्थरों, रेशम, ऊन, हीरे–मोती–जवाहरातों को अपनी स्वयं की कल्पनाशीलता से ऐसी–ऐसी वस्तुओं को आकर्षक एवं उपयोगी स्वरूप प्रदान किया है कि उसे देखते बरबस मुंह से निकल पड़ता है कि इसमें तो बस जान डालने की देर है। संगमरमर पर उत्कृष्ट पच्चीकारी के लिए यदि 'ताजमहल' को भारतीय पर्यटन उद्योग का सबसे मूल्यवान ब्रांड नाम माना जाता है तो पत्थरों को तराश कर उनसे महराब, खम्बे, छतें, तोरणद्वार, आदि के लिए दिलवाड़ा, खजुराहो, कोणार्क, मदुरै, तंजावुर के मंदिरों को प्रसिद्धि हासिल है। भारत की मूर्तिकला तथा वास्तुकला सैकड़ों वर्षों से हस्तशिल्प के बेहतरीन क्षेत्रक के रूप में स्थापित हैं।

भारत के हस्तशिल्प उद्योग की प्रतिष्ठा की कहानी यहीं समाप्त नहीं हो जाती। पूरी तरह से हाथ से काम करते हुए देश के विभिन्न भागों में बसे दस्तकारों ने स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चेमाल–लकड़ी, पत्थर, धातुएं, वनस्पतियों आदि से ही घरों में काम आने वाली अनेक वस्तुओं– बर्तन, पलंग, चौखट–दरवाजे, फर्नीचर, मूर्तियां, खिलौने, सजावट की वस्तुओं का विनिर्माण किया है। सूत, रेशम, ऊन से बने वस्त्रों को आकर्षक रूप प्रदान करने में दस्तकारों की भूमिका अतिमहत्वपूर्ण रही है। जीविकोपार्जन के एक साधन के रूप में प्रारम्भ हुआ हस्तशिल्प उद्योग कब धनाड्य एवं अभिजात्यवर्ग की पसन्द बन गया इसका कोई लेखा–जोखा तो उपलब्ध नहीं है। लेकिन विदेशी आक्रान्ताओं की कुटिल नीतियों के झंझावतों को झेलते हुए इसने अपनी पृथक पहचान बनाए रखी है तो वह निस्संदेह इससे जुड़े दस्तकारों की वर्षों की मेहनत एवं पीढ़ी–दर–पीढ़ी इस कला कौशल को सहेज कर रखने की दृढ़ इच्छा शक्ति का ही कमाल है।

सांस्कृतिक धरोहर का अंग एवं संरक्षक

भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को भारत की सांस्कृतिक धरोहर से अलग करके न तो देखा जा सकता है और न समझा जा सकता है। मूर्तिकला एवं वास्तुकला में धार्मिक रीति–रिवाजों एवं परंपराओं का संगम है। देवी–देवताओं की मूर्तियां एवं अनेक प्रकार के रूप बनाने के लिए लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, चूना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, लोहा, तांबा, पीतल, कांसा, अष्टधातु आदि सभी का प्रयोग किया गया। मूर्तियां गढ़ने, बनाने तराशने एवं ढालने का कार्य शताब्दियों से होता चला आ रहा है। वस्त्रों के पहनावे में भले ही प्रान्तीय अथवा क्षेत्रीय भिन्नता हो लेकिन उन वस्त्रों को आकर्षक बनाने के लिए टेराकोटा ज़री, कढ़ाई, एम्ब्रोइडरी, रंगाई–छपाई के जो तौर–तरीके आज से हजारों वर्ष पूर्व विकसित हुए होंगे वे आज भी विद्यमान हैं। आधुनिकता के इस दौर में भी जरी के काम की, एम्ब्रोइडरी, चिकन की साड़ियों की मांग बहुत अधिक है। एम्ब्रोइडरी की हुई शेरवानी, जोधपुरी सूट एवं अचकन आज के युवाओं की पहली पसन्द है। कांच की चूड़ियों को फैशन का कोई भी दौर नारी श्रृंगार से अलग नहीं कर सका। लगभग यही स्थिति सोने–चांदी के आभूषणों की रही। हस्तशिल्प की अनेक वस्तुओं ने विभिन्न धर्मों एवं उनकी संस्कृतियों को आपस में जोड़कर एक सर्वथा नवीन संस्कृति को जन्म दिया जिसे 'गंगा–जमुनी' संस्कृति अथवा 'हिन्दुस्तानी' संस्कृति का नाम दिया जा सकता है। वस्त्रों, आभूषणों, सजावटी वस्तुओं के उपयोग के मामले में हिन्दुओं, मुसलमानों, सिक्खों, ईसाईयों, जैनियों में भेद कर पाना धीरे–धीरे कठिन होता जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हस्तशिल्प ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर, कला–कौशल तथा परंपरागत कलाओं की बहुमुखी समृद्धिशीलता को संरक्षित बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

आर्थिक महत्व

शताब्दियों से भारत का हस्तशिल्प उद्योग गांवों, कस्बों और शहरों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग रहा है। यह एक श्रमप्रधान उद्योग है जिसमें नाम मात्र के पूंजी निवेश से बड़ी मात्रा में रोजगार सृजित होता है। सबसे बड़ी बात तो यह कि उच्च निर्यात संभाव्यता वाले इस उद्योग के लिए किसी भी प्रकार के कच्चेमाल या मशीनी उपकरणों के आयात की आवश्यकता नहीं पड़ती। वस्तुओं के स्वरूप परिवर्तन से ही उच्च मूल्य वर्धन होता है। हस्तशिल्प उद्योग की एक अन्य प्रमुख बात

यह भी है कि इसमें काम करने वाले दस्तकारों के लिए उच्चस्तरीय व्यक्तिगत कौशल एवं दक्षता की आवश्यकता होती है किंतु इसके बावजूद इसमें कार्यरत कामगार औपचारिक रूप से किसी प्रशिक्षण संस्थान में अपने-अपने व्यवसाय से संबंधित कार्यों का प्रशिक्षण अथवा शिक्षा प्राप्त नहीं करते। हस्तकला से जुड़े व्यवसाय तो पारिवारिक आधार पर, पीढ़ी-दर-पीढ़ी उत्तरोत्तर हस्तांतरित होते रहे हैं। पिता या बड़े भाई या किसी अन्य परिवारजन के साथ कार्य करते हुए बालक कब परिपक्व एवं कुशल कारीगर बन जाते हैं इसका पता ही नहीं चलता। यही कारण है कि हस्तशिलप से जुड़े लगभग सभी व्यवसायों/उद्योगों में बालश्रमिकों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। इनमें से अधिकांश बाल श्रमिक प्रशिक्षु (एप्रेन्टिस) के रूप में ही कार्य करते हैं। कार्यों की प्रकृति ऐसी है कि उसे बालक और किशोर ही अधिक सुग्राहयता से सीख सकते है। कालीन बुनने, पत्थर तराशने का कार्य करने आदि ऐसे अनेक उच्चस्तरीय कलाकौशल वाले कार्य हैं जो श्रमिकों, जिनमें बालश्रमिक भी शामिल है, कि वर्षों की साधना का परिणाम हैं। हस्तशिल्प उद्योगों में बालश्रम के औचित्य पर गैर-सरकारी संगठन, मानवाधिकारीवादी या विदेशी सरकारें भले ही प्रश्नचिन्ह लगाएं लेकिन इसका व्यावहारिक पक्ष यह है कि ये उद्योग ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर व्याप्त बेरोजगारी के दौर में कुशल श्रमिक तैयार कर उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रमाणित तथा स्थापित स्रोत हैं। ये ऐसे स्रोत हैं जिनकी स्थापना और परिचालन पर सरकार को भी खर्च नहीं करना पड़ता। इन उद्योगों में बालश्रम की समस्या पर विचार करते समय उपर्युक्त पक्ष पर भी विचार किया जाना चाहिए। हस्तशिल्प उद्योगों में कार्यरत बाल श्रमिकों के शोषण पर तो प्रहार किया जाना चाहिए, किन्तु उनके परंपरागत व्यवसायों को सीखने की प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिए। क्योंकि यही प्रवृत्ति और लगन उन्हें एक दिन कुशल कारीगर बनाएगी। हस्तशिल्प उद्योगों में कार्यरत बाल श्रमिकों के शोषण एवं उत्पीड़न को समाप्त करके उन्हें एक बेहतर कारीगर, एक जागरूक नागरिक बनाए जाने की मुहिम छेड़ी जानी चाहिए। उनकी शिक्षा-दीक्षा की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

पूरी तरह से असंगठित हस्तशिल्प उद्योग ने विगत दो दशकों में निर्यातोन्मुखी उद्योग का दर्जा प्राप्त कर लिया है। एक मोटे अनुमान के तहत देश में प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से लगभग 160-180 लाख लोगों को रोजगार देने वाला हस्तशिल्प उद्योग प्रतिवर्ष 10000 करोड़ रुपए से अधिक का विदेशी विनिमय अर्जित करता है।

विस्तार

हस्तशिल्प उद्योग भारत के कोने-कोने में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। स्थानीय स्तर पर कच्चे माल एवं कारीगरों की उपलब्धता तथा राजे-महाराजे, नवाबो-रईसों के काल में विभिन्न पकार की कलाओं को दिए गए संरक्षण से देश के अलग-अलग भागों में अलग-अलग प्रकार के हस्तशिल्प उद्योग स्थापित और विकसित हुए हैं। परिवहन एवं संचार के तीव्रगामी साधन विकसित हो जाने के कारण हस्तशिल्प वस्तुओं का बाजार भले ही स्थानीय से विस्तारित होकर अन्तर्राष्ट्रीय हो गया हो, लेकिन हस्तशिल्प वस्तुओं के उत्पादन केंद्र अभी भी देश के अलग-अलग राज्यों में केंद्रित हैं। हस्तशिल्प वस्तुओं की गुणवत्ता तथा उसमें मौजूद कला-कौशल के सहारे ही अनेक हस्तशिल्प उत्पादों के उत्पादन स्थल (शहर या क्षेत्र) ही उनके चिरस्थायी ब्रांड नाम बन गए हैं।

निर्यातोन्मुखी उद्योग

हस्तशिल्प उद्योग का स्वरूप अब धीरे-धीरे निर्यात परक उद्योग होता जा रहा है। यही तत्व इस उद्योग के विकास की जान है और इसी ने कारीगरों, विशेष रूप से बाल श्रमिकों के शोषण को जन्म दिया है। लगभग सारे देश में हस्तशिल्प की वस्तुओं का उत्पादन गांवों-शहरों में फैले कारीगरों द्वारा किया जाता है लेकिन इन उत्पादों की बिक्री स्थानीय स्तर पर तथा निर्यात लगभग पूरी तरह से निजी क्षेत्र के व्यापारियों के हाथों में केंद्रित है। सरकारी प्रयासों में दस्तकारों की सहकारी समितियां तथा राज्य हस्तशिल्प विकास निगमों की स्थापना भी की गई है लेकिन कारीगरों एवं हस्तशिल्प सहकारी समितियों तथा राज्य हस्तकला निगमों से सीधे निर्यात की मात्रा नगण्य है। निजी उद्यमी इस उद्योग में मांग का सृजन करते हैं जो विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देती है।

तालिका
भारत का हस्तशिल्प उद्योग
(कालीन एवं अन्य हस्तशिल्प उत्पाद)

वर्ष	उत्पादन (करोड़ रुपये)	रोजगार (मिलियन व्यक्ति)	निर्यात (करोड़ रुपये)
1997-98	10411	5.292	6458
1998-99	12175	5.424	7072
1999-2000	13916	5.560	8060
2000-2001	16340	5.700	9271
2001-2002	18677	5.841	10610
2002-2003 (लक्ष्य)	22765	6.010	12732
2006-2007 (लक्ष्य)	47204	6.770	17000

स्रोत : भारत सरकार; दसवीं योजना 2002-07, खण्ड-द्वितीय, योजना आयोग.

नोट : चूंकि भारत में हस्तकला उद्योग से संबंधित समग्र आंकड़ा आधार उपलब्ध नहीं है इसलिए उत्पादन, एवं रोजगार के आंकड़े निर्यातों के आंकड़ों से निकाले गए हैं। हस्तशिल्प उद्योग के उत्पादन एवं रोजगार के वास्तविक आंकड़े तो इनसे कई गुना अधिक हो सकते हैं।

हस्तशिल्प उद्योग पर्यटन उद्योग को किस सीमा तक बढ़ावा देता है यह इसी तथ्य से समझा जा सकता है कि देश के सभी पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में स्थापित हस्तशिल्प वस्तुओं के एम्पोरियम पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। स्थिति तो यहां तक हो गयी है कि पर्यटक ग्राहकों, विशेष रूप से विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हर प्रकार के उचित अनुचित हथकंडे अपनाए जाते हैं। दस्तकार से 10 रुपये में खरीदी गयी हस्तशिल्प की वस्तु 1,000 रुपये में भी बेच दी जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। मूल्य वर्धन के 990 रुपये दलालों, पर्यटकों को एम्पोरियम तक लाने वाले वाहन चालकों, ट्रैवल एजेंसियों तथा शोरूम मालिकों के बीच बंट जाते हैं।

भारत सरकार द्वारा 1986–87 में घोषित निर्यात–आयात नीति के तहत हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए "हस्तशिल्प हेतु निर्यात प्रोन्नयन परिषद" की स्थापना किए जाने की घोषणा को कार्य रूप देते हुए इसे स्थापित कर दिया गया है। इस परिषद द्वारा विदेशों में प्रतिवर्ष लगाए जाने वाले भारतीय हस्तशिल्प तथा उपहार मेलों की बदौलत विदेशी बाजारों में भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों की मांग बढ़ी है। इसी से इन वस्तुओं के निर्यात में प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है। इसके बावजूद विश्व के कुल हस्तशिल्प कारोबार में भारत की हिस्सेदारी मात्र 2 प्रतिशत है।

हस्तशिल्प निर्यात प्रोन्नयन परिषद के प्रयासों से भारत के हस्तशिल्प उत्पादों का निर्यात वर्ष 1990–91 में 713 करोड़ रुपये से बढ़कर 1992–93 में 1412 करोड़ रुपये तथा 2001–02 में 6769.50 करोड़ रुपए हो गया। वर्ष 2002–03 की अवधि में निर्यातों में सर्वाधिक वृद्धि (5702.69 प्रतिशत) एम्ब्राइडरी एवं क्रोशिया से बने कपड़ों की हुई है। वर्ष 2002–03 में हस्तशिल्प के कुल निर्यातों में इस संवर्ग के उत्पादों का हिस्सा 29.70 प्रतिशत है दूसरे स्थान पर धातु की कलात्मक वस्तुएं हैं, जिनका निर्यात मूल्य कुल हस्तशिल्प निर्यात मूल्य का 25.95 प्रतिशत हैं। आलोच्य अवधि में धातु की हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात में 350.76 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। ऊनी शालों के निर्यात में कोई सकारात्मक वृद्धि नहीं हो पायी है, इसका प्रमुख कारण इन 10 वर्षों में जम्मू–कश्मीर में व्याप्त आतंकवादी गतिविधियां हैं। वर्ष 1992–93 से 2002–03 की अवधि में लकड़ी की कलात्मक वस्तुओं के निर्यात की संवृद्धि दर 651.76 प्रतिशत; हाथ से छपे वस्त्रों की 646.32 प्रतिशत, जरी की वस्तुओं की 273.90 प्रतिशत, नकली आभूषणों की 630.47 प्रतिशत तथा अन्य हस्तकला उत्पादों की 160.26 प्रतिशत रही है।

जहां तक हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात स्थलों का प्रश्न है तो सर्वाधिक (32 प्रतिशत) निर्यात संयुक्त राज्य अमरीका को किया जाता है। इसके बाद जर्मनी तथा यू.के. (11 प्रतिशत) का स्थान है। फ्रांस को कुल निर्यातों का 5 प्रतिशत; कनाडा, इटली, जापान नीदरलैण्ड को 3–3 प्रतिशत तथा स्विट्जरलैण्ड व आस्ट्रेलिया को 2–2 प्रतिशत निर्यात होता है।

हस्तशिल्प उद्योग की बाजार–प्रेरित संवृद्धि से भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार उपलब्ध हो गया है। इससे शहरी क्षेत्र के हस्तशिल्प उत्पादों तथा विदेशी क्रेताओं की पहुंच हो गई है लेकिन ग्रामीण दस्तकारी वस्तुओं तक उसकी पहुंच सीमित ही है। फिलीपीन्स, चीन तथा ताइवान जैसे देशों की सरकारें डलिया बुनने जैसी नीची लागत वाली दस्तकारी को जहां सुदृढ़ आधारिक अवसंरचना सहायता देती है, वहीं भारत में इस प्रकार की हस्तशिल्प के प्रोन्नयन हेतु अभी तक कुछ नहीं किया गया है। विगत कुछ वर्षों से हस्तशिल्प निर्यात प्रोन्नयन परिषद, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से वित्तपोषित कालीन, बेंत तथा बांस उत्पादों की परियोजनाओं, इण्डिया एक्सपोजीशन मार्ट तथा शहरी हाटों की स्थापना के रूप में शहरी हस्तशिल्प उत्पादों के साथ–साथ ग्रामीण हस्तशिल्प उत्पादों को भी मुख्य धारा में शामिल किया जा रहा है।

विकास में बाधाएं

अनेक लाभ तथा उच्च रोजगार तथा ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त होने के बावजूद भारत का हस्तशिल्प उद्योग यूं तो अंग्रेजी शासन काल की कपटपूर्ण आर्थिक नीतियों का शिकार रहा है, किन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी इसके विकास हेतु कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। यह इसी से पता चलता है कि भारत सरकार की ओर से इस क्षेत्र के विकास हेतु 60–80 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष ही आवंटित किया जाता है। सरकारी तंत्र से हर प्रकार की सहायता प्राप्त प्लास्टिक उद्योग, स्टील एवं प्लास्टिक फर्नीचर उद्योग आदि से मिलने वाली कड़ी प्रतिस्पर्धा के शिकार हस्तशिल्प उद्योग के मार्ग में निम्नलिखित बाधाएं हैं।

- उत्पादों की अधिकता,
- बाजार गतिकी की जटिलता,
- मानकीकृत उत्पादों का अभाव,
- दस्तकारों का बाजारतंत्र से अलग–थलग होना,
- स्थानीय हस्तशिल्प बाजार में कपटपूर्ण प्रवृत्तियां,
- दस्तकारी की विविधतापूर्ण प्रकृति से नीतियों तथा रणनीति को बनाने एवं लागू करने में कठिनाई,
- वास्तविक रूप से औसत उत्पादकता में वृद्धि के बावजूद औसत मजदूरी 2000 रुपए प्रतिमाह पर स्थिर है,
- नई प्रौद्योगिकी, वृहत स्तरीय आयोजना, औद्योगिक नीतियों, बाजार प्रणाली आदि सभी से उपेक्षित,
- संगठित रूप से प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था नहीं,
- नीची मजदूरी दर के चलते कुशलतम दस्तकारों के बच्चों में पारिवारिक व्यवसाय के प्रति लगाव न होना,
- दस्तकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा तथा श्रमकल्याण योजनाओं का अभाव,
- बाजार की अपूर्णताओं से वास्तविक उत्पादकों (दस्तकारों) का मध्यस्थों द्वारा शोषण,
- दस्तकारी व्यवसायों का परम्परागत तौर पर विशिष्ट समुदायों, जातियों तक ही केंद्रित बना रहना अर्थात् अन्य समुदायों/जातियों के युवाओं में इसके प्रति रुचि विकसित न हो पाना।

सुधार एवं विकास हेतु उपाय

कम पूंजी निवेश से उच्च रोजगार सृजन क्षमता, भारी निर्यात संभाव्यता, उच्च मूल्यवर्धन अनुपात तथा अंशकालिक कामगारों के लिए अतिरिक्त आय सृजन की सम्भाव्यता वाले इस उद्योग को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। यह एक ऐसा उद्योग है जो शताब्दियों से संरक्षित, विकसित एवं पल्लवित भारतीय संस्कृति को देश से बाहर ले जाकर उसका प्रसार कर सकने की क्षमता रखता है। हस्तशिल्प उद्योग के विकास हेतु रणनीति निम्नलिखित बिन्दुओं पर केंद्रित होनी चाहिए।

- हस्तशिल्प उत्पादों को सजावट की वस्तुओं के दायरे से बाहर निकालकर उपयोगिता वाले उत्पादों के दायरे में लाया जाए क्योंकि फैंसी क्राफ्ट उत्पादों का बाजार लगभग संतृप्त हो चुका है।
- ऐसे उपयोगी उत्पादों के विनिर्माण पर अधिक बल देना जिनकी मांग बार–बार उत्पन्न होनी है अर्थात् जो उपभोग योग्य हैं।
- हस्तशिल्प वस्तुओं का प्रभावी विपणन तंत्र विकसित करना। कैट्स टैंगों नाम से विख्यात मेलबोर्न (आस्ट्रेलिया) का रविवार क्राफ्ट

बाजार तथा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के "दिल्ली हाट" की तर्ज पर देश के महानगरों में विशुद्ध रूप से हस्तशिल्प की वस्तुएं बेचे जाने हेतु बाजार स्थल विकसित किए जाएं। इनमें किसी मध्यस्थ को भाग लेने की अनुमति न दी जाए। हस्तशिल्प के दस्तकार स्वयं अपने उत्पादों और कला का प्रदर्शन करें तथा उसे सीधे ग्राहकों को बेचें। इन दस्तकारों में ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी हों।

- रहन–सहन, फैशन, रुचियों आदि में आए परिवर्तन के अनुरूप हस्तशिल्प में अभिनवीकरण किया जाए। उदाहरणार्थ नक्काशीदार डबल बैड, सोफा सैट, ड्रेसिंग टेबल, अतिशदान, सेन्ट्रल टेबल, डायनिंग टेबल आदि का चलन आजकल बहुत बढ़ गया है। इसी के अनुरूप बाजार में शीशम तथा सागौन का नक्काशीदार फर्नीचर बड़ी मात्रा में आने लगा है। इंटीरियर डेकोरेशन में नक्काशी करने वाले कारीगरों की भारी मांग है। बेंत एवं बांस का फर्नीचर, डलिया, पर्स आदि, जूट एवं नारियल की कलात्मक एवं उपयोगी वस्तुएं, घास से बनायी गई डलिया, खिलौनो एवं जम्मू–कश्मीर में कुट्टी (Papier Mache) से बने खिलौने, मूर्तियां एवं सजावट के समान आदि हस्तशिल्प उद्याग में अभिनवीकरण के कतिपय उदाहरण हैं।

स्पष्ट है कि हस्तशिल्प उद्योग को नई दिशा और नए आयाम देकर ग्रामीण व अर्द्धशहरी क्षेत्रों में इसे बेरोजगारी एवं निर्धनता निवारण का कारगर औजार बनाया जा सकता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हस्तशिल्प उद्योग की सफलता की सबसे बड़ी शर्त इसे उपयोग की वस्तुओं के विनिर्माण की ओर मोड़ना तथा शहरी बाजारों तक दस्तकारों की पहुंच सुनिश्चित करना है। ❑

(लेखक राजकीय कॉलेज, मथुरा में रीडर एवं विभागाध्यक्ष हैं)

भारतीय खेलों में नारियां

देवेन्द्र भारद्वाज

बहुत कम खिलाड़ी ऐसे हुए हैं, जिन्हें एक साथ सीनियर और जूनियर स्तर पर चमकने का गौरव प्राप्त है। भारत में यह असाधारण सम्मान विजय अमृतराज और रमेश कृष्णन (दोनों टेनिस), प्रकाश पाडुकोन (बैडमिन्टन) और विश्वनाथन आनंद (शतरंज) को प्राप्त है, जो मात्र 15 वर्ष की आयु में सीनियर और जूनियर वर्गों में राष्ट्रीय चैम्पियन रहे हैं। इनसे भी एक कदम आगे बढ़ी जोशना चिनप्पा, जिसे सिर्फ 14 साल की उम्र में राष्ट्रीय महिला स्कवैश चैम्पियन और राष्ट्रीय जूनियर चैम्पियन बनने का गौरव प्राप्त हुआ।

भारतीय महिला स्क्वैश में लम्बे अरसे तक अलवर की भुवनेश्वरी कुमारी का बड़ा नाम रहा है और मिशा ग्रेवाल की भी अच्छी खिलाड़िन के रूप में पहचान है, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ने की संभावना जोशना में ही दिखाई दी है। जोशना ने 13 वर्ष की उम्र में स्कॉटलैंड की जूनियर स्क्वैश प्रतियोगिता जीती। तदुपरांत 2003 में उसने 17 वर्ष से कम आयु वर्ग का जूनियर ब्रिटिश खिताब जीता। इस वर्ष जनवरी में वह ब्रिटिश ओपन जूनियर खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला स्क्वैश खिलाड़िन बनी। एशियाई जूनियर चैम्पियन जोशना का प्रयास था कि वह अपने अन्तिम जूनियर वर्ष में विश्व जूनियर, स्क्वैश प्रतियोगिता में खिताबी सफलता अर्जित कर वरिष्ठ स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय खेल जीवन की शुरुआत करे। 22 से 26 जुलाई, 2005 तक हेरेन्टल्स (बेल्जियम) में सम्पन्न विश्व जूनियर स्क्वैश प्रतियोगिता में जोशना को विश्व में शीर्षस्थ जूनियर खिलाड़िन होने के नाते संभावित विजेताओं की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। पहले राउंड में बाई मिलने के बाद जोशनो अगले राउंडों में कनाडा, अमेरिका, मलयेशिया, हांगकांग और मिस्र की खिलाड़िनों को सरलता से परास्त कर फाइनल में प्रवेश किया जहां उसका मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त मिस्र की रनीम अल वेलीली से हुआ। अब तक जबर्दस्त कौशल का प्रदर्शन कर रही जोशना फाइनल में अपना स्वाभाविक खेल न दिखा सकी और उसके विश्व जूनियर चैम्पियन बनने के स्वप्न पर तुषारपात हो गया।

भारतीय सेना के यशस्वी महानायक फील्डमार्शल के.एम. करिअप्पा की प्रपौत्री जोशना संप्रति अन्तर्राष्ट्रीय महिला स्क्वैश खिलाड़ी संघ की रैंकिंग सूची में 66वें नम्बर पर है और उसका लक्ष्य है अगले दो–तीन वर्षों में विश्व की प्रथम दस खिलाड़िनों में शामिल होना, जिसमें अभी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और मलयेशिया की खिलाड़िनों का वर्चस्व है। जोशना की प्रतिभा, लगन और खेल के प्रति समर्पण भावना को देखते हुए उसका यह लक्ष्य कठिन भी नहीं लगता।

भले ही हमारे देश में अतीत में अनेक महान धनुर्धारी हुए हों, लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त धनुर्विद्या में भारतीय तीरंदाजों ने हाल के दशकों में ही अपनी पहचान बनाई है। वास्तविकता तो यह है कि पिछले चार वर्षों में भारतीय पुरुष और महिला धनुर्धारियों दोनों के प्रदर्शन में प्रशंसनीय सुधार हुआ है। 2001 में बीजिंग में हुई विश्व तीरंदाजी प्रतियोगिता में पुरुष टीम पिछले 22वें स्थान से उठकर 16वें स्थान पर और भारतीय टीम 12वें स्थान पर आई। 2003 में न्यूयार्क में हुई विश्व तीरंदाजी प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष टीम चौथे और महिला टीम छठे स्थान पर आई। जून, 2005 में मैड्रिड (स्पेन) में विश्व तीरंदाजी प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष टीम ने विश्व चैम्पियन दक्षिण कोरिया को चुनौती देते हुए रजत पदक जीतने का गौरव प्राप्त किया, जबकि सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली भारतीय महिला टीम दक्षिण कोरिया, उक्रेन और रूस के बाद चौथे स्थान पर आई।

भारतीय महिला तीरंदाजी टीम की निरन्तर प्रगति में 25 वर्षीया डोला बनर्जी का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। वह 1990 में 10 वर्ष की आयु से तीरंदाजी में भाग ले रही है। सब जूनियर और जूनियर स्तर

पर अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ने के बाद डोला 1999 से देश की चोटी की खिलाड़िनों में से है। बुसान एशियाई खेलों से लेकर एथेंस ओलिम्पिक खेलों में और बीजिंग, न्यूयॉर्क तथा मैड्रिड विश्व प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी डोला बनर्जी की सबसे बड़ी उपलब्धि मई, 2005 में अंतालिया (तुर्की) में रही जहां उसने 18वीं गोल्डन एरो ग्रां प्री तीरंदाजी प्रतियोगिता में व्यक्तिगत स्पर्द्धा में स्वर्ण पदक जीता और फिर रीना कुमारी तथा रानु के साथ मिलकर टीम स्पर्द्धा में रजत पदक अर्जित किया।

भारतीय तीरंदाजी का सुखद पक्ष यह है कि भारतीय टीम में स्थान पाने के लिए अब संघर्ष बढ़ता जा रहा है, विशेषकर महिलाओं में। डोला बनर्जी के अलावा सुमंगला शर्मा, चेक्रोवेलु सवुरो, रीना कुमारी और रानु बेहतरीन महिला तीरंदाज हैं, जबकि जूनियर लड़कियों में लक्ष्मीरानी माढी, रुनु स्वर्गियारी और सुषमा प्रतिभा सम्पन्न हैं।

भारत ने विल्सन जोन्स, माइकेल फरेरा, गीत सेठी, मनोज कोठारी, पंकज अडवानी के रूप में कई सुप्रसिद्ध पुरुष विश्व बिलियर्ड्स चैम्पियन पैदा किए हैं। अब इस अति विशिष्ट पांत में एक महिला का नाम भी जुड़ गया है। यह है मुंबई की 23 वर्षीय अनुजा ठाकुर जो पिछले तीन वर्षों से राष्ट्रीय महिला बिलियर्ड्स चैम्पियन है। भारतीय खेल जगत की दो महान हस्तियों पी.टी.उषा और सचिन तेन्दुलकर की प्रशंसक अनुजा ने अप्रैल, 2005 में कैम्ब्रिज (इंग्लैड) में विश्व महिला बिलियर्ड्स प्रतियोगिता जीतकर इतिहास रचा। अनुजा ने इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में इंग्लैड की एमा बोनी और फाइनल में स्कॉटलैंड की लिनेट होर्सबर्ग को परास्त कर विश्व खिताब जीता था। प्रतियोगिता में अनुजा की बहन मीनल ठाकुर और एक अन्य भारतीय चित्रा ने भी भाग लिया था। अनुजा स्नूकर की भी बेहतरीन खिलाड़िन है और वह पिछले वर्ष विश्व महिला स्नूकर प्रतियोगिता के सेमी फाइनल तक पहुंची थी। अपने खेल को और निखारने के लिए अनुजा पुरुष खिलाड़ियों के साथ अभ्यास करती है।

पिछले आठ दशकों में भारत ने अनेक उच्चस्तरीय पुरुष टेनिस खिलाड़ी पैदा किये हैं। लिएंडर पेस और महेश भूपति के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भारतीय टेनिस में अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक भी अच्छी महिला खिलाड़ी सामने नहीं आई है। यह बड़ा अभाव पूरा किया है हैदराबाद की अठारह वर्षीया सानिया मिर्ज़ा ने, जिसने जूनियर स्तर पर प्रतिभा की जो झलक दिखाई थी, उसे वह और निखारते हुए भारतीय महिला टेनिस की भविष्य की एक बड़ी आशा के रूप में स्वयं को प्रतिष्ठित करने में सक्रिय है। वह पहली भारतीय महिला है जिसने कोई डब्ल्यूटीए प्रतियोगिता जीती है। इस वर्ष आस्ट्रेलियाई ओपन और विम्बलडन सहित विभिन्न टूर्नामेंटों में बेहतर प्रदर्शन कर सानिया ने केवल सात मास की अवधि में अपनी विश्व रैंकिंग 163 से 31 कर ली है, जो हर दृष्टि से अत्यन्त सराहनीय है।

महिला क्रिकेट टीम

इसी वर्ष मार्च–अप्रैल में मीताली राज की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। दक्षिण अफ्रीका में पहली बार आयोजित आठवें महिला विश्व कप में भारतीय टीम ने पहली बार फाइनल में प्रवेश किया, किन्तु सातवीं बार फाइनल में खेल रही अनुभवी ऑस्ट्रेलियाई टीम से 98 रन से हार गई। फाइनल में भारतीय टीम की पराजय का मुख्य कारण था सलामी बल्लेबाज जया शर्मा, पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा, रूमेली धर और हेमलता काला का रन आउट होना। फिर भी भारतीय टीम इसलिए सराहना की पात्र है कि इस प्रतियोगिता में भारत ने आयरलैंड को 9 विकेट से, मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 4 विश्व कप विजेता इंग्लैंड को 7 विकेट से, वेस्ट इंडीज को 9 विकेट से पिछले विजेता न्यूजीलैंड को 40 रन से परास्त किया था। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध राउंड रोबिन लीग मैच वर्षा के कारण खेले नहीं जा सके। जहां तक कप्तान मीताली राज प्रश्न है, इंग्लैंड के विरुद्ध टेस्ट क्रिकेट में 214 रन की रिकार्ड व्यक्तिगत पारी खेलने वाली मीताली ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध सेमी फाइनल में 91 रन की नायकोचित अविजित पारी खेली थी, जो अन्ततः भारत की विजय में निर्णायक सिद्ध हुई थी।

अभी तक यहां उन सक्रिय खिलाड़ियों की चर्चा हुई है, जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयों को छूते हुए स्वयं को और राष्ट्र को गौरवान्वित किया है, और जो अभी भी अपनी–अपनी विधाओं में नए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कृत संकल्प हैं। यहां अब चर्चा होगी दो ऐसी महिलाओं की जिनकी साहसिक उपलब्धियां विस्मयकारी हैं। ये हैं बुला चौधुरी और संतोष यादव । इनमें बुला है सागर की उत्ताल तरंगों के बीच लम्बी दूरी की नायिका और पर्वतारोही संतोष है दो बार की एवरेस्ट शिखर विजेता। एक समय राष्ट्रीय स्तर पर तरण ताल में अपनी स्वर्णिम सफलताओं से धूम मचाने वाली जलपरी बुला चौधुरी अब आरती साहा, आरती प्रधान और अनिता सूद का अनुकरण महासागरों के विशाल क्रोड को चीरते हुए नए कीर्तिमान स्थापित करने में संलग्न है। 29 अप्रैल, 2005 को 35 वर्षीया बुला ने दक्षिण अफ्रीका में थ्री एंकर बे और रोबेन आइलैंड (केपटाउन के निकट) के बीच जोखिम भरे चैनल पार कर इतिहास रचा। बुला चौधुरी अब विश्व की एकमात्र ऐसी महिला बन गई है, जिसने पांच महाद्वीपों के चैनलों को तैरकर पार किया है। बुला अब तक अटलांटिक महासागर की इस चैनल सहित आठ चैनलों को पार कर चुकी है। पिछले वर्ष बुला चौधरी ने पाक जलडमरूमध्य पार करने की उक्ति को चरितार्थ किया था।

36 वर्षीया संतोष यादव विश्व की एकमात्र महिला है, जिसने दो बार एवरेस्ट विजय का गौरव प्राप्त किया है। पहली बार मई, 1992 में और दूसरी बार मई 1993 में। वह विश्व की एकमात्र ऐसी महिला है, जिसने 1999 में दस सदस्यीय एवरेस्ट अभियान दल का नेतृत्व किया। अब संतोष का लक्ष्य है पूर्वी रिज से एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त करना, जहां से आज तक कोई भी एवरेस्ट शिखर तक नहीं पहुंच सका है। लक्ष्य अति कठिन और जोखिम भरा है, पर संतोष यादव सरीखी साहसी महिलाएं बाधाओं की कहां परवाह करती हैं। ❑

(स्वतंत्र खेल पत्रकार)

संकट में है धरती

भारत डोगरा

इस वर्ष मार्च के महीने में विश्व के अनेक देशों में सहस्राब्दी पारिस्थितिकीय आकलन रिपोर्ट जारी की गई। इसे तैयार करने में संयुक्त राष्ट्र की मुख्य भूमिका रही। इस प्रयास में 95 देशों के 1300 अनुसंधानकर्ताओं व वैज्ञानिकों का योगदान प्राप्त हुआ। इस रिपोर्ट ने विश्व स्तर पर पर्यावरण की तबाही की प्रमाणिक जानकारियां देते हुए कहा है कि पिछले लगभग पचास वर्षों में जीवन का आधार रही प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर गहरे आघात हुए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार इस प्राकृतिक विनाश से गरीबी और अभाव दूर करने के लिए विश्व के निर्धारित लक्ष्यों पर भी बहुत प्रतिकूल असर पड़ेंगे। अगले पचास वर्षों के दौरान भी प्रकृति का ऐसा दोहन–शोषण जारी रहा तो जीवन के अनेक रूपों के अस्तित्व मात्र के लिए गंभीरसंकट उत्पन्न हो जाएगा। इस समय भी 12 प्रतिशत पक्षियों की प्रजातियां और 25 प्रतिशत स्तनपायी प्राणियों की प्रजातियां खतरे में है।

मछलियों, समुद्रों के अनेक अन्य जीवों या जलथल दोनों में रहने वाले मेंढक जैसे जीवों की स्थिति तो और भी विकट है। सागर के जीवन का आधार मानी जाने वाली मूंगे की चट्टानें 20 प्रतिशत तक समाप्त हो चुकी हैं। अन्य 20 प्रतिशत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। तटीय क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण 35 प्रतिशत मैन्ग्रोव वनस्पतियां या वन भी नष्ट हो चुके हैं।

प्रकृति की विभिन्न प्रक्रियाओं को बदलने वाली मनुष्य की गतिविधियों की रफ्तार हाल के दशकों में बहुत तेज हो गई है। जलवायु बदलाव को आज सबसे बड़ी और गंभीर पर्यावरण समस्या बताया जा रहा है। इसका प्रमुख कारण ग्रीनहाउस गैसों विशेषकर कार्बनडाइआक्साइड के उत्सर्जन में होने वाली तेज वृद्धि है। वर्ष 1750 और 2003 के बीच वायुमंडल में इस गैस की मात्रा में 32 प्रतिशत वृद्धि हुई। इस वृद्धि का 60 प्रतिशत हिस्सा वर्ष 1959 के बाद के समय का है।

वर्ष 1913 में पहली बार कृत्रिम नाईट्रोजन खाद का उपयोग आरंभ हुआ। हाल के वर्षों में रासायनिक खाद में अधिक उपयोग के कई दुष्परिणाम स्पष्ट हुए हैं। इसके बावजूद वर्ष 1913 और 1985 के बीच कृत्रिम नाईट्रोजन खाद का जितना उपयोग हुआ, उससे अधिक उपयोग 1985 और 2003 के बीच हुआ।

इस तरह के तेज बदलाव से अचानक और बहुत तीव्रता से आने वाले पर्यावरणीय विनाश की संभावनाएं बढ़ रही हैं जो तटीय जल में जीवनविहीन क्षेत्रों के प्रकट होने, मछलियों के तेजी से लुप्त होने, कई स्थानों पर पानी की गुणवत्ता में अचानक बदलाव आने जैसे उदाहरणों के रूप में सामने आई है।

आपदाओं के कारण होने वाली क्षति वर्ष 1950 के दशक के मुकाबले में लगभग दस गुणा बढ़ गई है। 1990–99 के दशक में बाढ़ के प्रकोप से लगभग एक लाख लोग मारे गए और लगभग 243 अरब डॉलर की क्षति हुई।

दो करोड़ डॉलर के खर्च से तैयार की गई सहस्राब्दी पारिस्थितिकीय आकलन रिपोर्ट में पर्यावरण संकट की गंभीरता को बताने वाली जानकारियों के साथ भविष्य के लिए विशेषकर अगले 50 वर्षों के लिए चेतावनियां हैं तथा इस विनाश को कम करने के लिए कोई ठोस सुझाव भी। पर सवाल ह है कि क्या विश्व स्तर पर इस चुनौती को समय पर स्वीकार किया जाएगा और इसकी गंभीरता के अनुकूल पर्यावरण को बचाने के व्यापक कदम वास्तव में उठाएं जाएंगे?

इस संदर्भ में यह याद दिलाना महत्वपूर्ण है कि एक दशक से अधिक पहले भी विश्व के बहुत से वैज्ञानिकों ने एक आवाज से पर्यावरणीय संकट की गंभीरता की ओर लोगों का ध्यान दिलाने का प्रयास किया था। उस समय 1575 वैज्ञानिकों की ओर से एक चेतावनी संयुक्त रूप से जारी की गई थी। विश्व के नोबेल पुरस्कार प्राप्त जितने वैज्ञानिक उस समय जीवित थे, उनमें से आधे से अधिक ने इस चेतावनी पर हस्ताक्षर किए थे।

वर्ष 1992 में जारी इस 1575 वैज्ञानिकों के बयान में कहा गया था, हम मानवता को इस बारे में चेतावनी देना चाहते हैं कि भविष्य मे क्या हो सकता है। पृथ्वी और उसके जीवन की व्यवस्था जिस तरह से हो रही है उसमें एक व्यापक बदलाव की जरूरत है। अन्यथा बहुत दुख–दर्द बढ़ेंगे और हम सबका घर यह पृथ्वी इतनी बुरी तरह तह–नहस हो जाएगी कि फिर उसे बचाया नही जा सकेगा।

आगे इन 1575 वैज्ञानिकों ने कहा था कि वायुमंडल, समुद्र, मिट्टी, वन और जीवन के विभिन्न रूप तबाह हो रहे हैं। पर्यावरण पर बहुत दबाव पड़ रहा है। और वर्ष 2100 तक पृथ्वी के विभिन्न जीवन रूपों में से एक तिहाई लुप्त हो सकते हैं। मनुष्य की वर्तमान जीवन–पद्धति के अनेक तौर–तरीके भविष्य में सुरक्षित जीवन की संभावनाओं को नष्ट कर रहे हैं और इस जीती–जागती दुनिया को इतना बदल सकते हैं कि जिस रूप में जीवन को हमने जाना है, उसका अस्तित्व ही कठिन हो जाएगा। इन प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों ने जोर देकर कहा है कि प्रकृति की इस तबाही को रोकने के लिए बुनियादी बदलाव जरूरी हैं।

संकट की चेतावनी के बावजूद इसे दूर करने के लिए विश्व स्तर पर जो व्यापक प्रयास जरूरी हैं, वह आरंभ नहीं हो सके हैं। आम लोगों में पर्यावरण की समझ बढ़ाना और चेतना जगाना विश्व स्तर पर जरूरी महत्वपूर्ण बदलावों की भूमिका तैयार कर सकती है। आम लोगों में पर्यावरण की बढ़ती चेतना का एक मुख्य आधार यह हो सकता है कि आखिर हम कैसी पृथ्वी, कैसी दुनिया अपने बच्चों के लिए छोड़ कर जाएंगे। जहां एक ओर हम अपने बच्चों की भलाई के लिए शिक्षक और कैरियर पर इतना ध्यान देते हैं, वहीं हमारा ध्यान इस बुनियादी सवाल की ओर क्यों नहीं जाता कि जीवन देने वाली हवा और पानी की सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है? इस तरह के आम लोगों को प्रभावित करने वाले सवालों को व्यापक स्तर पर उठाकर आम लोगों को पर्यावरण की रक्षा से जोड़ा जा सकता है। ❑

(स्वतंत्र पत्रकार)

RAU'S IAS
WHERE WINNERS LEARN

Amazing Success

Our 2004 Exam Results : Seven positions secured by our students in first 20 and 41 in first 100 with overall 181 total selections. As regards the past achievements, Study Circle has contributed nearly one-third of the total selections done for Civil Services by UPSC since 1953.

It is a well known fact that Rau's is the most trusted and recommended name all over the country for IAS & PCS coaching.

Unbeatable Strategy

Answers that matter : The most crucial fact about coaching is that it should improve the quality of your answers in the minimum possible time. It is precisely this training on which we focus on at Rau's to give an extra edge to the answers you give / write in the Civil Services Examination.

Be Sure

We have no branches or associates any where in India. Our name which has become a legend among students for the highest standards in teaching, and hence has been copied by a lot of centres across India, but it can never be equalled.

Programme Highlights

Civil Service Exam, 2006

- Personal Guidance (English Medium) is available for -
  General Studies/ Essay, History, Sociology, Public Administration, Geography, Psychology, Law & Commerce.
- **पर्सनल गाइडेंस (हिन्दी माध्यम) -**
  सामान्य अध्ययन / निबंध, इतिहास, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन एवं भूगोल में उपलब्ध।
- Postal Guidance in English Medium available for -
  General Studies, History, Sociology, Public Administration and Geography.
- Postal Guidance in Hindi Medium available for **General Studies & Indian History** only.
- Hostel facility arranged.

कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं ।
जीता वही जो डरा नहीं ।।

New batches for 2006 Exam, start from 11th November, 2005

Contact personally or write for prospectus with a DD/MO for Rs. 50/- favouring

RAU'S IAS STUDY CIRCLE

309, Kanchanjunga Bldg., 18, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001.
Phone : 39448880-81, 55391202, 23318135-36, 23738906-07, Fax: 23317153
For full details on fast-track log-on our website: www.rauias.com

The Original Rau's / Rao's - Since 1953

KH 12/05/01

आर. एन./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. 12057/2003-05
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.) -55/2003-5

R.N./708/57
P&T Regd. No. DL 12057/2003-05
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-55/2003-05
to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.

प्रो. उमाकांत मिश्र, निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोदी रोड़, नई दिल्ली-110003 द्वारा प्रकाशित और मुद्रित।
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू-30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया-II, नई दिल्ली-110 020 : संपादक : स्नेह राय